DGTR
व्यापार उपचार महानिदेशालय

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम जांच परिणाम

व्यापार उपचार उपाय

पाटन-रोधी जांच

के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच

चिकित्सा जांच रबर दस्तानों

जिनका उद्गम या निर्यात

मलेशिया और थाईलैंड



चिकित्सा जांच रबर दस्तानों का सांकेतिक चित्रण

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/43/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दिनांक: नवंबर, 2026

अंतिम जांच परिणाम

(मामला सं. एडी (ओआई)-38/2025)

विषय: मलेशिया और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित चिकित्सा जांच रबर दस्तानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं. 6/43/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) को मेसर्स नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और मैसर्स वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" या "आवेदक कंपनियां" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मलेशिया और थाईलैंड (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'चिकित्सा जांच रबर दस्तानों' (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तुओं" या "विचाराधीन

उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने की मांग की गई है।

2. आवेदकों द्वारा दायर आवेदन-पत्र के आधार पर, निर्धारित स्वरूप और तरीके में, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार मलेशिया और थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/43/2025-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. वर्तमान जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 <u>जांच की शुरुआत</u>

i. प्राधिकारी को संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन का आरोप लगाते हुए और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग से एक लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ।

ii. जांच शुरु करने से पूर्व नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार प्राधिकारी ने वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 30 सितंबर 2025 की सार्वजनिक सूचना ("जांच शुरुआत अधिसूचना") जारी की।

iv. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति

भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।

3.2 <u>आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन</u>

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

3.3 <u>जांच की अवधि (पीओआई) और क्षति जांच की अवधि (आईआईपी)</u>

i. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) है। क्षति की जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024, और जांच की अवधि शामिल है।

3.4 <u>आयात आंकड़े</u>

i. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए डीजी सिस्टम और आंकड़ा प्रबंधन (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के परिकलन के लिए और लेन-देनों की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

3.5 <u>संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता</u>

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों/व्यापारियों को निर्यातक प्रश्नावलियों भेजीं।

क्र.सं.	**उत्पादक/निर्यातक**
1.	एसीई ग्लव एसडीएन (एम). बीएचडी.
2.	अपोलो रबर एसडीएन बीएचडी
3.	बायोमैक्स रिसोर्सेज एसडीएन बीएचडी
4.	ड्यूरासेफ एसडीएन बीएचडी
5.	ग्लव रिसोर्सिज एसडीएन बीएचडी
6.	मजूमा ट्रेडिंग
7.	प्रोफेशनल लेटेक्स एसडीएन बीएचडी
8.	क्यूब मेडिकल प्रोडक्ट्स एसडीएन बीएचडी
9.	रे बेल इंजीनियरिंग एसडीएन बीएचडी
10.	सतनाम एसडीएन बीएचडी
थाईलैंड	
1.	हैप्पी केयर ग्लव कं लिमिटेड .
2.	एचआई – केयर थाई ग्लव्स कंलिमिटेड .

ii. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने अपने देशों में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें।

iii. निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया और प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

क्र.सं.	**उत्पादक/निर्यातक**
मलेशिया	
1.	हरतालेगा होल्डिंग्स बरहाद
2.	हरतालेगा एनजीसी एसडीएन बीएचडी
3.	मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी

क्र.सं.	**उत्पादक/निर्यातक**
4.	टीजी मेडिकल एसडीएन बीएचडी
5.	टॉप ग्लव एसडीएन बीएचडी
6.	टीजी वर्ल्डवाइड एसडीएन बीएचडी
7.	वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन बीएचडी
8.	टैन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी
थाईलैंड	
1.	श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमि.
2.	डॉ. बू कंपनी लिमिटेड

iv. डॉ बू कंपनी लिमिटेड ने अपने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर का केवल गोपनीय रूपांतर ही दायर किया है और अगोपनीय रूपांतर को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया। मौखिक सुनवाई के दौरान या उसके अनुसरण में इस पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया। डॉ बू कंपनी लिमिटेड ने, हालांकि, 28 अक्टूबर 2026 को प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां दायर की हैं, जिनकी जांच इन अंतिम जांच परिणामों के खंड झ में की गई है।

v. संबद्ध देशों के उत्तरदाता निर्यातकों/उत्पादकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने दिनांक 25 फरवरी 2026 की अधिसूचना द्वारा व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के उद्देश्य से मलेशिया के उत्पादकों के साथ-साथ उनके संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों के नमूनाकरण का प्रस्ताव किया। हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, प्राधिकारी ने दिनांक 20 मार्च, 2026 की अधिसूचना द्वारा मलेशिया से निम्नलिखित उत्पादकों और संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों को अधिसूचित किया। नमूने का निर्धारण मलेशिया से निर्यात के सबसे बड़े प्रतिशत के आधार पर किया गया था।

क. हार्टालेगा ग्रुप

ख. टॉप ग्लोव ग्रुप

vi. इसके बाद, प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. सं. 6/43/2025-डीजीटीआर दिनांक 9 सितंबर, 2026 के माध्यम से नमूनाकरण लेना बंद कर दिया, और मलेशिया से सभी उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या व्यक्तिगत पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है।

vii. नमूनाकरण की पद्धति के संबंध में, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 और नियमावली के नियम 17(3) के परंतुक प्राधिकारी को या तो उत्पादकों/निर्यातकों के सांख्यिकीय रूप से वैध नमूने तक, या उत्पादकों/निर्यातकों तक अपनी जांच को सीमित करने की अनुमति देते हैं जो प्रश्न में देश से निर्यात की मात्रा का सबसे बड़ा प्रतिशत है जिसकी उचित रूप से जांच की जा सकती है। दोनों विधियों के बीच का चुनाव प्राधिकारी पर निर्भर करता है। सांख्यिकीय रूप से वैध नमूना उत्पादकों/निर्यातकों की एक आबादी पर्याप्त रूप से बड़ी होती है ताकि यादृच्छिक या स्तरीकृत चयन उस आबादी का प्रतिनिधित्व कर सके। वर्तमान मामले में, मलेशिया के केवल चार उत्पादक/निर्यातक समूहों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है, जिसने सांख्यिकीय रूप से वैध नमूने के चयन की अनुमति नहीं दी थी। अतः, प्राधिकारी ने प्रस्तावित नमूने पर हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के बाद, दिनांक 25 फरवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार, अपनी स्थापित परिपाटी के अनुरूप, दूसरी विधि को अपनाया। चयनित दो समूहों ने मलेशिया से भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात की सबसे बड़ी मात्रा का उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के बीच हिस्सा लिया। किसी भी स्थिति में, नमूनाकरण को दिनांक 9 सितंबर 2026 की अधिसूचना के माध्यम से बंद कर दिया गया था और मलेशिया से सभी उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों की प्रतिक्रियाओं की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई है।

3.6 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

i. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावलियां भेजी:

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता
1.	आदित्य ड्रग लाइन्स
2.	एसियो हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
3.	केयरवे मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
4.	गणेश हेल्थ केयर
5.	ग्राहम्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	मैट्रिक्स सर्जिकल इंडस्ट्रीज
7.	मिलेनियम हेल्थकेयर
8.	आउटकेयर मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
9.	राम्या इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	रामसन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
11.	राउओ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
12.	श्री गणेश मेडिकोस
13.	टूनब्रांड्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
14.	ट्यूलिप इंटरनेशनल
15.	विक्टर सर्जिकल डिस्पोजेबल

ii. निम्नलिखित आयातकों और प्रयोक्ताओं ने वर्तमान कार्यवाही में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है और आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:

क्र.सं.	आयातक/प्रयोक्ता
1.	कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2.	एमआरके हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

3.	सेवाना मेडिनीड्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	ग्राहम्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	एमयूएन हेल्थ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
6.	मेडिकल ग्लव एसोसिएशन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट

3.7 पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार

i. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत किए जाने का अनुरोध करने वाले पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उसमें उन सभी से यह भी अनुरोध किया था कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजें।

3.8 आर्थिक हित प्रश्नावली

i. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालयों, अर्थात् उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और फार्मास्युटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर घरेलू उद्योग और निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए थे:

क्र.सं.	**उत्पादक/निर्यातक/आयातक/प्रयोक्ता**
1	ग्राहम्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3.	एमआरके हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
4.	सेवाना मेडिनीड्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	श्री ट्रांग गलव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड

3.9 <u>आगे की प्रक्रिया</u>

i. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद ('उत्पाद क्षेत्र') और 6 अक्टूबर 2025 को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की सूचना के 30 दिनों के भीतर पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां आमंत्रित कीं, जो 5 नवंबर 2025 को समाप्त हो गई। इसके बाद प्राधिकारी ने 21 नवंबर 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ एक बैठक की। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई टिप्पणियों और अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने 2 दिसंबर 2025 की सूचना द्वारा उत्पाद क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया, जिसे प्राधिकारी की वेबसाइट पर अधिसूचित किया गया था।

ii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 22 अप्रैल, 2026 को हाइब्रिड मोड में आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले हितबद्ध पक्षकारों को 29 अप्रैल, 2026 तक मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था और उसके बाद 6 मई, 2026 तक, यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध हैं, तो उन्हें दायर करने का अवसर दिया गया था।

iii. केंद्र सरकार ने कार्यालय ज्ञापन फा. सीबीआईसी-190354/120/2026-टीआरयू दिनांक 21 सितंबर, 2026 के माध्यम से वर्तमान जांच को पूरा करने के लिए वैधानिक समय सीमा को तीन महीने आगे बढ़ाकर 29 सितंबर, 2026 से आगे 29 दिसंबर, 2026 तक कर दिया। प्राधिकारी ने उक्त विस्तार के हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 21 सितंबर, 2026 की सूचना द्वारा अधिसूचित किया।

iv. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया। घरेलू उद्योग, वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी और और श्री ट्रांग गलव्ज (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना सत्यापित की गई है, और इन अंतिम जांच परिणामों में किए गए निर्धारणों के लिए सत्यापित सूचना पर भरोसा किया गया है। हार्टालेगा समूह, टॉप ग्लोव समूह बीएचडी, टैन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी और डॉ बू कंपनी लिमिटेड के संबंध में सत्यापन के लिए आवश्यक सूचना या तो प्रस्तुत नहीं की गई थी

या नीचे धारा एफ में दर्ज कारणों के दिए गए अवसरों के बावजूद कमी पाई गई थी, और प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार कार्य की है।

v. प्राधिकारी ने आवेदकों दी गई सूचना के आधार पर, भारत में घरेलू समान वस्तु की इष्टम उत्पादन लागत और उत्पादन तथा बिक्री लागत के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) तथा नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान रखते क्षतिरहित कीमत(एनआईपी) निर्धारित की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं।

vi. प्राधिकारी ने जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए सभी अनुरोधों की जांच की है, जिसमें मौखिक सुनवाई के बाद दायर लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर शामिल हैं। जो अनुरोध साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत हैं, उन्हें इन अंतिम जांच परिणामों के संगत खंडों में हल किया गया है। एक से अधिक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, या जांच के विभिन्न चरणों में दोहराए गए, पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक साथ हल किए गए हैं।

vii. नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 23 अक्टूबर 2026 के प्रकटन विवरण के माध्यम से, सहयोग करने वाले संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों को सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और पहुंच कीमत के पक्षकार-विशिष्ट प्रकटन के साथ, प्रकट किए गए थे, और हितबद्ध पक्षकारों को अनुमत समय के भीतर उस पर टिप्पणी करने का अवसर दिया गया था। प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां 28 अक्टूबर 2026 को (क) घरेलू उद्योग; (ख) श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड; (ग) वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन बीएचडी; (घ) हार्टालेगा एनजीसी एसडीएन बीएचडी, मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी और मुन हेल्थ प्रोडक्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त रूप से; (ड) सेवाना मेडिनीड्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्राहम्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेडिकल ग्लव एसोसिएशन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, संयुक्त रूप से; (च) एमआरके हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड और कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त रूप से; और (छ) डॉ बू कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड से प्राप्त हुई थीं। टॉप ग्लोव ग्रुप या टैन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों को, जहां तक वे

प्रासंगिक पाई गईं और पहले से जांचे जा चुके अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति नहीं थीं, इन अंतिम जांच परिणामों के खंड झ में निपटाया गया है।

viii. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

ix. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है, और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

x. इन अंतिम जांच परिणामों में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xi. प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 85.43 रु. है, जो जांच की अवधि के दौरान लागू आयातित सामानों के मूल्य के परिवर्तन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है। इन्हीं अंतिम जांच परिणामों में समान दर लागू की गई है।

(स्रोत: https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate)

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार था:

"1. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "चिकित्सा जांच रबर दस्तानें" है। यह एक प्रकार का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) है जो चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रामक एजेंटों के संचरण से बचाने के लिए मानक सावधानियों का हिस्सा

है। उनका उपयोग सामान्य जांच और गैर-आक्रामक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है।

2. विचाराधीन उत्पाद नाइट्राइल बुटाडीन रबर लेटेक्स या प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बना है। रबर के दस्ताने के अन्य सभी प्रकार, जैसे कि सर्जिकल दस्ताने, औद्योगिक दस्ताने और घरेलू दस्ताने जो बागवानी, सफाई आदि जैसे अनुप्रयोगों में पुन: प्रयोज्य दस्ताने हैं, और विनाइल दस्ताने विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।

3. चिकित्सा जांच रबर दस्ताने को उनके उपयोग/अंतिम अनुप्रयोग, बंध्यता, गुणवत्ता मानकों/विनियमों, उनकी संरचना, मोटाई और डिजाइन के आधार पर अन्य दस्तानों से अलग किया जा सकता है। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने गैर-आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं से जुड़े चिकित्सा उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं जिसमें नियमित शारीरिक जांच , दवाएं देना और ऐसे कार्य शामिल हैं जिनमें बाहरी शरीर के साथ संपर्क शामिल है। इसके अलावा, इनका उपयोग रासायनिक विनिर्माण और प्रयोगशालाओं, दवा कार्यों, आतिथ्य क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे उद्योगों में भी किया जा सकता है।

4. चिकित्सा जांच रबर दस्ताने सर्जिकल दस्ताने से अलग हैं। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आमतौर पर नॉन-स्टेराइल होते हैं जबकि सर्जिकल दस्ताने आमतौर पर आंतरिक शरीर के ऊतकों के संपर्क के लिए नॉन-स्टेराइल होते हैं। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं जबकि सर्जिकल दस्ताने सर्जिकल अनुप्रयोगों के लिए आईएस13422/एएसटीएम डी3577 या ईएन 455-2 जैसे सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। चिकित्सा जांच रबबर दस्ताने आमतौर पर सब्यसाची होते हैं और उनकी मोटाई अनुप्रयोग पर निर्भर करती है लेकिन आईएस मानकों के अनुरूप होती है जबकि सर्जिकल दस्ताने शारीरिक रूप से अधिक सटीकता और आराम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची 1 के अध्याय 40, उपशीर्ष 4015 12 00 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, संबद्ध सामानों को कोड 40151100 , 40151900 , 40159030 , और 40159099 के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

6. विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई संख्या है"

5. पक्षकारों को सलाह दी गई कि वे आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की सूचना के 30 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद पर और पीसीएन, यदि कोई है, प्रस्तावित करने के संबंध में अपनी टिप्पणियां दें।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 6.विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. विचाराधीन का निर्धारण उन उत्पादों के आधार पर किया जाना चाहिए जो भारत में वाणिज्यिक रूप से निर्मित	**घरेलू उद्योग के विचार** 7. विचाराधीन उत्पाद क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. मिश्रित दस्ताने आम तौर पर दस्ताने को संदर्भित करते हैं जो प्राकृतिक रबर (एनआर) और नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर का (एनबीआर)	**प्राधिकारी द्वारा जांच** 8. प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों/बहिष्करण अनुरोधों के संबंध में निम्नानुसार विचार करते हैं। पीयूसी से संबंधित मुद्दों की जांच: 9. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि संबद्ध सामानों के लिए बीआईएस प्रमाणन/मानक चिह्न अनिवार्य है, जबकि घरेलू उद्योग ने इस आवश्यकता का विरोध किया। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद को आईएस 15354 के अनुरूप दस्तानों तक सीमित करने की भी मांग की, जिसमें जांच शुरुआत अधिसूचना में दिए गए इस कथन पर भरोसा किया गया कि "चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं"। इन विभिन्न अनुरोधों को देखते हुए, प्राधिकारी ने भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से सीधे दिनांक 8 सितंबर, 2026 की संसूचना के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा था। 10. बीआईएस ने अपने उत्तर दिनांक 22 सितंबर, 2026 के माध्यम से स्पष्ट किया कि आईएस 15354 (भाग 1):2023 में रबर लेटेक्स या रबर घोल से बने एकल-उपयोग वाले चिकित्सा जांच दस्ताने शामिल हैं, जिसमें

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
और बेचे जाते हैं और केवल सैद्धांतिक या स्थापित क्षमताओं के आधार पर नहीं जिनका परिणाम वाणिज्यिक मात्रा में नहीं आया है। ख. भारत में घरेलू उद्योग वाणिज्यिक पैमाने पर पाउडर चिकित्सा जांच रबर दस्ताने का निर्माण या बिक्री नहीं करता है और ऐसा करने की सीमित क्षमता रखता है और पीयूसी का क्षेत्र उन उत्पादों तक सीमित होना चाहिए जो वाणिज्यिक रूप से भारत में घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और बेचे जाते हैं और पाउडर चिकित्सा जांच दस्ताने को बाहर रखते हैं। ग. जांच की शुरुआत अधिसूचना	संयोजन है। जबकि इसके लिए कोई बाजार आवश्यकता नहीं है, घरेलू उद्योग नियमित रूप से उत्पादन और बिक्री नहीं कर रहा है, लेकिन कम मात्रा में इसका उत्पादन कर रहा है। ख. प्राकृतिक रबर और एनबीआर दोनों से बने पाउडर और पाउडरमुक्त - दस्ताने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं, अर्थात नवको इंडस्ट्रीज, पाउडर वाले मेडिकल जांच रबर दस्ताने बनाती है जबकि वाडी सर्जिकल पाउडर मुक्त एनबीआर दस्ताने बनाती है। ग. विचाराधीन	प्राकृतिक रबर लेटेक्स और नाइट्राइल रबर शामिल हैं, जो मानक के क्षेत्र और प्रावधानों के अधीन हैं। बीआईएस ने आगे स्पष्ट किया कि इस मानक के तहत लाइसेंस बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन योजना-I के तहत संचालित किए जाते हैं और मानक द्वारा कवर किए गए दस्ताने वर्तमान में अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के तहत नहीं हैं। तदनुसार, यह तर्क कि संबद्ध सामानों के लिए बीआईएस प्रमाणन/मानक चिह्न अनिवार्य है, बीआईएस से प्राप्त स्पष्टीकरण द्वारा समर्थित नहीं है। 11. बीआईएस ने यह भी स्पष्ट किया कि मानक में निर्धारित न्यूनतम मोटाई एक उत्पाद-अनुरूपता आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले उत्पाद को आईएस 15354 (भाग 1) के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, एक वैध बीआईएस लाइसेंस मानक के क्षेत्र में मानक चिह्न के उपयोग की अनुमति देता है, जो मानक के अनुरूपता के अधीन है; केवल लाइसेंस का कब्ज़ा प्रत्येक बैच या मॉडल की अनुरूपता स्थापित नहीं करता है। इसलिए प्राधिकारी बीआईएस लाइसेंस के कब्जे और वास्तविक उत्पाद के अनुरूपता के बीच अंतर करते हैं। बीआईएस का उत्तर 0.08 मिमी की मोटाई और लगभग 4.5 ग्राम के न्यूनतम दस्ताने वजन के बीच सुझाए गए समानता की पुष्टि नहीं करता है। परिणामस्वरूप, प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर मानक के अनुरूपता या गैर-अनुरूपता स्थापित करने के लिए केवल दस्ताने के वजन को नहीं माना जा सकता है। 12. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन का अभाव अन्य लागू नियामक आवश्यकताओं के तहत तकनीकी मानकों के अनुपालन के प्रश्न से अलग है। बीआईएस का जवाब चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 के नियम 7 के तहत अनुपालन के संबंध में पक्षकारों द्वारा उठाए गए अलग मुद्दे को स्पष्ट रूप से हल नहीं करता है। तदनुसार, प्राधिकारी उत्तर से यह निष्कर्ष नहीं निकालते है कि आईएस 15354 के अनुरूप न होने वाले दस्ताने कानूनी रूप से निर्मित, आयात या बिना किसी प्रतिबंध के बेचे जा सकते हैं। लागू चिकित्सा-उपकरण नियामक ढांचे का अनुपालन सक्षम नियामक प्राधिकरणों के लिए एक मामला बना हुआ है। 13. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी का मानना है कि जांच

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
मुख्य रूप से इसके अंतिम प्रयोग के आधार पर उत्पाद को परिभाषित करती है, जिसका उपयोग सामान्य जांच और गैर-आक्रामक प्रक्रियाओं चिकित्सा" के लिए जांच रबर दस्ताने " के रूप में किया जाता है, और इसके संघटन के आधार पर भी, यानी एनआर या एनबीआर से बने दस्ताने -गैर" आक्रामक चिकित्सा जांचके लिए " उपयोग किए जाते हैं, जो केवल चिकित्सा उद्देश्य अनुप्रयोगों तक क्षेत्र को सीमित करते हैं, जबकि यह अन्य गैरचिकित्सा - अनुप्रयोगों के लिए भीअनुप्रयोग का विस्तार करता है, जैसे कि रासायनिक विनिर्माण,	उत्पाद में 0.2 मिमी से कम मोटाई वाले चिकित्सा जांच रबर दस्ताने शामिल हैं। 0.2 मिमी और उससे अधिक मोटाई वाले दस्ताने एनपीयूसी माने जा सकते हैं। 0.2 मिमी और उससे अधिक मोटाई वाले दस्ताने बहु-उपयोग वाले दस्ताने हैं, जबकि पीयूसी एकल उपयोग वाला दस्ताना है। घ. आईएस 15354 के तहत आईएसआई/आई एसआई प्रमाणन चिकित्सा जांच रबर दस्ताने के लिए अनिवार्य नहीं है। बीआईएस घोषणा के बिना आयात किया जा रहा है,	शुरुआत अधिसूचना में आईएस 15354 का संदर्भ संबद्ध सामानों का वर्णन करता है और उन्हें दस्तानों की अन्य श्रेणियों से अलग करता है; यह स्पष्ट रूप से उस मानक के अनुरूप होने को विचाराधीन उत्पाद में शामिल करने की शर्त नहीं बनाता है। तदनुसार, प्राधिकारी केवल उस वर्णनात्मक संदर्भ के आधार पर आईएस 15354 के अनुरूप दस्तानों के लिए विचाराधीन उत्पाद को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। वर्तमान जांच के तहत कवरेज अधिसूचित उत्पाद क्षेत्र और अपवर्जनों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह निर्धारण किसी भी लागू नियामक आवश्यकता से छुटकारा नहीं दिलाता है या गैर-अनुरूप उत्पादों के निर्माण, आयात या बिक्री के लिए अनुमोदन नहीं करता है। 14. थाईलैंड के निर्यातक/उत्पादक ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या दस्ताने जो मिश्रित या मिश्रित हैं, अर्थात एनआर और एनबीआर के मिश्रण से बने हैं, पीयूसी के क्षेत्र में शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसकी सूचना के अनुसार, इस मिश्रित दस्ताने का भारत को निर्यात नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इसके लिए कोई बाजार नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि चूंकि कोई बाजार आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे नियमित रूप से उत्पाद का उत्पादन या बिक्री नहीं कर रहे हैं। हालाँकि, अपने उत्पाद श्रृंखला के हिस्से के रूप में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उन्होंने एनआर और एनबीआर दोनों वाले मिश्रित दस्ताने की कुछ मात्रा का उत्पादन किया है। पीयूसी के क्षेत्र में मिश्रित दस्ताने को शामिल करना उचित माना जाता है, यह देखते हुए कि घरेलू उद्योग ने पहले ही उत्पादन कर लिया है, भले ही इसकी मांग कम हो या बिल्कुल न हो। 15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआर और एनबीआर के मिश्रण का उपयोग करके दस्ताने बनाने की प्रक्रिया काफी हद तक एनआर या एनबीआर से बने दस्ताने बनाने के समान है, जिसमें केवल अंतर कच्चे माल की संरचना का है। आवश्यक उत्पादन प्रक्रिया और विनिर्माण सुविधाएं समान रहती हैं। इसलिए, केवल एनआर या एनबीआर से बने दस्तानों के क्षेत्र को सीमित करना, जबकि एनआर और एनबीआर के मिश्रण से बने दस्तानों को बाहर रखना, निर्यातकों और आयातकों को उत्पाद की कच्चे माल की संरचना को बदलने और इस प्रकार शुल्क के

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
प्रयोगशालाएं, फार्मास्यूटिकल्स, आतिथ्य, खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स। घ. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में केवल एनबीआर या एनआर से बने चिकित्सा जांच रबर दस्ताने और मिश्रण से बने दस्ताने बाहर रखे जाने चाहिए। ड. यह स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी अन्य सामग्री से बने दस्ताने, जिसमें विनाइल, नियोप्रिन या अन्य सिंथेटिक सामग्री शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, वर्तमान जांच के क्षेत्र में नहीं आते हैं। च. यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जांच का क्षेत्र गैरआक्रामक -	घरेलू उद्योग इससे अवगत है, और घरेलू उद्योग स्वयं गैर-बीआईएस प्रमाणित उत्पादों को बेचता है। ड. आवेदकों ने बीआईएस से आधिकारिक पुष्टि प्रस्तुत की है कि आईएस :15354 के तहत प्रमाणन विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है, जैसा कि 26 फरवरी 2024 को उपभोक्ता मामले विभाग बीआईएस) में बैठक (डिवीजन में पुष्टि की गई थी। च. जब तक क्यूसीओ जारी नहीं किया गया है, भारतीय मानक अनिवार्य नहीं है। निर्माताओं को बीआईएस मानक के बिना उत्पादों को बेचने की अनुमति है	आवेदन से बचने में सक्षम बना सकता है, उपायों की प्रभावशीलता को कमजोर कर सकता है। इस तरह की प्रवंचना को रोकने और लगाए गए किसी भी उपाय की उपचारात्मक प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए, प्राधिकारी एनआर और एनबीआर के मिश्रण से निर्मित दस्तानों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल करना उचित समझते हैं। 16. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर भी विचार किया है कि पीओआई के दौरान मिश्रित दस्ताने भारत को निर्यात नहीं किए गए थे। हालांकि, प्राधिकारी का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत मिश्रित दस्तानों को शामिल करना निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है, न कि केवल प्रवंचना को रोकने की आवश्यकता पर: (क) विचाराधीन उत्पाद को इसकी भौतिक, तकनीकी और अंतिम उपयोग विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया गया है, न कि पीओआई के दौरान वास्तव में कारोबार किए गए उत्पाद प्रकारों द्वारा; न तो नियमावली और न पाटनरोधी करार के लिए यह आवश्यक है कि विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार को पीओआई के दौरान भारत में निर्यात किया गया हो, और ईसी - सैल्मन (नॉर्वे) (डब्ल्यूटी/डीएस337/आर , पैरा 7.48 - 7.76) पैनल ने यह माना गया है कि करार में विचाराधीन उत्पाद पर एकरूपता की कोई आवश्यकता नहीं लगती है; (ख) मिश्रित दस्ताने एक ही दो कच्चे माल से, एक ही प्रक्रिया के माध्यम से और एक ही उत्पादन सुविधाओं पर बनाए जाते हैं, एक ही गैर-आक्रामक चिकित्सा जांच के लिए उपयोग किए जाते हैं, और एक ही मानक, आईएस 15354 (भाग 1): 2023 द्वारा कवर किया गया है, जिसमें प्राकृतिक रबर लेटेक्स और नाइटराइल जैसा कि बीआईएस ने अपने दिनांक 22 सितंबर 2026 के उत्तर में स्पष्ट किया है, नाइटराइल रबर सहित रबर लेटेक्स से बने एकल-उपयोग वाले चिकित्सा जांच दस्ताने शामिल हैं; वे तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से एनआर या एनबीआर से बने दस्तानों के साथ प्रतिस्थापित करने योग्य हैं; (ग) घरेलू उद्योग ने मिश्रित दस्ताने का उत्पादन किया है, और समान वस्तु भारत में उत्पादित की जाती है; (घ) मिश्रित दस्तानों को एक अलग पीसीएन कोड ('एम') सौंपा गया है, ताकि उनकी तुलना केवल मिश्रित दस्तानों से की जा सके, और उनका समावेश किसी भी निर्माता/निर्यातक के पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अभिप्रेत चिकित्साजांच रबर दस्ताने तक सीमित है, जैसा कि जांच शुरुआत अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में वर्णित है, और अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले गैरचिकित्सा -ग्रेड -या औद्योगिक दस्तानों तक विस्तारित नहीं है। छ. पाउडर मुक्त एनबीआर चिकित्सा जांच दस्ताने निम्नलिखित कारणों से पीयूसी के क्षेत्र से बाहर रखे जाने चाहिए: i. घरेलू उद्योग पाउडर मुक्त एनबीआर दस्ताने का उत्पादन नहीं करता है जो आईएसओ 11193 को पूरा करता है। ii. घरेलू उत्पाद के साथ टॉप ग्लव	यदि कोई क्यूसीओ जारी नहीं किया गया है। छ. चिकित्सा उपकरण नियामावली, 2017 में नियम 7, खंड 1 में उल्लेख है कि चिकित्सा उपकरणों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए। नियम 7 के खंड 2 में यह उल्लेख है कि बीआईएस द्वारा निर्धारित मानकों के अभाव में, किसी अन्य मानक का पालन किया जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि आईएस मानक अनिवार्य नहीं है। ज. दोनों आवेदक कंपनियों के पास बीआईएस प्रमाणन है और आईएस मानक का	पर कोई असर नहीं डालता है, जिसके पीओआई के दौरान भारत को निर्यात में ऐसे दस्ताने शामिल नहीं थे; और (ड.) मिश्रित दस्तानों पर स्पष्टीकरण स्वयं थाईलैंड के एक निर्माता/निर्यातक द्वारा मांगा गया था, जो दर्शाता है कि ऐसे दस्ताने संबद्ध देशों में वाणिज्यिक रूप से उत्पादित किए जाते हैं और भारत को निर्यात करने में सक्षम हैं। 17. थाईलैंड के निर्यातक/उत्पादक ने पाउडर चिकित्सा जांच रबर दस्ताने को बाहर करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग वाणिज्यिक मात्रा में पाउडर चिकित्सा जांच रबर दस्ताने का उत्पादन नहीं करता है और ऐसा करने की सीमित क्षमता है, इसलिए समान वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। यह नोट किया जाता है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने सत्यापित किया है और नोट किया है कि आवेदक कंपनियों में से एक, नवको इंडस्ट्रीज, केवल पाउडर चिकित्सा जांच रबर दस्ताने बेचती है। नवको इंडस्ट्रीज ने पूरी पीओआई के दौरान पाउडर प्राकृतिक रबर के दस्ताने का उत्पादन और बिक्री की। पीओआई के दौरान इसकी *** लाख पीसी की घरेलू बिक्री को निर्धारित लाभ में प्रस्तुत करके पीसीएन-वार उत्पादन, बिक्री और लागत आंकड़ों द्वारा समर्थित किया गया है, जिसे सत्यापित किया गया है, और जिसके आधार पर इन पीसीएन के लिए क्षति रहित कीमत निर्धारित की गई है। इसलिए, यह दावा कि समान वस्तु वाणिज्यिक मात्रा में हीं बनाई जाती है, रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है। तदनुसार, बाहर करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया है। 18. मलेशिया से निर्यातक/आयातक ने जांच शुरुआत अधिसूचना में परिभाषित पीयूसी के विवरण में कथित असंगति के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में केवल एनबीआर या एनआर से बने चिकित्सा जांच रबर दस्ताने शामिल हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र केवल एनबीआर, एनआर, या दोनों के मिश्रण से बने रबर के दस्ताने को कवर करता है। यदि कोई हो तो अन्य कच्चे माल से बने रबर के दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र से बाहर हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
ग्रुप के नमूनों की तुलना करने वाली स्वतंत्र लैब जांच, दीर्घीकरण और ब्रेक पर बल जैसे मापदंडों पर आईएसओ 11193 आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती है, जो दस्ताने निष्पादन, तन्य अखंडता और उपयोगकर्ता सुरक्षा के प्रमुख निर्धारक हैं। iii. आईएसओ मानक के साथ उत्पाद अनुपालन की सख्त आवश्यकता को देखते हुए, टॉप ग्लव समूह के घरेलू उत्पाद और उत्पाद तुलनीय नहीं हैं ज. उच्च श्रेणी के पाउडर मुक्त एनबीआर दस्ताने वर्तमान में घरेलू स्तर पर समतुल्य	अनुपालन करने वाले दस्ताने का उत्पादन करते हैं, वे ऐसे सामान का उत्पादन और बिक्री भी कर रहे हैं जो आईएस मानक का पालन नहीं करते हैं। यह स्वयं दर्शाता है कि उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के लिए आईएस मानक का अनुपालन अनिवार्य नहीं है। झ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि बीआईएस अनिवार्य है, लेकिन किसी ने यह नहीं दर्शाया है कि उनके पास बीआईएस लाइसेंस है या बीआईएस-अनुरूप दस्ताने निर्यात किए हैं, जिससे उनके दावे विरोधाभासी और निराधार हो जाते हैं। ञ. विचाराधीन	19. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पीयूसी के क्षेत्र को केवल गैर-आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अभिप्रेत चिकित्सा जांच रबर दस्ताने तक सीमित किया जाए, जिसमें अन्य क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले गैर-चिकित्सा और औद्योगिक-ग्रेड दस्ताने को क्षेत्र से बाहर रखा जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि जांच शुरुआत अधिसूचना में उत्पाद विवरण चिकित्सा जांच दस्ताने को उनके अभिप्रेत चिकित्सा उपयोग के संदर्भ में पहचानता है, ऐसे दस्ताने, उनके भौतिक और तकनीकी विशेषताओं के आधार पर, चिकित्सा क्षेत्र से परे अनुप्रयोगों की एक श्रृंखला में उपयोग किए जाने में सक्षम हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक चिकित्सा जांच दस्ताने को केवल इस आधार पर क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता है कि यह किसी दिए गए उदाहरण में, गैर-चिकित्सा अंतिम उपयोग के लिए रखा गया है। तदनुसार, जहां चिकित्सा जांच रबर दस्ताने चिकित्सा जांच के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, ऐसे दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र में आते रहेंगे। 20. जहां तक उच्च श्रेणी के पाउडर मुक्त एनबीआर चिकित्सा जांच दस्ताने को बाहर करने के अनुरोध का संबंध है, चूंकि घरेलू उद्योग ने पाउडर मुक्त एनबीआर दस्ताने का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसे बाहर नहीं रखा गया है। इसके अलावा, दस्तानों की "उच्च श्रेणी" के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई विनिर्देश प्रदान नहीं किया गया है। दूसरे हितबद्ध पक्षकार ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य भी नहीं दिया है कि घरेलू उत्पाद आयातित संबद्ध वस्तुओं से अलग है या दोनों के बीच परस्पर परिवर्तनीयता का अभाव है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वाडी सर्जिकल पाउडर-मुक्त एनबीआर चिकित्सा जांच दस्ताने का उत्पादन और बिक्री करता है और दोनों आवेदक कंपनियां आईएस 15354 के तहत बीआईएस लाइसेंस रखती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वाडी सर्जिकल ने वाणिज्यिक मात्रा में पीओआई के दौरान पाउडर-मुक्त एनबीआर दस्ताने (पीसीएन एनबीआरपीएफएनएस1 और एनबीआरपीएफएनएस2) का उत्पादन और बिक्री की, और इन पीसीएन के लिए क्षतिरहित कीमत उसके सत्यापित लागत आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा भरोसा किए गए प्रयोगशाला जांच रिपोर्टों का संबंध है, रिपोर्ट सीमित

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
रूप में नहीं बनाए जाते हैं और इसलिए क्षति और कीमत तुलना में विकृतियों से बचने के लिए अलग से विचार किया जाना चाहिए। झ. कच्चे माल, भौतिक विशेषताओं, गुणवत्ता मानकों में पर्याप्त अंतर हैं, जो पीयूसी की लागत और कीमत को प्रभावित करते हैं, इसलिए पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया जाना चाहिए। ञ. पीयूसी के भीतर अलग-अलग लागत और कीमतों के परिणामस्वरूप (i) कच्चा माल, (ii) पाउडर/स्नेहक सामग्री का उपयोग, और (iii) वजन, (iv) सतह परिष्करण, (v) प्रारूप, (vi) स्टेरीलाइजेशन, (vii) रंग/ग्रेड, और (viii)	उत्पाद का क्षेत्र आवेदन-पत्र में बताए गए और पीयूसी-पीसीएन अधिसूचना में अधिसूचित के समान होना चाहिए। ट. पीयूसी दो आकारों में निर्मित किया जाता है, जो छोटी लंबाई और लंबी लंबाई है। छोटी लंबाई हाथ की हथेली तक कवर करती है, जबकि लंबी लंबाई कोहनी या मध्य-बांह तक कवर करती है। ठ. रंगीन और गैर-रंगीन की लागत के बीच अंतर; प्रारूप और सतह परिष्करण महत्वहीन हैं, इस प्रकार पीसीएन को इन मापदंडों के आधार पर नहीं होना चाहिए। ड. दोनों हाथों में आम उपयोग के लिए	संख्या में नमूनों और बढ़ाव और ब्रेक पर बल जैसे मापदंडों से संबंधित हैं; वे यह सिद्ध नहीं करते हैं कि आयातित दस्ताने अलग-अलग भौतिक विशेषताओं या अंतिम उपयोगों के साथ एक अलग उत्पाद का गठन करते हैं। इसके अलावा, आईएसओ 11193 के अनुरूप होना प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित उत्पाद क्षेत्र का मानदंड नहीं है। 21. इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या क्लोरीनीकृत दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र का हिस्सा हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि 2 दिसंबर 2025 की स्कोप अधिसूचना के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से क्लोरीनयुक्त दस्ताने विशेष रूप से बाहर रखे गए हैं। 22. स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या प्राकृतिक रबर लेटेक्स और नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स के अलावा अन्य सामग्रियों से बने दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र में शामिल हैं। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग प्राकृतिक रबर लेटेक्स या नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स के अलावा अन्य सामग्रियों का उपयोग करके पीयूसी का उत्पादन और बिक्री नहीं करता है। चूंकि किसी अन्य सामग्री के माध्यम से दस्ताने का कोई उत्पादन नहीं है, इसलिए पीयूसी के क्षेत्र में उचित रूप से केवल प्राकृतिक रबर लेटेक्स या नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स या उसके मिश्रण से बने दस्ताने शामिल हैं। 23. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है ताकि चिकित्सा जांच रबर दस्ताने को अन्य प्रकार के रबर दस्ताने से अलग दिखाया जा सके जिन्हें विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। दस्ताने के निम्नलिखित प्रकार वर्तमान जांच में पीयूसी के क्षेत्र से परे हैं। क. सर्जिकल दस्ताने, ख. औद्योगिक/घरेलू/सफाई दस्ताने ग. विनाइल दस्ताने घ. नियोप्रीन दस्ताने 24.ये दस्ताने कच्चे माल, डिजाइन, भौतिक विशेषताओं और इच्छित उपयोग के संदर्भ में भिन्न होते हैं। सर्जिकल दस्ताने मुख्य रूप से आक्रामक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं और डिजाइन,

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
बनावट जैसे प्रमुख कारक हैं। ट. प्रस्तावित दृष्टिकोण व्यापार उपचारात्मक जांचों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के अनुरूप है, जैसे कि चीन, मलेशिया और थाईलैंड से गैर-सर्जिकल चिकित्सा दस्ताने के आयात पर ब्राजील की डीईसीओएम। ठ. आईएसओ 11193-1, आईएस 15354, आईएस 15453, एएसटीएम, ईएन, और एफडीए मेडिकल-ग्रेड आवश्यकताओं जैसे मानकों को पूरा करने वाले दस्तानों का मूल्यांकन उसी श्रेणी के भीतर किया जाना चाहिए क्योंकि औद्योगिक दस्तानों की तुलना में उनकी अलग-अलग अनुपालन	बनाए गए दस्तानों में बाएं और दाएं के लिए विशेष रूप से बनाए गए दस्तानों के बीच कोई लागत अंतर नहीं है, केवल मोल्ड अलग है। ढ. वजन और मोटाई आपस में जुड़ी हुई हैं और पीसीएन बनाने के उद्देश्यों के लिए एक सीमा में मानी जा सकती हैं। दस्ताने की मोटाई सीधे वजन और उपयोग की गई सामग्री की मात्रा को प्रभावित करती है, जिससे लागत में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। दस्तानों के अलग-अलग वजन और मोटाई के बीच लागत का अंतर 5% से अधिक है क्योंकि अलग-अलग मोटाई के लिए प्रत्येक वजन सीमा में उपयोग की जाने वाली कच्चे माल	शारीरिक फिट, सटीकता, स्टेरिलिटी और लागू गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में अधिक कठोर आवश्यकताओं के लिए निर्मित होते हैं। औद्योगिक, घरेलू और सफाई दस्ताने सफाई, बागवानी, औद्योगिक और संबंधित अनुप्रयोगों के लिए अभिप्रेत हैं और अधिक मोटाई, भारी और अधिक टिकाऊपन और बार-बार उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। विनाइल दस्ताने पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) से निर्मित होते हैं और मुख्य रूप से कम जोखिम वाले खाद्य सेवा और सफाई अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि नियोप्रीन दस्ताने नियोप्रीन से निर्मित होते हैं और आम तौर पर रसायनों, सॉल्वैंट्स और अत्यधिक तापमान के प्रतिरोध की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। 25. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कच्चे माल, पाउडरिंग, स्टेरलाइजेशन, वजन, मोटाई, सतह परिष्करण के संबंध में दस्ताने की ये श्रेणियां काफी भिन्न हैं। 26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2 दिसंबर 2025 की स्कोप अधिसूचना के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से विशेष रूप से क्लोरीनेटेड दस्ताने को बाहर रखा गया है। तदनुसार, उन्हें वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए दस्तानों की प्रतिस्पर्धी या प्रतिस्थापनीय श्रेणी के रूप में नहीं माना गया है। <u>पीसीएन से संबंधित मुद्दों की जांच:</u> 27. सतह परिष्करण-निर्यातकर्ता ने अनुरोध किया है कि पीसीएन में सतह परिष्करण जैसे चिकना या बनावट शामिल होना चाहिए। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चिकने और बनावट वाले दस्तानों की लागत में अंतर नगण्य है। प्राधिकारी ने विशेष रूप से हितबद्ध पक्षकारों को अपने पत्र दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के माध्यम से सलाह दी थी कि पीसीएन मापदंडों पर प्रस्तावों को लागत और कीमतों में अंतर के सत्यापन योग्य दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है जिससे पता चले कि सतह की फिनिश के कारण उत्पाद की लागत में कोई अंतर है। चूंकि 5% से अधिक लागत अंतर नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसे पीसीएन मापदंड के रूप में मानना उचित नहीं था।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
आवश्यकताएं और लागत संरचनाएं हैं। ड. दस्ताने का वजन दस्ताने के आकार, स्पर्श संवेदनशीलता, निपुणता आवश्यकताओं, एर्गोनोमिक डिजाइन, विनिर्माण प्रौद्योगिकी के कारण स्वाभाविक रूप से भिन्न होता है। वैश्विक बाजारों में कीमत निर्धारण केवल वजन से निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि इससे भ्रामक परिणाम सामने आ सकते हैं जो वाणिज्यिक या तकनीकी वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। ढ. क्या वजन को पीसीएन मापदंड के रूप में माना जाना चाहिए, इसे 2-4 ग्राम (पतले दस्ताने), 4-6 ग्राम	की मात्रा अलग-अलग होगी। ण. (i)प्रयुक्त कच्ची सामग्री,(ii) पाउडर/स्नेहक सामग्री के उपयोग, (iii) दस्ताने की लंबाई, (iv) स्टेरीलाइजेशन और (v) दस्ताने के वजन के आधार पर पीसीएन प्रस्तावित किया गया है। त. पुन: प्रयोज्य रबर दस्ताने का कोई अन्य रूप, जैसे कि सर्जिकल दस्ताने, औद्योगिक दस्ताने और घरेलू दस्ताने जो बागवानी, सफाई आदि जैसे अनुप्रयोगों में पुन: प्रयोज्य दस्ताने हैं, विनाइल दस्ताने, क्लोरीनेटेड दस्ताने और नियोप्रीन या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने दस्ताने भी बाहर रखे गए हैं। थ. क्लोरीनेटेड दस्तानों	28. प्रारूप- निर्यातक ने अनुरोध किया है कि पीसीएन में दस्तानों के प्रारूप जैसे कि एम्बिडेक्सट्रस या एनाटॉमिकल शामिल होने चाहिए, जिसमें कीमतों और लागतों में 450% से अधिक का अंतर बताया गया है। घरेलू उद्योग, जिसने मापदंड का विरोध किया, ने अनुरोध किया कि दोनों प्रारूपों के बीच कोई लागत अंतर नहीं है, क्योंकि एक ही उत्पादन लाइन, कच्चा माल और प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और केवल पूर्व (मोल्ड) भिन्न होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 5% से अधिक लागत अंतर प्रदर्शित करने का दायित्व पीसीएन मापदंड प्रस्तावित करने वाले पक्षकार पर है। निर्यातक, जिसने 450% से अधिक के अंतर का दावा किया, ने लागत और कीमतों में अंतर के सत्यापन योग्य साक्ष्य द्वारा समर्थित पीसीएन प्रस्तावों की आवश्यकता वाले प्राधिकारी के 6 अक्टूबर 2025 के पत्र के बावजूद, अपने दावे के समर्थन में कोई लागत रिकॉर्ड या गणना प्रस्तुत नहीं की। इसके अलावा, चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आमतौर पर सव्यसाची होते हैं, शारीरिक डिजाइन सर्जिकल दस्तानों की एक विशेषता है, जैसा कि उत्पाद विवरण में उल्लेख किया गया है। लागत अंतर के 5% से अधिक के साक्ष्य की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी पीसीएन के लिए प्रारूप को एक मापदंड के रूप में नहीं मानते है। 29. रंग- निर्यातक ने अनुरोध किया है कि पीसीएन में रंगीन और गैर-रंगीन दस्ताने शामिल करने के लिए दस्तानों का रंग शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विभिन्न रंगों के बीच बहुत मामूली लागत अंतर है। रंगीन और गैर-रंगीन दस्तानों की लागत में अंतर, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा कहा गया है, 5% की सीमा से काफी नीचे है। दूसरी ओर, निर्यातक ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में कोई लागत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी इसे पीसीएन के लिए एक मापदंड नहीं मानते हैं। 30. लंबाई- घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि लंबाई का उपयोग पीसीएन के लिए एक मापदंड के रूप में किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग आम बाजार की भाषा में किया जाता है। हालाँकि, यह नोट किया जाता है कि चूँकि वजन को पीसीएन मापदंड के रूप में माना गया है, इसलिए दस्ताने की लंबाई पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दस्ताने का वजन उसकी लंबाई और मोटाई और कच्चे माल की खपत की मात्रा का

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
(सामान्य दस्ताने), और 6-8 ग्राम (मोटे दस्ताने) जैसे रेंज में कैप्चर किया जाना चाहिए। ण. जांच शुरुआत अधिसूचना में पीयूसी के क्षेत्र में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि "चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं"। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे मानकों को पूरा नहीं करने वाले दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र से बाहर हैं और तदनुसार पीयूसी के क्षेत्र को "चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आईएस 15354" के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए। त. चिकित्सा जांच रबर दस्ताने ड्रग औषध और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के	को बाहर रखने के संबंध में, उत्तरदाता ने बायो मेडिकल वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमावली, 2016 ("बीएमडब्ल्यू नियम") पर भरोसा किया। बीएमडब्ल्यू नियमावली के लिए सभी अंतिम उपयोगों के लिए नहीं, केवल निर्दिष्ट श्रेणियों (अस्पताल,क्लीनिक, प्रयोगशाला, ब्लड बैंक आदि) के लिए क्लोरीनयुक्त दस्ताने चरणबद्ध तरीके से हटाने की आवश्यकता है। द. हालाँकि, वर्तमान जाँच में पीयूसी चिकित्सा उपयोग तक सीमित नहीं है। प्राधिकारी की अपनी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबद्ध सामानों के कई अंतिम उपयोग	एक कार्य है, जो लागत का प्रमुख संचालक है, वजन द्वारा पकड़ा जाता है। लंबे दस्ताने तदनुसार भारी होते हैं और उच्च वजन बैंड में आते हैं; उदाहरण के लिए, सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा रिपोर्ट किए गए निर्यात लेनदेन में, 240 मिमी लंबाई के दस्ताने जिनका वजन 4.0 से 5.8 ग्राम तक होता है, वजन बैंड 1 और 2 में आते हैं, जबकि 295 मिमी लंबाई के दस्ताने जिनका वजन 8.0 ग्राम होता है, वजन बैंड 3 में आते हैं। इसलिए, एक अलग मापदंड के रूप में लंबाई को अपनाने से वजन के प्रभाव को दोहराया जाएगा, बिना किसी अतिरिक्त लागत अंतर को पकड़े, और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वजन से स्वतंत्र रूप से लंबाई के लिए जिम्मेदार लागत अंतर नहीं दर्शाया है। 31. वजन और मोटाई- घरेलू उद्योग और आयातक ने अनुरोध किया है कि पीसीएन के लिए दस्ताने के वजन को एक मापदंड के रूप में माना जाए। थाईलैंड के निर्यातक ने अनुरोध किया है कि वजन में भिन्नता पैदा करने वाले अन्य कारक होंगे और इसलिए यह एक विश्वसनीय मापदंड नहीं हो सकता है। यह देखा जाता है कि दस्तानों का वजन उत्पाद की लागत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि दस्ताने की मोटाई सीधे उसके वजन को प्रभावित करती है और उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल की मात्रा को अलग-अलग करती है, जिससे लागत में महत्वपूर्ण भिन्नता होती है। तदनुसार, प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति में भार को एक मापदंड के रूप में शामिल करना उचित समझा। घरेलू उद्योग ने अलग-अलग वजन के दस्तानों के बीच लागत अंतर का प्रमाण प्रदान किया है जिससे पता चलता है कि अंतर 5% से अधिक है। यह घरेलू उद्योग के सत्यापित पीसीएन-वार आंकड़ों से पता चलता है, जो दर्शाता है कि वजन बैंड 2 में पाउडर-मुक्त एनबीआर दस्ताने की क्षतिरहित कीमत वजन बैंड 1 की तुलना में लगभग ***% अधिक है, और वजन बैंड 2 में पाउडर एनआर दस्ताने की कीमत वजन बैंड 1 की तुलना में लगभग ***% अधिक है, साथ ही सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के सत्यापित लागत आंकड़ों से भी पता चलता है, जो आसन्न वजन बैंड के बीच 10% से अधिक का अंतर दर्शाता है। 32. पीयूसी के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग से प्राप्त विभिन्न टिप्पणियों की गहन जांच के बाद,

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
तहत जारी अधिसूचना एसओ 648 (ई) के तहत "चिकित्सा उपकरणों" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, और इसलिए चिकित्सा उपकरण नियमावली,2017 (एमडीआर) के तहत विनियमित हैं। थ. भारत सरकार (लोकसभा का उत्तर दिनांक 08 अगस्त 2025) ने पुष्टि की कि एमडीआर के तहत चिकित्सा और सर्जिकल दस्ताने विनियमित हैं और उन्हें निर्धारित मानकों को पूरा करना चाहिए। औषधि विभाग (सार्वजनिक सूचना दिनांक 01 फरवरी 2022) ने नियम 7 के तहत अनिवार्य अनुपालन के साथ एकल उपयोग चिकित्सा जांच दस्ताने के लिए	हैं, अर्थात फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य, आदि। इसलिए, क्लोरीनेटेड दस्ताने पीयूसी के क्षेत्र में ही रहने चाहिए।	प्राधिकारी ने पीयूसी के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को स्पष्ट किया और इसे अधिसूचना (जिसे इसके बाद "स्कोप अधिसूचना" के रूप में संदर्भित किया गया है) दिनांक 2 दिसंबर 2025 के रूप में अधिसूचित किया, जो इस प्रकार है: *"विचाराधीन उत्पाद चिकित्सा जांच रबर दस्ताने हैं। यह नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स या प्राकृतिक रबर लेटेक्स या उनके मिश्रण से बना होता है। रबर के दस्ताने के अन्य सभी प्रकार, जैसे कि सर्जिकल दस्ताने, औद्योगिक, घरेलू, बागवानी, सफाई आदि जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले दस्ताने, विनाइल दस्ताने, क्लोरीनेटेड दस्ताने, नियोप्रीन या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने दस्ताने विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।* *चिकित्सा जांच रबर दस्ताने बाजार में उनके उपयोग/अंतिम अनुप्रयोग, स्टेरिलिटी, गुणवत्ता मानकों/विनियमों, उनकी संरचना, मोटाई और डिजाइन के आधार पर अन्य दस्तानों से अलग हैं। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने गैर-आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं से जुड़े चिकित्सा उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं जिसमें नियमित शारीरिक जांच, दवाएं देना और ऐसे कार्य शामिल हैं जिनमें बाहरी शरीर के साथ संपर्क शामिल है। इसके अलावा, इनका उपयोग रासायनिक विनिर्माण और प्रयोगशालाओं, दवा कार्यों, आतिथ्य क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे उद्योगों में भी किया जा सकता है। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने सर्जिकल दस्ताने से अलग हैं।* *चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आमतौर पर नॉन-स्टेराइल होते हैं जबकि सर्जिकल दस्ताने अनिवार्य रूप से आंतरिक शरीर के ऊतकों के संपर्क के लिए स्टेराइल होते हैं। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं जबकि सर्जिकल दस्ताने सर्जिकल अनुप्रयोगों के लिए आईएसआई 3422/एएसटीएम डी 3577 या ईएन 455-2 जैसे सख्त अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने आमतौर पर सब्यसाची होते हैं, और उनकी मोटाई अनुप्रयोग पर निर्भर करती है,*

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
संगत मानक के रूप में आईएस 15354: भाग 1 की पहचान की। द. एमडीआर के नियम 7 के अनुसार चिकित्सा उपकरणों को बीआईएस मानकों या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एमडीआर के अनुरूप होना चाहिए, जो डग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत तैयार किया गया है, जहां ऐसे मानक मौजूद हैं। चिकित्सा जांच के लिए रबर के दस्ताने, लागू मानक आईएस 15354 है। ध. एक स्टैंडअलोन क्यूसीओ के बिना भी, एक बार जब कोई उत्पाद एमडीआर के तहत एक चिकित्सा उपकरण के रूप में		*लेकिन आईएस मानकों के अनुरूप होती है, जबकि सर्जिकल दस्ताने शारीरिक रूप से सटीकता और आराम के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।"* <u>पीसीएन पद्धति</u> **क्र. सं. / मापदंड / मूल्य / कोड** 1 / कच्चा माल / प्राकृतिक रबर / एनआर नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर / एनबीआर मिश्रित गलव्स / एम 2 / पाउडर या नहीं / पाउडर वाले / पी बिना पाउडर वाले / पीएफ 3 / स्टेरलाइजेशन / स्टराइल / एस नॉन-स्टेराइल / एनएस 4 / वजन / 2 ग्राम और उससे अधिक, लेकिन 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं / 1 4 ग्राम से अधिक, लेकिन 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं / 2 6 ग्राम से अधिक, लेकिन 8 ग्राम से ज़्यादा नहीं / 3 8 ग्राम से अधिक / 4 33. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची 1 के उपशीर्ष 4015 12 00 के तहत अध्याय 40 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि, संबद्ध सामानों को कोड 4015 11 00, 4015 19 00, 4015 90 30, और 4015 90 99 के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
योग्य हो जाता है, तो संगत बीआईएस मानक के साथ अनुरूपता अनुपालन मूल्यांकन के लिए एक नियामक बेंचमार्क बन जाती है। न. गैर-चिकित्सा दस्ताने बिना बीआईएस प्रमाणन के बेचे जा सकते हैं यदि कोई क्यूसीओ लागू नहीं होता है, लेकिन एमडीआर व्यवस्था के तहत आईएस 15354 का पालन किए बिना भारत में चिकित्सा जांच रबर दस्ताने बेचे नहीं जा सकते हैं। प. सीडीएससीओ नियम 7 का अनुपालन लागू करता है, बीआईएस नहीं। 29 मई 2024 के सीडीएससीओ परिपत्र में पुष्टि की गई है कि आईएस 15354 अनिवार्य है।		नहीं है। 34. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कच्चे माल, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान और संबद्ध देशों से आयातित सामान नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के क्षेत्र और अभिप्राय से संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं। 35. विचाराधीन उत्पाद का अंतिम क्षेत्र: उपर्युक्त को देखते हुए, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, जैसा कि अंततः निर्धारित किया गया है, नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर लेटेक्स, प्राकृतिक रबर लेटेक्स, या उसके मिश्रण से बना "चिकित्सा जांच रबर दस्ताने" है, जैसा कि ऊपर पुन:प्रस्तुत दिनांक 2 दिसंबर 2025 के स्कोप अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है। सर्जिकल दस्ताने, औद्योगिक, घरेलू, बागवानी और सफाई जैसे अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले दस्ताने, विनाइल दस्ताने, क्लोरीनेटेड दस्ताने और नियोप्रीन या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने दस्ताने शामिल नहीं हैं। परिभाषित उत्पाद के अंतर्गत, निर्यात कीमत के साथ सामान्य मूल्य की तुलना, और पहुंच कीमत के साथ क्षतिरहित कीमत की तुलना, ऊपर तालिकाबद्ध पीसीएन पद्धति के आधार पर की गई है, जिसमें कच्चा माल (एनआर/एनबीआर/एम), पाउडर या पाउडर-मुक्त (पी/पीएफ), स्टेराइल या गैर-स्टेराइल (एस/एनएस) और चार वजन बैंड (1 से 4) शामिल हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
सीडीएससीओ ने स्पष्ट किया कि जहां बीआईएस मानक मौजूद है, वहां चिकित्सा उपकरणों की जांच उस बीआईएस मानक के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिससे आईएस 15354 अनुपालन की अनिवार्य प्रकृति को बल मिलता है। फ. सीडीएससीओ के अनुसार, एमडीआर 2017 सभी श्रेणियों के दस्तानों पर लागू नहीं होता है। एमडीआर 2017 की प्रयोज्यता सर्जिकल दस्ताने, चिकित्सा जांच दस्ताने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत अन्य दस्तानों तक सीमित है। ब. आयात के समय चिकित्सा जांच दस्तानों का यादृच्छिक जांच आईएस 15354 के		

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	घरेलू उद्योग के विचार	प्राधिकारी द्वारा जांच
अनुपालन की जांच के लिए किया जाता है, जैसा कि जांच आवश्यकता सूचना और प्रस्तुत नमूना जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है। यह पुष्टि करता है कि आईएस 15354 का अनुपालन अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से लागू किया जाता है।		

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 36. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. घरेलू उद्योग के रूप में आवेदकों के आधार की पुन: जांच उनके यह स्वीकार करने को देखते हुए, किए जाने आवश्यकता है, कि कई अन्य भारतीय उत्पादकों या कंपनियों के पास पीयूसी का उत्पादन करने की क्षमता है। ख. पीयूसी का उत्पादन करने की क्षमता	**घरेलू उद्योग के विचार** 37. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क.आवेदन-पत्र मेसर्स नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मेसर्स वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कंपनियां एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ख. आवेदन-पत्र का समर्थन मैसर्स कूव आईओटी प्रा. लिमिटेड, मेसर्स लेट्रिल ग्लव्स प्रा. लिमिटेड और मैसर्स टेगामेन सेफ्टी	**प्राधिकारी द्वारा जांच** पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है: *38. '(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"* 39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र मेसर्स नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और मेसर्स वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। दोनों आवेदक कंपनियां एमएसएमई हैं और उन्होंने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सभी आवश्यक सूचना प्रदान की है। 40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र मसर्स कूव आईओटी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लैट्रिल ग्लव्स प्रा. लिमिटेड, और मेस टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा समर्थित है, जो पीओआई के दौरान पीयूसी के अन्य भारतीय उत्पादक हैं। इसके अलावा, एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लिमिटेड ने चिकित्सा जांच रबर दस्ताने बनाने की क्षमता स्थापित की है और वर्तमान जांच का भी समर्थन किया है। 41. समर्थक निर्माताओं की भूमिका के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि नियम 5 (1) घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से आवेदन-पत्र दायर करने की अनुमति देता है, और यह आवश्यक नहीं है कि समान वस्तु का प्रत्येक उत्पादक आवेदक के रूप में आवेदन-पत्र में शामिल हो। मेसर्स कूव आईओटी प्रा. लिमिटेड, मेस लैट्रिल ग्लव्स प्रा. लिमिटेड, मेसर्स टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड और मेसर्स एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लिमिटेड ने आवेदन-पत्र के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और पीओआई के दौरान उनके पीयूसी का उत्पादन रिकॉर्ड पर

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
रखने वाले उत्पादकों को बाहर करके, घरेलू उद्योग ने नियम 5 (3) के तहत "प्रमुख अनुपात" की सीमा को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से अपने हिस्से को बढ़ा दिया है। प्राधिकारी द्वारा इस चयनात्मक समावेशन को नजरअंदाज करने का अनुरोध किया गया है। ग. कोव आईओटी प्राइवेट लिमिटेड, टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड, और लैट्रिल ग्लव्स प्रा. लिमिटेड का उत्पादन पर्याप्त है और	प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने किया है, जो पीओआई के दौरान पीयूसी के एकमात्र अन्य भारतीय उत्पादक हैं जिन्होंने वर्तमान जांच का समर्थन किया है। ग. इसके अलावा, सेंट मैरीज रबर प्रा. लिमिटेड, ह्यूबर्टस मेडिकल्स और एलेस्को सर्जिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड ने चिकित्सा जांच रबर दस्ताने बनाने की क्षमता स्थापित की है। एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लिमिटेड ने भी वर्तमान जांच में समर्थन किया है। घ. घरेलू उद्योग एक नया उद्योग है क्योंकि मेसर्स नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने 2022 - 2023 में उत्पादन शुरू किया, और मेसर्स वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड ने	है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। ये उत्पादक वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हैं, और उनके समर्थन और उत्पादन आंकड़ों पर केवल नियम 5 (3) के तहत आधार की जांच के लिए भरोसा किया गया है। खंड-III में क्षति विश्लेषण, तदनुसार, आवेदक कंपनियों तक ही सीमित है, जो नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग बनाते हैं। हालांकि, प्राधिकारी ने मांग और बाजार हिस्सेदारी निर्धारित करने में अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री को ध्यान में रखा है, और नोट करते हैं कि पीओआई में मांग में उनका संयुक्त हिस्सा लगभग ***% (0-10% की सीमा) था। किसी आवेदन-पत्र का समर्थन करने या उसमें शामिल न होने का निर्णय अपने आप में उस उत्पादक को क्षति के न होने का संकेत नहीं देता है, न ही यह इस बात पर असर डालता है कि क्या आवेदक कंपनियां, जो घरेलू उद्योग का हैं, को वास्तविक क्षति हुई है। 42. जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित कंपनियों का संदर्भ दिया है और उल्लेख किया है कि ये कंपनियां, श्री अनुशाम रबर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. लिमिटेड, श्री एमआरके हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड, अमीगो सर्जी-केयर प्रा. लिमिटेड, और सारा हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड भी पीयूसी-आरआर लेटेक्स के उत्पादक हैं। यह एमआरके हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में देखा जाता है कि इस कंपनी ने वर्तमान जांच में आयातक के रूप में भाग लिया है। अमीगो और सारा हेल्थकेयर के संबंध में दावे के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वेबसाइटों पर उत्पाद लिस्टिंग की मात्र मौजूदगी भारत में पीयूसी के वाणिज्यिक उत्पादन और बिक्री सिद्ध नहीं करती हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ये कंपनियों दस्तानों के निर्माण के बजाय उनकी पैकेजिंग में लगी हुई हैं और तदनुसार व्यापारी/पैकेजर हैं और पीयूसी के उत्पादक नहीं हैं। इन कंपनियों के लिए कोई सत्यापित उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और इन कंपनियेां ने उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति सिद्ध करने के लिए जांच में भाग नहीं लिया है। 43.. प्राधिकारी आवेदक के दायित्व को ऐसी सूचना के आधार पर संगत सूचना प्रदान करने के लिए मान्यता देते हैं जो उचित रूप से उपलब्ध है। यह देखा जाता है कि आवेदकों ने जांच शुरू होने से पहले विभिन्न ज्ञात निर्माताओं को लिखा था, जिसमें आरआर लेटेक्स और श्री अनुशम

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
कुल उत्पादन का लगभग 35% है। इसलिए, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) (क) के साथ पठित नियम 2 (ख) के अनुसार, घरेलू उद्योग के आधार का पता लगाने और बाद में क्षति विश्लेषण के लिए इन उत्पादकों के आंकड़ों का विश्लेषण करना आवश्यक है। घ. नियम 6 और 7 के तहत महत्वपूर्ण सूचना, जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा किया गया कोई भी पत्राचार,	2023 - 2024 में उत्पादन शुरू किया। हालाँकि, उत्पाद के लिए भारतीय उद्योग कोई नया उद्योग नहीं है क्योंकि देश में संबद्ध सामानों के घरेलू उत्पादकों में से एक है अर्थात मेस टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड, 2021 - 2022 से उत्पादन में है। ड. आवेदकों ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, न ही यह संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक या निर्यातक से संबद्धत हैं। आवेदक भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं हैं। च. आवेदक नियम 2 (ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू हैं, और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में	रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। विशेष रूप से उन कंपनियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जो कथित तौर पर पीयूसी के उत्पादक हैं, न कि उत्पाद के व्यापारी या आयातक। जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि आवेदक नियमावली के तहत आधार की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, प्राधिकारी नोट करते है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। 44. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों की विस्तार से जांच की है। आधिकारिक राजपत्र में और डीजीटीआर वेबसाइट पर प्रकाशित जांच शुरुआत अधिसूचना के अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा पहचाने गए विभिन्न पक्षों को लिखा, जिसमें आरआर लेटेक्स और श्री अनुशम रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन दोनों कंपनियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी कंपनी द्वारा केवल संभावित बिक्री उसे उत्पादक के रूप में पात्र बनाने के लिए अपर्याप्त है और न ही उसके उत्पादन को मापने के लिए पर्याप्त है। प्राधिकारी को उत्पादन के संबंध में मात्रात्मक सूचना की आवश्यकता होती है। इन पक्षकारों ने कोई भी सूचना /साक्ष्य रिकॉर्ड में नहीं रखा है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मात्र क्षमता की मौजूदगी, या उत्पादन करने की एक घोषित क्षमता, अपने आप में किसी इकाई को घरेलू उत्पादक के रूप में पात्र नहीं बनाती है और नियम 5 (3) के तहत आधार निर्धारित करने के उद्देश्य से उनके उत्पादन को मापने के लिए अपर्याप्त है। 45. प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नामित कंपनियों के संबंध में अपनाया गया दृष्टिकोण सहायक उत्पादकों के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्राधिकारी द्वारा लिया गया विशिष्ट रुख अंतर रिकॉर्ड पर मात्रात्मक सूचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है, न कि दावे के स्रोत पर। सहायक उत्पादकों का उत्पादन लिखित रूप में रिकॉर्ड पर है, उन उत्पादकों द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है, और किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विपरीत साक्ष्य के साथ इसका खंडन नहीं किया गया है। इसके विपरीत, आरआर लेटेक्स और श्री अनुशम रबर इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने न तो आवेदकों को और न ही प्राधिकारी को कोई उत्तर दिया है, और

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
समर्थन पत्र या अन्य सामग्री शामिल है, को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रभावी जांच और खंडन की अनुमति देने के लिए एक सार्थक अगोपनीय रूप में रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। हालाँकि, घरेलू उद्योग द्वारा इसे रोक दिया गया था। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आवेदकों को इस संबंध में पूरी सूचना रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दें। ड. घरेलू उद्योग का कम घरेलू उत्पादन का दावा	अनुसार मानदंडों को पूरा करता है।	किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने उनके पीयूसी के उत्पादन पर कोई मात्रात्मक सूचना रिकॉर्ड पर नहीं रखी है। इसके अलावा, खंड-ग में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन पर की गई टिप्पणियां इस अलग प्रश्न से संबंधित हैं कि क्या समान वस्तु का उत्पादन भारत में किया जाता है, जो उत्पाद क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए संगत है और उत्पाद प्रकार के उत्पादन की मौजूदगी पर निर्भर करता है, जबकि नियम 5 (3) के तहत आधार होने के लिए पीओआई के दौरान उत्पादन का परिमाणीकरण आवश्यक है। फिर भी, प्राधिकारी ने अपने निर्धारण की संवेदनशीलता की जांच की है: आवेदक कंपनियों की हिस्सेदारी भारतीय उत्पादन के 25% या उससे अधिक रहेगी, जब तक कि ऐसी कंपनियों का अप्रमाणित उत्पादन लगभग *** लाख पीस से अधिक नहीं हो जाता, यानी नीचे निर्धारित भारतीय उत्पादन का लगभग ***%, और आवेदन-पत्र का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले उत्पादकों का कुल उत्पादन में 25% से अधिक बना रहेगा और समर्थन या विरोध व्यक्त करने वाले उत्पादकों का कुल उत्पादन में हिस्सा बना रहेगा। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इन कंपनियों द्वारा उस क्रम के उत्पादन का सुझाव नहीं दिया है, बल्कि प्रमाणित भी नहीं किया है। 46. यह नोट किया जाता है कि आवेदक कंपनियों ने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेनदेन-वार आंकड़ों की जांच की और पाया कि आवेदक कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं किया गया है 47. रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादन और भारतीय उत्पादन में आवेदक कंपनियों की हिस्सेदारी का निर्धारण निम्नानुसार किया है। यह देखा जाता है कि आवेदक कंपनियों की हिस्सेदारी कुल भारतीय उत्पादन का ***% (25-35% की रेंज) है।

<table>
<tr><th>हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां</th><th>घरेलू उद्योग की टिप्पणियां</th><th>प्राधिकारी द्वारा जांच</th></tr>
<tr><td>तथ्यात्मक रूप से गलत है। अमीगो और सारा हेल्थकेयर की वेबसाइटें मेडिकल जांच रबर दस्ताने के कम से कम दो अन्य भारतीय उत्पादकों के होने की पुष्टि करती हैं, जो घरेलू उद्योग के दावे के विपरीत है।
च. घरेलू उद्योग की उत्पादन गणना से ऐसे निर्माताओं को बाहर रखने से कुल भारतीय उत्पादन के एक "प्रमुख अनुपात दर्शाने का उसका दावा कम करता है। के प्राधिकारी को जांच करनी चाहिए कि इन उत्पादकों को क्यों बाहर रखा</td><td></td><td>
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>भारतीय उत्पादक</th><th>मात्रा (लाख पीस)</th><th>हिस्सा (%)</th></tr>
<tr><td colspan="4">आवेदकों द्वारा उत्पादन</td></tr>
<tr><td>1</td><td>नावको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (घरेलू उद्योग)</td><td>***</td><td>5-15%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वाडी सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (घरेलू उद्योग)</td><td>***</td><td>15-25%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>कुल आवेदक कंपनियों</td><td>***</td><td>25-35%</td></tr>
<tr><td colspan="4">अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादन, जो समर्थक भी हैं</td></tr>
<tr><td>4</td><td>कूव आईओटी प्राइवेट लिमिटेड</td><td>***</td><td>25-35%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड</td><td>***</td><td>20-30%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>लैट्रिल ग्लव्स प्राइवेट लिमिटेड</td><td>***</td><td>5-15%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>एलेस्को सर्जिफार्मा प्राइवेट लिमिटेड</td><td>***</td><td>5-15%</td></tr>
<tr><td>8</td><td>कुल अन्य भारतीय उत्पादन</td><td>***</td><td>***</td></tr>
<tr><td>9</td><td>कुल भारतीय उत्पादन</td><td>***</td><td>100%</td></tr>
</table>
48.रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक कंपनियां कुल भारतीय उत्पादन का ***% हैं, जिनका नियमावली के नियम 2(ख) के प्रयोजनों के लिए भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख अनुपात है। इसके अलावा, समर्थक उत्पादकों के साथ साथ आवेदकों का रिकॉर्ड में संपूर्ण पहचाने गए भारतीय उत्पादन का हिस्सा है। यह कुल भारतीय उत्पादन के 25% से अधिक और आवेदन-पत्र के समर्थन या विरोध व्यक्त करने वाले उत्पादकों द्वारा दर्शाए गए उत्पादन के 50% से अधिक है, जिससे उसके परंतुक और</td></tr>
</table>

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
गया और क्या उनके शामिल करने से घरेलू उद्योग का आधार वैधानिक आवश्यकता से कम हो जाएगा। छ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे सारा हेल्थकेयर, अमीगो सर्जिकेयर आदि सहित पीयूसी के सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों से सत्यापित उत्पादन और स्थापित क्षमता आंकड़ों की मांग करें, यह निष्कर्ष निकालेने से पहले कि घरेलू उद्योग कुल भारतीय उत्पादन प्रमुख अनुपात है।		स्पष्टीकरण के साथ पठित नियम 5 (3) (क) के तहत समर्थन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तदनुसार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग हैं, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड पूरा करता है। 49. विभिन्न नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक कंपनियों और समर्थक उत्पादकों (उपर्युक्त तालिका के क्रम सं. 4 से 7, जबकि क्रम सं. 8 और 9 कुल योग को दर्शाते हैं) की भूमिका निम्नानुसार है: (क) नियम 2(ख) - घरेलू उद्योग: घरेलू उद्योग में आवेदक कंपनियाँ शामिल हैं, जिनका सामूहिक उत्पादन *** लाख पीस है, जो कुल भारतीय उत्पादन *** लाख पीस का ***% है। नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का भारतीय उत्पादन में 50% से अधिक का योगदान होना आवश्यक नहीं है; इसके लिए 'प्रमुख अनुपात' का होना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, भारतीय उद्योग नवजात एवं खंडित है, आवेदकों ने क्षति संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है तथा अन्य सभी पहचाने गए उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया है और किसी भी भारतीय उत्पादक ने इसका विरोध नहीं किया है। अतः आवेदक ऐसे उत्पादकों के समूह में से चयनित उपसमूह नहीं हैं, जिसमें भिन्न निष्पादन वाले उत्पादकों को बाहर रखा गया हो, और उनके आँकड़ों पर आधारित क्षति विश्लेषण विकृत नहीं है। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि ***% (25-35% की सीमा) कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है, जो ईसी - फास्टनर्स (चीन) (डब्ल्यूटी/डीएस397/एबी/आर, पैरा 411-419) में अपीलीय निकाय द्वारा की गई व्याख्या के अनुरूप है; (ख) नियम 5(3)(क) - समर्थन या विरोध व्यक्त करने वाले उत्पादकों के उत्पादन के 50% से अधिक का समर्थन: जिन सभी उत्पादकों ने अपना मत व्यक्त किया है, अर्थात् आवेदकों और चार समर्थक उत्पादकों ने, आवेदन का समर्थन किया है और अतः उनका समर्थन ऐसे उत्पादकों के कुल उत्पादन का 100% है; (ग) नियम 5(3)(ख) - कुल उत्पादन के कम से कम 25% का समर्थन: आवेदक और समर्थक उत्पादक मिलकर अभिलेख में उपलब्ध संपूर्ण भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा अकेले आवेदकों का योगदान ***% है; और (घ) क्षति संबंधी जानकारी: निर्धारित प्रपत्रों

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		में क्षति संबंधी जानकारी केवल उन उत्पादकों से अपेक्षित है, जो घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। समर्थक उत्पादकों के समर्थन और उत्पादन संबंधी आँकड़े केवल नियम 5(3) के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक हैं तथा उनका निष्पादन क्षति विश्लेषण का हिस्सा नहीं है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणिया	प्राधिकारी द्वारा जांच
<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u> 50. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. आवेदकों ने महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंडों पर	**<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>** 51.गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं: क. ब्राज़ीलियाई प्राधिकारी द्वारा जारी जांच परिणामों में, टॉप ग्लोव कॉर्पोरेशन बीएचडी की कई संबंधित	**<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>** 52.गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच निम्नानुसार की गई है: 53. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। सूचना की गोपनीयता के संबंध में,

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणिया	प्राधिकारी द्वारा जांच
अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जिसमें बिना कोई सार्थक अगोपनीय सार प्रदान किए बिना बिक्री कीमत, बिक्री लागत, लाभप्रदता, कार्यशील पूंजी, वार्षिक रिपोर्ट, परियोजना रिपोर्ट और संस्थापित क्षमता का साक्ष्य शामिल हैं। ख. आवेदकों ने सामान्य मूल्य और संबंधित साक्ष्य की गणना के लिए 10% समायोजन का प्रकटन नहीं किया है। ग. सूचना प्रदान करने में विफलता निर्यातक की प्रभावी टिप्पणियां करने की क्षमता को बाधित करती है और यदि इसे सुधारा नहीं जाता है, तो वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम पर निर्दिष्ट प्राधकारी (2011) और भारत संघ बनाम कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी लिमिटेड (2017) जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 6 प्राकृतिक	कंपनियों ने भाग लिया था। हालांकि इन कंपनियों ने वर्तमान जाँच में स्पष्ट रूप से भाग नहीं लिया है। ख. कई उत्पादकों/निर्यातकों ने वितरण और विपणन चैनल के साथ-साथ संबंधित कंपनियों, उत्पादन प्रक्रिया और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के नामों के बारे में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। ग. उत्पाद कैटलॉग और ब्रोशर के साथ-साथ बेचे गए उत्पादों की सूची, जिसे नियमित रूप से ग्राहकों के साथ साझा किया जाता है, गोपनीय होने का दावा किया गया है। घ. घरेलू और निर्यात बिक्री दस्तावेजों के नमूने का प्रकटन नहीं किया गया है। जबकि दस्तावेज़ स्वयं गोपनीय हो सकते हैं, प्रस्तुत दस्तावेजों की सूची का प्रकटन नहीं किया गया है। एफ। ड. आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में कुल भारतीय उत्पादन का प्रकटन किया	नियमावली के नियम 7 में निम्नानुसार प्रावधान है: *"7. गोपनीय सूचना "* *"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उप नियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।* *(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सार करना संभव क्यों नहीं है।* *(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"* 54. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणिया	प्राधिकारी द्वारा जांच
न्याय के सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। घ. जब किसी पक्षकार को रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों तक सार्थक पहुंच से वंचित किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है, जो प्राकृतिक न्याय का सार है।	गया था और अन्य भारतीय उत्पादकों के कुल उत्पादन का प्रकटन किया गया है। च.औसत आंकड़ों के प्रकटन से घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में उत्पादकों के साथ-साथ अन्य भारतीय उत्पादकों को भी सूचना का खुलासा होगा प्रकटन होगा और उत्पादकता के कारण सूचना प्रवृत्ति में प्रदान की गई थी। छ. निर्यातकों ने उचित तुलना के लिए उनके द्वारा मांगी गई समायोजन के प्रकार का प्रकटन नहीं किया है। ज. इसलिए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे प्रतिक्रियाओं की पूर्णता की गंभीर रूप से जांच करे, विशेष रूप से ब्राजील की जांच के आलोक में जहां टॉप ग्लोव की प्रतिक्रिया को समान कमियों के लिए खारिज कर दिया गया था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त अगोपनीय सार प्रदान किए जाएं ताकि आवेदक कार्यवाही में सार्थक रूप से भाग ले सकें।	36 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 55. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार गया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। 56. घरेलू उद्योग और भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक जांच की गई और तदनुसार उन्हें हल किया गया। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों ने सूचना पर गोपनीयता का दावा किया है, जैसे उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री कीमत, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर आय, क्षतिरहित कीमत, सूचना से संबंधित उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन, कीमत समायोजन, लाभ संबंधी सूचना, बिक्री चैनल, बिक्री और खरीद दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम, आदि। यह भी देखा जाता है कि जहां भी सूचना किसी क्षति की अवधि के लिए है, उसे सूचीबद्ध आधार पर प्रदान किया गया है। भारित औसत सामान्य मूल्य, क्षतिरहित कीमत और कीमत

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणिया	प्राधिकारी द्वारा जांच
		कटौती जैसी सूचना एक रेंज में प्रकट की गई है। 57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने दावा की गई गोपनीयता के लिए अच्छा कारण दिखाया है। जिन सूचनाओं के लिए पक्षकारों द्वारा प्रकटन मांगा गया है, वह वाणिज्यिक स्वामित्व वाली सूचना है, जिसका प्रकटन पक्षकारों के व्यापारिक हितों के लिए पूर्वाग्रह वाला होगा।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u> 58. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. ई-कॉमर्स वेबसाइटों का उपयोग करके घरेलू उद्योग द्वारा निर्धारित सामान्य मूल्य त्रुटिपूर्ण पद्धति है क्योंकि यह एक	**<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>** 59. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. सामान्य मूल्य का अनुमान लगाने के लिए, मलेशिया और थाईलैंड में ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर जिन कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं सामान बेचा जा रहा है, उन पर भरोसा	**<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>** **च.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत** 60. धारा 9क(1)ग के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है: *"i व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा* *ii जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-* *क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया*

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
अप्रतिनिधि, छोटे नमूना आकार पर आधारित है। खुदरा-स्तर ई-कॉमर्स कीमतें सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुचित आधार हैं, जब बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के सहयोगी निर्यातकों ने वास्तविक घरेलू बिक्री और लागत आंकड़े प्रस्तुत किए है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की कीमतें व्यापार, उपभोक्ता खंड, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और वाणिज्यिक परिस्थितियों के विभिन्न स्तरों को दर्शाती हैं, और व्यापार विश्लेषण के सामान्य पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं रखती हैं। ऐसे खुदरा मूल्यों के लिए आवेदकों के	किया गया है। ख. वैकल्पिक रूप से, भारत में उत्पादन की लागत, जिसमें बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ शामिल हैं, पर विचार करते हुए भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का भी अनुमान लगाया गया है। ग. ई-कॉमर्स पोर्टल द्वारा लगाए गए करों और शुल्कों के कारण हुए खर्चों के अनुमान के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए बिक्री कीमत पर समायोजन किया जाता है। घ. यदि भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो कोई समायोजन करने की	*हो; अथवा* *ख उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;* *बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।* 61. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी और निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों से प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं प्राप्त कीं: क. हार्टलेगा एनजीसी एसडीएन बीएचडी ख. मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी ग. ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड घ. वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन.बीएचडी ड. टीजी मेडिकल एसडीएन बीएचडी (मलेशिया) च. टीजी वर्ल्डवाइड एसडीएन (मलेशिया) छ टॉप गल्व (मलेशिया)एसडीएन बीएचडी ज. श्री लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन.बीएचडी. (मलेशिया) झ. डॉ. बू कंपनी लिमिटेड (थाईलैंड) 62. सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा मूल रूप से प्रस्तुत किए गए उत्तरों, और कमियों के बारे में जारी पत्रों के उत्तर में दी गई प्रतिक्रियाओं की यहाँ जाँच की गई है:

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
समायोजन पूरी तरह से अनुमानित, असत्यापित और मनमाना हैं। ख. यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदकों की सामान्य मूल्य निर्माण की वैकल्पिक विधि भारतीय उत्पादन लागत और एसजी एंड ए और लाभ पर आधारित है। यह अस्थिर है जब एक बाजार अर्थव्यवस्था देश से निर्यातक-विशिष्ट, सत्यापित आंकड़े रिकॉर्ड में उपलब्ध है। प्राधिकारी को उत्तरदाता निर्यातक द्वारा प्रस्तुत वास्तविक सत्यापित सूचना का उपयोग करके सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए, और आवेदकों के अनुमान ऐसे	आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कारखानागत स्तरों पर उत्पादन की लागत के अनुमान पर आधारित हैं। ड. गौण स्रोत के आंकड़ों के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य के आधार पर कारखानागत निर्यात कीमतों का अनुमान लगाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क, अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय, गौण पैकेजिंग, क्रेडिट लागत और मालसूची वहन लागत के निमित्त समायोजन किए गए हैं। च. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच करे कि क्या निर्यातक ने उत्पाद के निर्यात में उनके द्वारा किए गए	**<u>मलेशिया</u>** **i. हरतालेगा समूह** **हरतालेगा एनजीसी एसडीएन. बीएचडी ("हरतालेगा एनजीसी", उत्पादक)** **एमयूएन ग्लोबल एसडीएन.बीएचडी ("मुन ग्लोबल", निर्यातक)** **एमयूएन हेल्थ प्रोडक्ट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड ("मुन हेल्थ", आयातक)** 63. मेसर्स हार्टलेगा एनसीजी एसडीएन बीएचडी मलेशिया में संबद्ध सामानों के निर्माण में लगा हुआ है और पीओआई के दौरान पीयूसी के *** लाख पीस का उत्पादन किया है। सूचित किए गए निर्यात चैनल में उत्पादक के रूप में हार्टालेगा एनजीसी बीएचडी. एसडीएन, मलेशियों में उसके संबद्ध निर्यातक के रूप में मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी ("मुन ग्लोबल"), और भारत में संबद्ध आयातक के रूप में मुन हेल्थ प्रोडक्ट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड ("मुन हेल्थ") शामिल हैं। हार्टालेगा एनजीसी द्वारा उत्पादित सामानों को भारतीय बाजार में पुन: बिक्री के लिए एमयूएन ग्लोबल के माध्यम से एमयूएन हेल्थ को निर्यात किया गया था। 64. हार्टालेगा एनजीसी द्वारा दायर सूचना के अनुसार, इसने अपने संबद्ध निर्यातक/व्यापारी, मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी को घरेलू बाजार में पीयूसी के *** पीसों की आपूर्ति की है। हालाँकि, उक्त संबद्ध पक्षकार द्वारा बताई गई पीयूसी की घरेलू बिक्री *** पीस बताई गई है। हार्टालेगा एनजीसी द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा और उसके संबद्ध पक्षकार द्वारा घरेलू स्तर पर बेची गई बताई गई मात्रा के बीच के अंतर को कथित मालसूची समय अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। प्राधिकारी के 27 जुलाई 2026 के पत्र के अपने 3 अगस्त 2026 के अपने उत्तर में, उत्पादक/निर्यातक ने तर्क दिया कि पीओआई के दौरान मुन ग्लोबल द्वारा पुन: बिक्री की गई मात्राएं आवश्यक रूप से उसी अवधि के दौरान हार्टालेगा एनजीसी द्वारा उसे बेची गई मात्राओं से मेल नहीं खाती हैं, क्योंकि पीओआई के दौरान मुन ग्लोबल की बिक्री में पीओआई से पहले हार्टालेगा एनजीसी से खरीदी गई मालसूची की बिक्री शामिल हो सकती है। हालाँकि, उक्त स्पष्टीकरण को प्रमाणित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज या अन्य सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
सत्यापित निर्यातक आंकड़ों को अलग नहीं कर सकते हैं। ग. यह अनुरोध किया जाता है कि आवेदकों द्वारा निर्यात कीमत निर्धारण गौण स्रोत आंकड़ों और अनुमानित समायोजन पर आधारित है, जो निर्यातक-विशिष्ट पाटन के लिए आधार नहीं बन सकता है जब प्रतिवादियों द्वारा लेनदेन-विशिष्ट आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि प्रतिवादियों के स्वयं के सत्यापित आंकड़ों पर भरोसा किया जाना चाहिए। घ. यह अनुरोध किया जाता है कि प्रश्नावली के उत्तरों और सार्वजनिक	सभी खर्चों की सूचना दी है। सभी कारकों के लिए कीमत समायोजन किया जाना चाहिए जो सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं। छ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे निर्यातक द्वारा डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात की मात्रा और मूल्यों का सत्यापन करे, प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करे और जब दावे भारतीय सीमा शुल्क के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं तो उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करे। ज. प्राधिकारी मलेशिया और थाईलैंड और भारतीय सीमा शुल्क	65. यह भी नोट किया जाता है कि, एमयूएन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी द्वारा प्रस्तुत अनुबंध-1 के अनुसार, पीयूसी की इसकी घरेलू बिक्री केवल *** पीस थी। उपर्युक्त विसंगति के संबंध में, उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया कि, हार्टालेगा एनजीसी एसडीएन बीएचडी द्वारा मुन ग्लोबल एसडीएन बीडीएच, को बेचे गए विचाराधीन पीयूसी *** पीसों में से केवल ***पीस घरेलू बाजार में मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी द्वारा फिर से बेचा गया था। घरेलू बाजार में, जबकि शेष *** पीसों को मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी द्वारा अन्य देशों में ग्राहकों मुन हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेचा गया था। 66. उत्पादक/निर्यातक और उसके संबद्ध व्यापारी/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सूचना की समग्र जांच करने पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अलग-अलग चरणों में एक ही विसंगति के लिए अलग-अलग स्पष्टीकरण दिए गए हैं: (i) 19 जून 2026 की के उत्तर में, कि परिशिष्ट 4ख में पीसीएन और एनपीयूसी दोनों दोनों शामिल हैं, जबकि परिशिष्ट 4ख स्वयं पीयूसी के पीसीएन के तहत *** पीस की संपूर्ण मात्रा को वर्गीकृत करता है और अधिकांश लेनदेन में उत्पाद विवरण जांच दस्ताने को संदर्भित करता है; (ii) 3 अगस्त 2026 के उत्तर में, कि भिन्नता मालसूची समय अंतर के कारण है; और (iii) जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, केवल *** पीसों को एमयूएन ग्लोबल द्वारा घरेलू बाजार में फिर से बेचा गया था। ये स्पष्टीकरण एक दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते। यदि केवल *** पीसों को घरेलू बाजार में फिर से बेचा गया था, तो परिशिष्ट 4ख में मुन ग्लोबल द्वारा सूचित *** पीसों की घरेलू पुन: बिक्री अस्पष्टीकृत रहती है; और एक मालसूची टाइमिंग अंतर के कारण खरीद से अधिक पुन: बिक्री के लिए लगभग *** करोड़ पीस नहीं हो सकते हैं,. एमयूएन ग्लोबल की प्रारंभिक मालसूची के तदनुरूप नीचे किए बिना प्रदर्शित नहीं किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण को पुन:समाधान विवरण, सूची रिकॉर्ड, बिक्री रजिस्टर या अन्य सत्यापन योग्य दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं किया गया है। इसलिए प्राधिकारी मलेशिया में स्वतंत्र ग्राहकों को पीयूसी की घरेलू बिक्री की मात्रा और मूल्य का पता लगाने में असमर्थ है, जो हर्टालेगा समूह के सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बनता है। 67. प्राधिकारी ने मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया, सत्यापन सूचना और हर्टालेगा समूह द्वारा दायर बाद के स्पष्टीकरणों की जांच की। ऐसी जांच के दौरान,

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
संस्करण की कमियों के संबंध में घरेलू उद्योग के सामान्यीकृत आरोप मुख्य रूप से हार्टालेगा के अलावा अन्य निर्यातकों पर लक्षित हैं और ब्राजील की कार्यवाही जैसे बाहरी मामलों पर निर्भर हैं। इस तरह की निर्यातक-विशिष्ट शिकायतों को हटा लेगा पर नहीं लगाया जा सकता है, जो एक अलग कानूनी इकाई है जिसने स्वतंत्र रूप से भाग लिया है और सभी आवश्यक सूचना प्रदान की है। ड. जबकि घरेलू उद्योग ने सीमा शुल्क रिकॉर्ड का उपयोग करके निर्यात कीमतों के व्यापक सत्यापन की मांग की है और तर्क दिया है कि	अधिकारियों को प्रस्तुत बीजकों की जांच कर सकते है, आय और व्यय की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखा बीजक, बैंक विवरण और पक्षकार खाता रिकॉर्ड सहित भुगतान प्रमाण की जांच कर सकते हैं। यदि कोई निर्यातक मलेशियाई या थाई सीमा शुल्क और भारतीय सीमा शुल्क को विरोधाभासी कीमतों की रिपोर्ट करता है, और यदि निर्यातक भारतीय खरीदारों से भुगतान का पर्याप्त प्रमाण प्रदान करने में विफल रहते हैं तो प्रतिक्रिया को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। झ. संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि	सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना में वास्तविक असंगतियां पाई गईं। प्राधिकारी ने एमयूएन ग्लोबल के माध्यम से घरेलू बिक्री से संबंधित विसंगतियों और परिशिष्ट 15 और 16 में एमयूएन हेल्थ द्वारा बताई गई सूचना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। पक्षकारों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि आवश्यक सूचना प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप नियम 6(8) का सहारा लिया जा सकता है। हार्टालेगा ने मांगे गए स्पष्टीकरणों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। इसके बाद, संबद्ध कंपनियों के प्रकटन/प्रतिभागिता और संबद्ध कंपनियों के बीच बकाया निर्यात आय से संबंधित और कमियों को भी सूचित किया गया। पक्षकार द्वारा दायर किए गए उत्तरों की जांच यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा की गई है। 68. भारत में संबद्ध आयातक मुन हेल्थ द्वारा उसके परिशिष्ट 15 और 16 में प्रस्तुत की गई सूचना में भी वास्तविक विसंगतियां बनी हुई हैं। उत्पादक द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि परिशिष्ट 15 में पाटन मार्जिन विश्लेषण के लिए पीयूसी और पीसीएन पर विचार करने के लिए प्रतिबंधित सूचना शामिल है, जबकि परिशिष्ट 16 इसके ईआरपी/लेखांकन रिकॉर्ड में दिखाई देने वाले व्यापक लेनदेन को दर्शाता है और इसमें एनपीयूसी, बाहर किए गए पीसीएन, नमूने और अन्य वाणिज्यिक लेनदेन शामिल हैं। 3 अगस्त 2026 की अपनी लिखित प्रतिक्रिया में, पक्षकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया कि (क) पीयूसी फिल्टर, पीसीएन-स्तर को बाहर करने और जांच-विशिष्ट समायोजन लागू करने के बाद परिशिष्ट 15 तैयार किया गया है; (ख) परिशिष्ट 16 खरीद/बिक्री रजिस्टरों और ईआरपी रिकॉर्ड से लिया गया है और ऐसे बाहर किए जाने के बिना सकल लेन-देन मात्रा को दर्शाता है; और (ग) दोनों परिशिष्ट आंतरिक रूप से सुसंगत हैं और "स्कोप और फ़िल्टरिंग पद्धति में अंतर पर विचार करने के बाद पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण" हैं, भिन्नता "पूरी तरह से वर्गीकरण- और स्कोप-आधारित" है। हालाँकि, यह नोट किया जाता है कि कोई लेनदेन-वार या संख्यात्मक समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है जो एनपीयूसी, नमूनों या अन्य वाणिज्यिक लेनदेन का गठन करने वाले विशिष्ट लेनदेन की पहचान करता है और यह दर्शाता है कि परिशिष्ट 16 में दिए गए आंकड़े परिशिष्ट 15 में दिए गए आंकड़ों से कैसे मेल खाते हैं।

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
किसी भी विसंगति के कारण ईक्यूआर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, यह नोट किया जाए कि पीयूसी केवल प्रशुल्क मद 4015 12 00 का एक हिस्सा है, जिसमें अन्य दस्ताने भी शामिल हैं। इसलिए, उस प्रशुल्क मद के तहत डीजी सिस्टम, डीजीसीआई एंड एस, या इसी तरह के सीमा शुल्क स्रोतों से किसी भी आयात आंकड़ों को चिकित्सा जांच रबर दस्ताने से संबंधित आंकड़ों को अलग करने के लिए उचित रूप से लिया जाना चाहिए। च. इसलिए, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे आवेदकों द्वारा निर्मित सामान्य मूल्य पद्धति को अस्वीकार कर दे,	काफी भी है।	विशेष रूप से, स्पष्टीकरण परिशिष्ट 15 में बताई गई *** करोड़ रु. की खरीद लागत में *** करोड़ रु. की रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट 16 में बताई गई *** करोड़ रु. की रिपोर्ट के बीच पर्याप्त अंतर को समेटता नहीं है। यदि परिशिष्ट 16 का क्षेत्र परिशिष्ट 15 की तुलना में व्यापक था, जैसा कि दावा किया गया है, तो उसमें बताई गई खरीद की लागत परिशिष्ट 15 में बताई गई लागत से कम नहीं हो सकती है; फिर भी परिशिष्ट 16 में खरीद की लागत परिशिष्ट 15 की लागत के एक-चौथाई से भी कम है। इसलिए, प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना से यह पता लगाने में असमर्थ है कि कौन से आंकड़े पीयूसी से संबंधित खरीद, पुनर्विक्रय और लाभप्रदता का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, परिशिष्ट 16 में बताई गई संख्याओं को गलत तरीके से आवंटित किया गया है, और ऐसे आवंटन के कारणों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। 69. मुन हेल्थ एक संबद्ध भारतीय ग्राहक है और संबंधित निर्यात श्रृंखला का हिस्सा है। इसलिए पुनर्विक्रय तक स्वतंत्र खरीदार को लेनदेन के पूर्ण वित्तीय और वास्तविक प्रवाह के संदर्भ में निर्यात कीमत की विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। संबद्ध आयातक की खरीद लागत के विश्वसनीय समाधान और पीयूसी और एनपीयूसी लेनदेन के पृथक्करण की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत से निर्धारित करने में असमर्थ है। मुन हेल्थ, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान कार्यवाही में उत्पादक और निर्यातक के समान कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किया गया है, ने उत्पादक/निर्यातक तक से अलग कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके अनुरोध, जैसा कि 3 अगस्त 2026 और 21 सितंबर 2026 की प्रतिक्रियाओं में बताया गया है, ऊपर उल्लिखित परिशिष्ट 15 और 16 पर स्पष्टीकरण और इस विवरण तक सीमित हैं कि एमयूएन ग्लोबल को बकाया भुगतान साधारण अंतर-समूह ऋण/नकद-प्रवाह दर्शाता है। मुन हेल्थ ने अपने खरीद और पुनर्विक्रय रिकॉर्ड को अपने वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया है, जिससे प्राधिकारी को पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.3 के अनुसार, उस कीमत के आधार पर निर्यात कीमत का निर्माण करने में सक्षम बनाया जा सकता है जिस पर आयातित माल को पहले स्वतंत्र खरीदार को पुनर्विक्रय किया गया था। 70. प्राधिकारी ने इस तथ्य के बारे में भी सूचना मांगी थी कि एमयूएन

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत सत्यापित निर्यातक-विशिष्ट आंकड़ों पर भरोसा करे, और यह सुनिश्चित करे कि सत्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी सीमा शुल्क-आधारित आयात आंकड़ों को उचित रूप से लिया जाए ताकि केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आंकड़ों को अलग किया जा सके।		ग्लोबल से उसके संबद्ध आयातक एमयूएन हेल्थ को निर्यात लेनदेन की एक बड़ी संख्या के संबंध में भुगतान बकाया रहा। हार्टालेगा ने उल्लेख किया है कि बकाया राशि संबद्ध कंपनियों के बीच साधारण अंतर-समूह ऋण/नकद प्रवाह समायोजन को दर्शाती हैं। हालाँकि, प्रतिक्रिया पूर्ण बीजक-वार बकाया प्राप्य, सहमत भुगतान/क्रेडिट शर्तें, देय तिथियां, बाद की वसूली/भुगतान विवरण और संबंधित क्रेडिट-लागत समाधान प्रदान नहीं करती है। ऐसी सूचना के अभाव में, प्राधिकारी संबंधित पक्षकार निर्यात लेनदेन को नियंत्रित करने वाले भुगतान की वास्तविक शर्तों और शर्तों, आयातक को दिए गए क्रेडिट की सीमा और क्या रिपोर्ट किए गए निर्यात कीमत लेनदेन की वित्तीय शर्तों को उचित रूप से दर्शाते हैं, को सिद्ध करने में असमर्थ है। उत्पादक ने यह भी नहीं दर्शाया है कि क्या बकाया प्राप्य के लिए जिम्मेदार किसी भी वित्तपोषण या क्रेडिट लागत को रिपोर्ट की गई निर्यात कीमतों में या सामान्य मूल्य के साथ तुलना के उद्देश्य से दावा किए गए समायोजन में विधिवत रूप से गिना गया है। परिणामस्वरूप, सूचित निर्यात कीमतों की विश्वसनीयता और तुलनीयता तथा दावा किए गए समायोजन की सटीकता, पाटन मार्जिन निर्धारण के लिए अप्रमाणित बनी हुई है। 71. संबंधित कंपनियों के प्रकटन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली के भाग I के प्रश्न 6 में जांच के तहत उत्पाद से जुड़े हों या नहीं, उनकी गतिविधियों के साथ-साथ मूल कंपनियों, संबद्ध कंपनियों और अन्य सभी संबद्ध कंपनियों के प्रकटन की आवश्यकता है। हार्टालेगा ने बाद में विभिन्न समूह कंपनियों के बारे में स्पष्टीकरण दिया और अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया कि हार्टालेगा एसडीएन बीएचडी ("एचएसबी") औद्योगिक/सामान्य प्रयोजन वाले दस्ताने का निर्माण किया और संगत अवधि के दौरान पीयूसी का उत्पादन नहीं किया, जबकि हार्टालेगा एनएसएम एसडीएन बीएचडी ("एचएनएसएम") निष्क्रिय था। हार्टालेगा ने यह भी उल्लेख किया कि एचएसबी के खिलाफ दिखने वाले तीसरे देश के लेनदेन औद्योगिक/सामान्य प्रयोजन वाले दस्तानों से संबंधित हैं, न कि पीयूसी से। हालाँकि, भले ही उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया है कि एचएसबी के लिए पीओआई में पीयूसी का कोई उत्पादन नहीं हुआ है और

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		एचएनएसएम इस समय निष्क्रिय था, यह 2024 और 2025 की वार्षिक रिपोर्ट से देखा गया है कि इन दो कंपनियों के लिए प्रमुख गतिविधि अभी भी 'लेटेक्स दस्ताने का निर्माण' बताई गई है। इसके अलावा, हार्टालेगा के लिए 2026 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि एचएसबी के लिए, वित्तीय वर्ष के दौरान संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और 31 मार्च 2026 से निष्क्रिय हो गया था और एचएनएसएम के लिए, यह 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2025 को निष्क्रिय था। चूंकि यह स्पष्ट रूप से बताता है कि इन कंपनियों की स्थिति 2026 में निष्क्रिय है, और इसका उल्लेख पहले की वार्षिक रिपोर्टों में नहीं किया गया है, इसलिए यह माना जाता है कि 2024 और 2025 के लिए वार्षिक रिपोर्ट में बताए गए अनुसार प्रमुख गतिविधि आयोजित की गई है। पीयूसी के सभी संबंधित उत्पादकों के बारे में सूचना उत्पादन की लागत निर्धारित करने और सामान्य मूल्य के प्रयोजनों के लिए घरेलू बिक्री की जांच के लिए सामग्री है। 72. उपर्युक्त को देखते हुए, और विशेष रूप से यह देखते हुए कि पर्याप्त अवसरों के बावजूद ऊपर वर्णित आवश्यक सूचना और पुन: समाधान संतोषजनक ढंग से प्रस्तुत नहीं किए गए थे, प्राधिकारी का मानना है कि हार्टालेगा एनजीसी एसडीएन बीएचडी उसकी प्रतिभागी निर्यात श्रृंखला बनने वाले मुन ग्लोबल एसडीएन बीएचडी और मुन हेल्थ प्रोडक्ट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड के साथ प्रश्नावली के उत्तर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता। अत: प्राधिकारी ने अलग पाटन मार्जिन और तदनुरूपी क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर स्वीकार नहीं किए और पाटनरोधी नियमावली , 1995 के नियम 6(8) के अनुसार अर्थात उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उक्त उत्पादक/निर्यातक के संबंध में कार्यवाही की है। **ii. टॉप ग्लोव ग्रुप** **टॉप ग्लोव एसडीएन बीएचडी ("टीजीएसबी", उत्पादक/निर्यातक)** **टॉप ग्लोव मेडिकल ("टीजीएम", उत्पादक/निर्यातक)** **टॉप ग्लोव वर्ल्डवाइड ("टीजीडब्ल्यूडब्ल्यू", उत्पादक/निर्यातक)** 73. टॉप ग्लोव ग्रुप ने दावा किया कि उसके पास पीयूसी की पर्याप्त घरेलू बिक्री

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		नहीं थी और तदनुसार उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना का दावा किया। इस संबंध में, दिनांक 13 अगस्त 2026 के ईमेल में, प्राधिकारी ने समूह के भीतर पीयूसी की घरेलू बिक्री और अन्य संबंधित कंपनियों की उत्पादन/बिक्री गतिविधियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। इस संबंध में, प्राधिकारी ने प्रश्नावली प्रारूप में दिए गए निर्देशों का संदर्भ दिया है, जिसमें यह प्रावधान है कि पीयूसी के सभी संबंधित उत्पादकों को, चाहे उनका उत्पादन भारत को निर्यात किया गया हो या नहीं, एक अलग प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, उनका ध्यान निर्यातक प्रश्नावली के अनुदेश 8 (ii) पर था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि, बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के मामले में, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल सभी संबंधित उत्पादकों को, चाहे उनका उत्पादन भारत को निर्यात किया गया हो या नहीं, प्रश्नावली के भाग I, II और III में सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। 74. यह भी सूचित किया गया कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल संबंधित उत्पादकों ने न तो प्रश्नावली का उत्तर दायर किया था और न ही प्राधिकारी के समक्ष कोई सूचना प्रस्तुत की थी। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी मलेशिया में उत्पादक समूह का हिस्सा बनाने वाले संबंधित उत्पादकों में से एक से संबंधित तथ्यों की जांच या सत्यापन करने में असमर्थ है। पूर्ण सूचना के अभाव में, प्राधिकारी वर्तमान में अपनी स्थापित परिपाटी और पाटनरोधी नियमावली के लागू प्रावधानों के अनुसार उत्पादक समूह के लिए सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है। 75. उत्तर में, दिनांक 16 अगस्त 2026 के अनुरोध द्वारा, टॉप ग्लोव ग्रुप ने अनुरोध किया कि केवल टीजीएम और टीजीएसबी ने ही ग्रेड/विनिर्देशों का उत्पादन किया है जो पीओआई के दौरान भारत को निर्यात किए गए थे। समूह के भीतर कोई अन्य कंपनी या संयंत्र समान ग्रेड और विशिष्टताओं के उत्पादन में लगा हुआ नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि टॉप ग्लोव ग्रुप यह स्पष्ट करने या पुष्टि करने में विफल रहा कि क्या समूह के भीतर किसी अन्य कंपनी ने मलेशिया में पीयूसी (किसी भी ग्रेड या विनिर्देश में) का उत्पादन किया था। 76. प्राधिकारी ने दिनांक 17 अगस्त 2026 के ईमेल के माध्यम से टॉप ग्लोव ग्रुप को यह स्पष्ट करने का एक और अवसर प्रदान किया कि क्या किसी

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		संबद्ध कंपनी ने पीयूसी का उत्पादन या बिक्री की थी, या नहीं, क्या इस तरह के ग्रेड या विनिर्देश को घरेलू बाजार में बेचा गया था। प्राधिकारी ने एक बार फिर प्रश्नावली निर्देशों के तहत संबंधित उत्पादकों के लिए भागीदारी आवश्यकताओं और डब्ल्यूटीओ पाटन करार के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 6 (8) के तहत अधूरी सूचना के परिणामों को दोहराया है। उत्तर में, टॉप ग्लोव ग्रुप ने स्वीकार किया कि एक अन्य कंपनी है जिसने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में पीयूसी का निर्माण और बिक्री की। इसके अलावा, घरेलू बिक्री से संबंधित कोई भी लेनदेन-वार सूचना, उत्पादन की संबंधित लागत के साथ, प्राधिकारी को प्रदान नहीं की गई थी। इसके बजाय, टॉप ग्लोव ग्रुप ने दावा किया कि इस तरह की घरेलू बिक्री भारत को समूह के निर्यात का 5% से भी कम थी। 77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस वास्तविक तथ्य का प्रकटन जांच के विलंबित चरण में प्राधिकारी द्वारा बार-बार और विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने के बाद ही किया गया था। फिर भी, प्रदान की गई सूचना अधूरी थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कई अवसरों के बावजूद, टॉप ग्लोव समूह ने अतिरिक्त संबंधित कंपनी के लिए पूर्ण घरेलू-बिक्री और लागत सूचना प्रस्तुत नहीं की है, जिसने स्वीकार किया था कि उसने घरेलू बाजार में पीयूसी का निर्माण और बिक्री की थी। 78. 19 अगस्त 2026 को अपने उत्तर में, टॉप ग्लोव ग्रुप ने अनुरोध किया कि (i) जीएमपी मेडिकेयर एसडीएन बीएचड (जीएमपी), एक संबद्ध कंपनी ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में पीयूसी का उत्पादन और बिक्री की; (ii) पीओआई के दौरान समूह द्वारा पीयूसी की घरेलू बिक्री *** हजार पीस (टीजीएसबी द्वारा *** हजार पीस और जीएमपी द्वारा *** हजार पीस) तक थी, जबकि टीजीडब्ल्यूडब्ल्यू के माध्यम से भारत को *** हजार पीस की बिक्री हुई थी, यानी लगभग ***%, जो घरेलू बिक्री की पर्याप्तता के लिए 5% की रेंज से कम है, इसलिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए ऐसी बिक्री पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए; (iii) पीओआई के दौरान जीएमपी ने पीयूसी के समूह के उत्पादन का केवल ***% हिस्सा था, टीजीएसबी और टीजीएम का शेष हिस्सा था, ताकि इसके बाहर करने के निर्धारण पर कोई खास असर न पड़े; और (iv) आवश्यक समय और संसाधनों पर विचार करते हुए, समूह ने प्रतिक्रिया देने के लिए वास्तविक

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		कंपनियों का चयन किया था, और अनुरोध किया था कि जीएमपी को प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर करने से छूट दी जाए। 79. प्राधिकारी ने उत्तर की जांच की है और निम्नलखित नोट करते हैं। सबसे पहले, प्रश्नावली के अनुदेश 8 (ii) के तहत यह आवश्यकता कि पीयूसी के सभी संबंधित उत्पादक भाग I, II और III में सूचना प्रस्तुत करें, किसी भी वास्तविकता की सीमा के अधीन नहीं है, और यह किसी उत्तरदाता के लिए यह चुनने के लिए खुला नहीं है कि उसके संबंधित उत्पादकों में से कौन भाग लेगा। दूसरा, पर्याप्तता परीक्षण प्राधिकारी द्वारा उत्पादक समूह के पूर्ण और सत्यापित लेनदेन-वार आंकड़ों के आधार पर लागू किया जाना है; समूह ने जीएमपी के लिए केवल कुल आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, बिना लेनदेन-वार घरेलू बिक्री या उत्पादन की लागत के, ताकि प्राधिकारी न तो दावा किए गए अनुपात को सत्यापित कर सके और न ही यह जांच कर सके कि बिक्री व्यापार के सामान्य क्रम में की गई थी। तीसरा, भले ही सामान्य मूल्य का निर्माण किया जाए, पीयूसी के सभी संबंधित उत्पादकों के उत्पादन की लागत का उत्पादन समूह के उत्पादन की लागत निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगा, और जीएमपी के लागत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। चौथा, जीएमपी के उत्पादन और घरेलू बिक्री के मौजूदगी का प्रकटन केवल प्राधिकारी के 17 अगस्त 2026 के दूसरे पत्र के उत्तर में किया गया था, समूह ने अपनी प्रतिक्रिया 16 अगस्त 2026 को भारत को निर्यात किए गए ग्रेड तक सीमित कर दी थी। 80. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि टॉप ग्लोव समूह पूरी सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहा और महत्वपूर्ण सूचना रोक दी, जिससे जांच में बाधा उत्पन्न हुई, और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग नहीं किया। तदनुसार, डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुबंध-II के साथ पठित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 6(8) के अनुसार, प्राधिकारी ने निर्धारण के लिए उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास किया है और टॉप ग्लोव ग्रुप के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया है।

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		iii. वाईटीवाई ग्रुप **वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन.बीएचडी. ("वाईटीवाई ", उत्पादक/निर्यातक)** 81. वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन बीएचडी. (इसके बाद "वाईटीवाई") ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है। वाईटीवाई ने सूचित किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान दो माध्यमों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है: (क) सीधे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को, और (ख) एक संबद्ध व्यापारी, मेडलाइन इंटरनेशनल बी.वी., नीदरलैंड (इसके बाद "मेडलाइन बी.वी.") के माध्यम से, जिसने बदले में भारत में एक ग्राहक को माल का बीजक किया। मेडलिन बीवी के माध्यम से निर्यात परिशिष्ट 3ख में सूचित किया गया है। 82. निर्यातक प्रश्नावली के अनुसार, जहां भारत को निर्यात संबद्ध या असंबद्ध व्यापारी के माध्यम से किया जाता है, व्यापारी को प्रश्नावली के भाग-I और II के उत्तर को लाभप्रदता विवरण के साथ दायर करना आवश्यक है, ताकि जिस कीमत पर भारत को सामानों का निर्यात किया है, उसे सिद्ध और सत्यापित किया जा सके। मेडलाइन बी.वी. ने प्रश्नावली का कोई उत्तर दायर नहीं किया है या अन्यथा वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है। वाईटीवाई ने उल्लेख किया है कि यह आवश्यकता उस पर लागू नहीं होती है क्योंकि वह एक उत्पादक है, व्यापारी नहीं। इन खेपों के भारत में आयातक ने भी जांच में भाग नहीं लिया है। 83. प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में मौजूद सूचना और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से नोट किया है कि मेडलाइन बी.वी. और भारत में कंसाइनि एक ही कॉर्पोरेट समूह से संबद्ध प्रतीत होते हैं। भारत में ग्राहक को मेडलाइन बी.वी. द्वारा लिया गया कीमत इसलिए संबद्ध पक्षकारों के बीच की कीमत है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 10 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.3 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(1) के अनुसार, जहां निर्यात कीमत एसोसिएशन के कारण अविश्वसनीय है, इसे उस कीमत के आधार पर निर्मित किया जा सकता है जिस पर आयातित माल को पहले स्वतंत्र खरीदार को फिर से बेचा जाता है। मेडलाइन बी.वी. और भारतीय आयातक की ओर से किसी भी प्रतिक्रिया के अभाव में, न तो वह कीमत जिस पर सामान भारत में आया था और न ही एक स्वतंत्र खरीदार को पुनर्विक्रय कीमत रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। उपलब्ध सूचना से यह भी

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		पता चलता है कि मेडलाइन बी.वी. द्वारा भारत को बिक्री के स्तर पर इन सामानों की कीमत परिशिष्ट 3ख में वाईटीवाई द्वारा सूचित कीमत के अनुरूप नहीं है। 84. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी मेडलिन बी.वी. के माध्यम से वाईटीवाई द्वारा भारत को निर्यात किए गए उत्पाद की निर्यात कीमत को निर्धारित करने के लिए परिशिष्ट 3ख में सूचित किए गए लेनदेन को विश्वसनीय आधार के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ है। तदनुसार, व्यक्तिगत पाटन मार्जिन या वाईटीवाई के क्षति मार्जिन के निर्धारण में इन लेनदेन पर विचार नहीं किया गया है। 85. हालांकि, वाईटीवाई ने जांच में सहयोग किया है और भारत को अपने प्रत्यक्ष निर्यात पर सत्यापन योग्य सूचना प्रस्तुत की है, जो जांच की अवधि के दौरान भारत को अपने निर्यात का प्रमुख हिस्सा है। इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 के अनुसार भारत में असंबद्ध ग्राहकों को अपने प्रत्यक्ष निर्यात के आधार पर वाईटीवाई के लिए निर्यात कीमत और परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। 86. वाईटीवाई के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, यह नोट किया गया है कि मैसर्स वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन बीएचडी. संबद्ध सामानों का एक मलेशियाई उत्पादक है जिसने संबद्ध सामानों का उत्पादन किया और सभी असंबद्ध ग्राहकों को पीओआई के दौरान समान वस्तु के *** लाख पीस बेचे, जो भारत को उसके निर्यात का लगभग 5% से अधिक है और उचित तुलना की अनुमति देने के लिए पर्याप्त है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत और विचाराधीन उत्पाद से संबंधित एसजीए व्यय के संदर्भ में घरेलू बिक्री लेनदेन करने के लिए व्यापार परीक्षण की सामान्य पक्रिया की। यह परीक्षण पीसीएन-वार किया गया था। जहां पीसीएन की घरेलू बिक्री की मात्रा का 80% से अधिक लाभदायक बिक्री है, सामान्य मूल्य उस पीसीएन की सभी घरेलू बिक्री की भारित औसत कीमत पर आधारित है; जहां लाभदायक बिक्री 20% और 80% के बीच है, केवल लाभदायक बिक्री पर विचार किया जाता है; और जहां लाभदायक बिक्री 20% से कम है, घरेलू बिक्री को व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में नहीं माना जाता है और सामान्य मूल्य उत्पादन लागत और लाभ मार्जिन के आधार पर निर्मित किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		सामान्य मूल्य पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है। 87. निवल निर्यात कीमत निर्धारित करने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि वाईटीवाई ने भारतीय ग्राहकों को सीधे *** पीस संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के प्रति समायोजन उत्पादक/निर्यातक द्वारा दावा किया गया है। डेस्क सत्यापन के बाद प्राधिकारी द्वारा दावा किए गए समायोजन की अनुमति दी गई है। प्रत्येक लेनदेन की डिलीवरी शर्तों के संदर्भ में समायोजनों की जांच प्रत्येक लेन-देन, समुद्र माल भाड़ा और सीआईएफ शर्तों पर केवल लेनदेनों की अनुमति होने पर बीमा के संदर्भ में और प्रस्तुत समर्थक दस्तावेजों के संदर्भ में की गई है। प्राधिकारी ने भारत को निर्यात किए गए विभिन्न पीसीएन के आधार पर भारित औसत निर्यात कीमत पर विचार किया है। तदनुसार, भारत को निर्यात के लिए निवल निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। निर्धारित निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है। **iv. टन सिन लियान इंडस्ट्रीज** **टन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन. बीएचडी. ("टीएसएलआई", उत्पादक/निर्यातक)** 88. मेसर्स टन सिन लियन इंडस्ट्रीज एसडीएन बीएचडी पीओआई के दौरान भारत को पीयूसी का उत्पादन और निर्यात करने वाला संबद्ध सामानों का एक मलेशियाई उत्पादक है। निर्यातक ने परिशिष्ट 3क में अपनी निर्यात मात्रा *** पीस प्रति बैग के रूप में बताई है, जो उसकी प्रश्नावली उत्तर में उल्लिखित *** पीस प्रति बैग के रूपांतरण कारक को ध्यान में रखते हुए, *** पीस के बराबर है। हालांकि, परिशिष्ट 3क में निर्धारित इकाई (पीसों) में निर्यात मात्रा की सूचना नहीं दी गई है। प्राधिकारी ने टीएसएलआई द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर की जांच की और पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बिक्री, उत्पादन और लागत संबंधी सूचना में वास्तविक कमियों को नोट किया। 89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि परिशिष्ट एक संरक्षित प्रारूप में दायर किए गए थे, जिससे अंतर्निहित आंकड़ों और गणना की जांच को रोका जा सके। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि उसमें बताई गई क्षमता में अलग-अलग आंकड़ों का एक समुच्चय शामिल है। हालाँकि, इस तरह की रिपोर्टिंग

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		के आधार के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या ये आंकड़े कई संयंत्रों, सुविधाओं या उत्पादन लाइनों से संबंधित हैं। इसके अलावा, विभिन्न अवधियों में बताई गई क्षमता में ऐसे बदलाव के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह भी देखा जाता है कि पीयूसी और एनपीयूसी का कुल उत्पादन रिपोर्ट की गई क्षमता के अनुरूप है। रिपोर्टिंग क्षमता के आधार और रिपोर्ट किए गए उत्पादन और क्षमता के बीच संबंध के बारे में स्पष्टीकरण के अभाव में, प्राधिकारी टीएसएलआई द्वारा प्रस्तुत उत्पादन और क्षमता की सूचना की सटीकता और विश्वसनीयता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ है। टीएसएलआई ने 14 सितंबर 2026 के अपने उत्तर में इस पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। 90. जहां तक परिशिष्ट 3क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन-वार सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा, परिशिष्ट को संरक्षित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया था, जिससे अंतर्निहित आंकड़ों की जांच रुक जाती है। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पीसीएन के अनुसार व्यक्तिगत निर्यात लेनदेन की पहचान नहीं की गई है, और संबंधित पीसीएन-वार लागत की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी पीसीएन स्तर पर सूचना की जांच करने या प्रश्नावली प्रतिक्रिया में कहीं और प्रस्तुत की गई सूचना के साथ वहां बताई गई मात्राओं का पुन:समाधान करने में असमर्थ है। टीएसएलआई ने 14 सितंबर 2026 के अपने उत्तर में इस पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। 91. इसी तरह, परिशिष्ट 4क में पीसीएन-वार सूचना नहीं है और इसे संरक्षित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। पीसीएन-वार सूचना का अभाव प्राधिकारी को वर्तमान जांच के लिए निर्धारित उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में संबद्ध सामानों से संबंधित लेनदेन की जांच करने से रोकती है। इसके अलावा, संरक्षित प्रारूप परिशिष्ट में बताई गई संख्याओं के आधार का निर्माण करने वाली अंतर्निहित सूचना और गणनाओं की जांच को रोकता है। टीएसएलआई ने 14 सितंबर 2026 के अपने उत्तर में इस पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। 92. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि परिशिष्ट 6 और परिशिष्ट 7 को संरक्षित

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे अंतर्निहित सूचना और गणना की जांच रुक जाती है। इसके अलावा, व्यय के आवंटन के लिए अपनाई गई विभाजन का आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी इस बात की जांच करने में असमर्थ है कि उसमें बताए गए खर्चों को संबद्ध सामानों के लिए कैसे आवंटित किया गया है या स्वयं को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि आवंटन पद्धति उचित रूप से पीयूसी के लिए जिम्मेदार लागतों को दर्शाती है। टीएसएलआई ने 14 सितंबर 2026 के अपने उत्तर में इस पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। 93. इसके अलावा, परिशिष्ट 9 में, पीसीएन-वार लागत की सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। पीसीएन-वार लागत सूचना का अभाव प्राधिकारी को पीसीएन स्तर पर लागतों की जांच करने और इस आधार को सत्यापित करने से रोकती है कि लागतों को विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में कैसे रिपोर्ट और आवंटित किया गया है। परिणामस्वरूप, प्राधिकारी यह निर्धारित करने में असमर्थ है कि टीएसएलआई द्वारा बताई गई लागत उचित रूप से सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए पीयूसी के भाग बनने वाले व्यक्तिगत उत्पाद प्रकारों के अनुरूप है या नहीं। टीएसएलआई ने 14 सितंबर 2026 के अपने उत्तर में इस पहलू पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। 94. उत्पादक/निर्यातक से अनुरोध किया गया था कि वह तत्काल आधार पर असुरक्षित (पासवर्ड सुरक्षा के बिना) परिशिष्ट प्रस्तुत करे और उचित समय में दावा की गई लागत के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करे। हालांकि, न तो ऐसी परिशिष्ट और न ही सहायक दस्तावेज उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। 95. प्राधिकारी के दिनांक 8 और 12 सितंबर 2026 के पत्र उत्तर में ही, टीएसएलआई ने दिनांक 14 सितंबर 2026 के ई-मेल द्वारा उपरोक्त उल्लिखित किसी भी कमी को हल नहीं किया। इसमें कहा गया है कि भारतीय आयातक द्वारा बिक्री पर मांगी गई सूचना केवल आयातक से ही प्राप्त की जा सकती है, कि अनुमत समय अनुचित रूप से कम था, प्रभारी व्यक्ति विदेश यात्रा कर रहा था, और सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक महीने यानी 15 अक्टूबर 2026 तक का समय लगेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली का उत्तर 7 जनवरी 2026 को देय था; कि टीएसएलआई ने अपनी प्रतिक्रिया दो बार,

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		जनवरी और मार्च 2026 में, दोनों मौकों पर संरक्षित प्रारूप में परिशिष्टों के साथ दायर की थी; और कमियां टीएसएलआई के अपने उत्पादन, लागत और बिक्री रिकॉर्ड से संबंधित हैं, जो पूरे समय उसके कब्जे में थे, और केवल भारतीय आयातक के पास रखी गई सूचना से संबंधित नहीं हैं। जांच पूरी करने के लिए वैधानिक समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए, एक और महीने के लिए अनुरोध को 14 सितंबर 2026 के ई-मेल के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था और टीएसएलआई को 15 सितंबर 2026 तक सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जो उसने नहीं किया। 96. उपरोक्त को देखते हुए, और विशेष रूप से यह देखते हुए कि किसी व्यक्ति के पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक वास्तविक बिक्री, उत्पादन और लागत की सूचना या तो अपूर्ण, अप्राप्य या अपेक्षित पीसीएन स्तर और निर्धारित इकाई पर प्रस्तुत नहीं की गई थी, प्राधिकारी का मानना है कि टीएसएलआई द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर पर किसी अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने टीएसएलआई द्वारा अलग पाटन मार्जिन और संबंधित क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से दायर ईक्यूआर को स्वीकार नहीं किया है। प्राधिकारी ने तदनुसार नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर टीएसएलआई के संबंध में कार्यवाही की है। **<u>थाईलैंड</u>** **i. श्री ट्रंग ग्रुप** **श्री ट्रंग ग्लोव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड (“एसटीजीटी")** 97. एसटीजीटी थाईलैंड की एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है। पीओआई के दौरान एसटीजीटी ने समान वस्तु के *** पीस की घरेलू बिक्री की सूचना दी। इनमें से, *** पीस संबंधित पक्षकारों को बेचे गए और *** पीस असंबद्ध ग्राहकों को बेचे गए। यह नोट किया गया था कि घरेलू बिक्री भारत को निर्यात बिक्री के 5% से काफी ऊपर है। इसलिए वे डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2 की फुटनोट 2 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क (1) (ग) के तहत उचित तुलना की अनुमति देने के लिए पर्याप्त हैं।

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		98. संबद्ध पक्षकारों को बिक्री कुल घरेलू बिक्री का लगभग ***% है। प्राधिकारी ने जांच की कि क्या वे उचित कीमत पर बनाए गए थे। उनके नगण्य हिस्से को देखते हुए, इन बिक्री का सामान्य मूल्य के निर्धारण पर कोई वास्तविक असर नहीं पड़ता है। 99. इसके बाद प्राधिकारी ने प्रत्येक घरेलू बिक्री की निवल कारखानागत कीमत की तुलना उत्पादन की प्रति-इकाई लागत से की, जिसमें निश्चित और परिवर्तनीय लागतों के साथ-साथ प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य व्यय शामिल थे। यह परीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उत्पादन लागत, अर्थात् पीओआई के लिए एसटीजीटी की पीसीएन-वार भारित औसत उत्पादन लागत, के संदर्भ में पीसीएन-वार किया गया था। एसटीजीटी द्वारा अपनी लेनदेन-वार लागत का उपयोग किए जाने के अनुरोध की जांच नीचे खंड झ में की गई है। जहां लाभप्रद बिक्री एक पीसीएन की घरेलू बिक्री मात्रा के 80% से अधिक है, सामान्य मूल्य उस पीसीएन की सभी घरेलू बिक्री की भारित औसत कीमत पर आधारित है; जहां लाभप्रद बिक्री 80% से कम है, केवल लाभप्रद बिक्री पर विचार किया जाता है। 100. तदनुसार, एसटीजीटी के लिए सामान्य मूल्य को व्यापार के सामान्य क्रम में इसकी घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसे अंतर्देशीय माल भाड़ा, बीमा, भंडारण लागत और क्रेडिट लागत के लिए कारखानागत स्तर पर समायोजित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित कारखानागत सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है। **<u>निर्यात कीमत का निर्धारण</u>** 101. पीओआई के दौरान, एसटीजीटी ने विचाराधीन उत्पाद के *** पीस का उत्पादन और भारत को निर्यात किया। इन सभी निर्यातों को सीधे भारत में असंबद्ध ग्राहकों को बेचा गया था, जिसमें कोई संबद्ध व्यापारी या मध्यवर्ती शामिल नहीं था। 102.एसटीजीटी ने समुद्री भाड़ा और पोत परिवहन लागत, सार-संभाल प्रभार, डेमरेज और रोक प्रभार, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा और ऋण लागत के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के बाद इन समायोजनों को स्वीकार कर किया। कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		ii. डॉ. बू कंपनी लिमिटेड 103. डॉ बू कंपनी लिमिटेड ("डॉ. बू"), थाईलैंड, ने वर्तमान जांच में संबद्ध सामानों के संबंध में भाग लिया। प्राधिकारी ने डॉ. बू द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया की जांच की और जिस तरीके और रूप में प्रतिक्रिया और सहायक सूचना प्रस्तुत की गई थी, उसमें उल्लेखनीय वास्तविक कमियां हैं। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि डॉ. बू को कई अवसरों पर अपेक्षित सूचना देने और अपनी प्रतिक्रिया में कमियों को सुधारने का अवसर दिया गया था। विशेष रूप से, दिनांक 5 मई 2026 के ईमेल में, प्राधिकारी ने विशेष रूप से डॉ. बू को सूचित किया कि उनके द्वारा 10 नवंबर 2025 को प्रस्तुत प्रश्नावली की व्यापार सूचना संख्या 06/2021 दिनांक 29 जुलाई 2021, "के अनुसार नहीं था और अपूर्ण" था। यह भी दर्ज किया कि उत्पादक/निर्यातक ने उत्पादन प्रक्रिया और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत से संबंधित अपेक्षित प्रारूप/परिशिष्ट प्रस्तुत नहीं किए थे। डॉ बू को तदनुसार यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि इसके प्रश्नावली के उत्तर को क्यों ना नजरअंदाज किया जाए और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण किया जाए। 104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली की प्रतिक्रिया प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन किया जा सके। हालाँकि, डॉ बू ने प्रश्नावली का पूरा उत्तर नहीं दिया। विशेष रूप से, भागI , खंड सी; भाग II, खंड डी और ई; भाग III, खंड एफ, जी और आई; और भाग IV, खंड जे लिखित उत्तर के भाग के रूप में नहीं दिए गए थे। जबकि इन अनुभागों से संबंधित कुछ परिशिष्ट प्रस्तुत किए गए थे, प्रश्नावली के तहत आवश्यक संबंधित कथात्मक प्रतिक्रियाएं और स्पष्टीकरण का अभाव था। परिणामस्वरूप, प्रश्नावली की संबंधित धाराओं के तहत आवश्यक स्पष्टीकरण और सूचना के अभाव में प्रस्तुत परिशिष्टों की सार्थक रूप से जांच नहीं की जा सकी। 105. कमियों में प्रतिक्रिया की जांच और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए कमिया आवश्यक सूचना से संबंधित थी। प्राधिकारी ने विशेष रूप से अपने दिनांक 5 मई, 2026 के ईमेल द्वारा डॉ. बू का ध्यान उत्तर की अपूर्णता पर आकर्षित किया था और अपेक्षित सूचना/औचित्य की मांग की

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		थी। उत्तर में डॉ. बूं ने दिनांक 13 मई 2026 के ईमेल द्वारा, 10 नवंबर 2025 को मूल रूप से प्रस्तुत "उत्तरित प्रश्नावली" पुन: प्रस्तुत की और अतिरिक्त रूप से विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सूचना प्रस्तुत की। इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से सूचित किए जाने के बावजूद कि इसका मूल उत्तर अधूरा था और निर्धारित व्यापार नोटिस के अनुसार नहीं था और इसे ठीक करने का अवसर दिया गया था, डॉ बू ने निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 106. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रश्नावली की पूरी प्रतिक्रिया एक ही पीडीएफ फाइल में व्याख्यात्मक उत्तरों और परिशिष्टों के बीच स्पष्ट सीमांकन के बिना प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए सूचना इस तरह से प्रदान नहीं की गई थी कि प्राधिकारी निर्धारित प्रश्नावली की संबंधित आवश्यकताओं के साथ प्रस्तुत सूचना की पहचान और सह-संबंध कर सके। जिस तरह से सूचना प्रस्तुत की गई, उसने प्रश्नावली प्रतिक्रिया की सार्थक जांच को रोक दिया। 107. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अंतर्निहित आंकड़ों और परिशिष्ट एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, डॉ. बू द्वारा प्रस्तुत अंतर्निहित आंकड़े ऐसे रूप में उपलब्ध नहीं थे जो प्राधिकारी को सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए आवश्यक कार्य और गणना करने की अनुमति दे सके। कार्यशील इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्निहित आंकड़ों के अभाव ने प्राधिकारी को प्रश्नावली प्रतिक्रिया में प्रस्तुत सूचना का आवश्यक विश्लेषण करने से भी रोक दिया। 108.. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत परिचालित नहीं किया गया था। जांच के दौरान विशेष रूप से अगोपनीय अनुरोधों के परिचालन की आवश्यकता को दोहराया गया था। विशेष रूप से, प्राधिकारी ने दिनांक 7 नवंबर 2025 के पत्र द्वारा, सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोध/टिप्पणियों के अगोपनीय रूपांतर को परिचालित करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को आवश्यक बताया। डॉ बू इस पत्र के प्राप्तकर्ताओं

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		में से एक थे। इसलिए परिचालन की आवश्यकता डॉ. बू की जानकारी में थी और केवल एक प्रक्रियात्मक अपेक्षा नहीं थी जिसके बारे में निर्यातक को अवगत नहीं कराया गया था। 109. डॉ. बू के अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच निम्नानुसार है: (क) 13 मई 2026 के अपने ई-मेल में, प्राधिकारी के 5 मई 2026 के पत्र के उत्तर में डॉ. बू ने 10 नवंबर 2025 को दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया को फिर से प्रस्तुत किया और नाइट्राइल और लेटेक्स पाउडर-मुक्त दस्ताने के उत्पादन की लागत और उत्पादन प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया; पुनः अनुरोधों में गायत तथ्यात्मक भाग नहीं दिए गए थे और लागत संबंधी सूचना निर्धारित परिशिष्टों या पीसीएन-वार प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की गई थी, ताकि बताई गई कमियों को ठीक नहीं किया जाए; (ख) अपने पत्र दिनांक 24 सितंबर 2026 में, डॉ बू ने उल्लेख किया कि भारत में इसकी कोई संबद्ध कंपनियां या थाईलैंड या अन्यत्र संबद्ध सामानों के संबंधित उत्पादक नहीं हैं, कि इसकी प्रतिक्रिया पूर्ण और सटीक है, और अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध किया गया है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्तर को संबद्ध कंपनियों के गैर-प्रकटन के संबंध में उत्तर का निरस्तीकरण आधारहीन है पत्र में ऊपर नोट किए गए उत्तर के स्वरूप, विषय-वस्तु और कार्यशीलता में कमियों को हल नहीं किया गया है; (ग) उत्तर की जांच करने पर, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत में निर्यात लेनदेन को पीसीएन-वार रिपोर्ट नहीं किया गया है, कि प्रतिक्रिया भारत में 49 निर्यात लेनदेन को संदर्भित करती है जबकि केवल 5 लेनदेन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, और घरेलू बिक्री की सूची में ग्राहकों के नाम, संबंध, डिलीवरी और भुगतान की शर्तें, सकल और निवल बीजक मूल्य, छूट, भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट अवधि और लागत, पैकिंग या अन्य कटौती शामिल नहीं हैं; इस सूचना के अभाव में, न तो सामान्य मूल्य और न ही निवल निर्यात कीमत डॉ. बू के लिए निर्धारित की जा सकती है। भले ही उत्तर अन्यथा स्वीकार किए जाएं; और (घ) घरेलू उद्योग ने दिनांक 25 सितंबर 2026 के अपने अनुरोध द्वारा यह उल्लेख किया कि उसे मालूम नहीं था जानता था कि डॉ बू ने कोई प्रश्नावली उत्तर दायर किया है क्योंकि कोई अगोपनीय रूपांतर उसे नहीं दिया गया था और यह कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित 27 फरवरी, 2026

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		के ईमेल द्वारा डॉ. बू सहित कई उत्पादकों/निर्यातकों से अगोपनीय रूपांतर प्राप्त न होने को जारी किया गया था; डॉ. बू ने इसका विरोध नहीं किया। 110 उपर्युक्त के मद्देनज, और विशेष रूप से यह देखते हुए कि डॉ बू को प्राधिकारी द्वारा उसकी प्रतिक्रिया में कमियों के बारे में विशेष रूप से सूचित किया गया था और उसे इसे सुधारने का अवसर दिया गया था, प्रतिक्रिया का एक अगोपनीय रूपांतर फाइल पर नहीं रखा गया था या परिचालित नहीं किया गया था, निर्धारित प्रश्नावली प्रतिक्रिया के पर्याप्त हिस्से प्रस्तुत नहीं किए गए थे, और प्रस्तुत की गई सूचना और अंतर्निहित आंकड़े निर्धारित रूप और तरीके में प्रदान नहीं किए गए थे, जिसमें कार्यशील एक्सेल प्रारूप भी शामिल था, जिसने सार्थक विश्लेषण और निर्धारण की अनुमति दी थी या जिसे प्राधिकारी ने निर्धारित किया था, प्राधिकारी को पता चला है कि डॉ. बू द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया किसी अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए बू पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने अलग पाटन मार्जिन और तदनुरूपी क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए डॉ. बू द्वारा दायर ईक्यूआर को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर डॉ. बू के संबंध में कार्यवाही की है। डॉ. बू की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की, उनके साथ दायर किए जाने के रूप में कथित दस्तावेजों सहित, नीचे खंड झ में जांच की गई है और वे इस निर्धारण को परिवर्तित नहीं करती हैं। **<u>असहयोगी उत्पादक/निर्यातक</u>** 111. असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनके प्रश्नावली के उत्तर ऊपर बताए गए कारणों से स्वीकार नहीं किए गए हैं, प्राधिकारी ने नियम 6 (8) के तहत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की है। अवशिष्ट मार्जिन नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है। **च.3.2. पाटन मार्जिन का निर्धारण** 112. जिन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किया गया है, प्राधिकारी ने भारत में पीसीएन-वार कारखानागत निर्यात कीमत की

हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

तुलना पीसीएन-वार पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए तदनुरूपी पीसीएन-वार सामान्य मूल्य के साथ की है। नीचे दी गई तालिका में ऊपर वर्णित उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित अवशिष्ट मार्जिन के साथ जांच की अवधि में भारत को निर्यातित पीसीएन को ध्यान में रखने के बाद, उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारित औसत कारखानागत निर्यात कीमत, भारित औसत सामान्य मूल्य और भारित औसत पाटन मार्जिन दर्शाया गया है।

113. ऊपर बताए अनुसार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

विवरण	**सामान्य मूल्य**	**निर्यात कीमत**	**पाटन मार्जिन**		
	(यूएसडॉफ./ लाख पीस)	**(यूएसडॉ../ लाख पीस)**	**(यूएसडॉ./ लाख पीस)**	**%**	**रेंज**
थाईलैंड					
श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड ("एसटीजीटी")	***	***	***	***	10-20
कोई अन्य	***	***	***	***	70-80
मलेशया					
मै. वाईटीवाई इंडस्ट्रीज एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	40-50
कोई अन्य	***	***	***	***	95-105

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क का आकलन

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार 114. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: क. आवेदकों का संचयी मूल्यांकन का अनुरोध एक कठोर निर्यातक-विशिष्ट और देश-विशिष्ट विश्लेषण की वैधानिक आवश्यकता को दरकिनार नहीं कर सकता है। ख. आवेदकों के आंकड़ों से पता चलता है कि आवेदक हाल ही में प्रवेश करने वाले हैं और उनका निष्पादन एक नए उद्योग की	**घरेलू उद्योग के विचार** 115. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं: क. पाटित आयात घरेलू उद्योग को काफी क्षति पहुंचा रहे हैं। ख. आधार वर्ष में संबद्ध सामानों की मांग अधिक थी, कोविड -19 महामारी के दौरान और उसके बाद 2022-23 में कम हो गई। मांग पीओआई में बढ़ गई। ग. संबद्ध आयात की मात्रा 2023-24 तक घट गई और पीओआई में बढ़ गई। संबद्ध आयात कुल आयात का 90% है।	**प्राधिकारी द्वारा जांच** 116. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विधिवत विचार करने के बाद नियमावली अनुसार विभिन्न मापदंडों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण यहां नीचे यथतथ्यत: हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न किए गए अनुरोधों को हल करता है। 117 अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में पाटित आयातों की मात्रा, समान सामानों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए" घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है। 118. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने 2022-23 में उत्पादन शुरू किया और वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड ने 2023-24 में उत्पादन शुरु किया और इस प्रकार विकास के एक नए चरण में नए उत्पादक/प्रवेशकर्ता हैं। नए स्थापित उत्पादक होने के नाते, क्षति की अवधि में उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में वृद्धि उनके विकास पथ की स्वाभाविक और अपेक्षित विशेषता है। इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
सामान्य कठिनाइयों को दर्शाता है, जिसमें स्टार्ट-अप अक्षमताएं, पैमाने की कम अर्थव्यवस्थाएं, वित्तपोषण बोझ और बाजार-प्रवेश चुनौतियां शामिल हैं। ग. आवेदकों के आंकड़े क्षतिकारक आयात मात्रा के उनके दावे का खंडन करते हैं। संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष से 2023-24 कम हो गए और यहां तक कि पीओआई में भी 2021-22 के स्तर से नीचे रहे। आधार वर्ष कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण असामान्य था, इस प्रकार सामान्यीकरण के	घ. 2022-23 को छोड़कर, पूरी क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती काफी और सकारात्मक थी। ड. आयातों से घरेलू बाजार में कीमत न्यूनीकरण हुआ है। च. क्षति की अवधि में कीमत अंतर काफी बढ़ गया है। पहुंच कीमत और घरेलू बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई, लेकिन पहुंच कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत में गिरावटी की तुलना में अधिक थी। छ.घरेलू उद्योग की क्षमता दूसरे उत्पादक के प्रवेश से 2023-24 में बढ़ गई और उसके बाद पीओआई में स्थिर रही। ज. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री	विकास की प्रकृति और चरण को ध्यान में रखते हुए और नियमावली के अनुबंध-II में निर्धारित संगत क्षति मापदंडों के आलोक में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है। **छ.3.1 क्षति का संचयी मूल्यांकन** 119. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि जहां एक से अधिक देश से उत्पाद के आयात पाटनरोधी जांचों के अध्यधीन साथ-साथ रखे जा रहे हों, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन संचयी रूप से करेंगे, यदि वह निर्धारित करता है कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सिद्ध पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के तीन प्रतिशत (अथवा अधिक) है, अथवा जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सार्वजनिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए होता है, और आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्द्धा की स्थितियों के आलोक में उपयुक्त है। 120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि (क) प्रत्येक संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है; (ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा जांच की अवधि में समान वस्तु के कुल आयात का तीन प्रतिशत से अधिक है, जिसमें मलेशिया और थाईलैंड से आयात क्रमशः कुल आयात का लगभग 73% और 17% है; (ग) संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं, समान उपभोक्ता क्षेत्रों को वितरण के समान चैनलों के माध्यम से बेची जाती हैं, और भारतीय बाजार में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं; और (घ) दोनों संबद्ध देशों से आयात क्षति की अवधि के दौरान एक साथ भारतीय बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से पाटित आयातों के

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
बाद आयात में कोई भी वृद्धि अपने आप में क्षति सिद्ध नहीं करती है। घ. एक ऐसे बाजार में जिसे आवेदक स्वयं अत्यधिक आयात निर्भर और मांग समृद्ध बताते हैं, केवल आयात की मौजूदगी क्षति सिद्ध नहीं करती है। प्राधिकारी को यह पहचानना चाहिए कि महामारी के बाद बाजार का सामान्यीकरण, न कि पाटन, मात्रा और कीमतों में सुधार की व्याख्या करता है। ड. घरेलू उद्योग इस वैश्विक बाजार सुधार के प्रभावों को कथित तौर पर संबद्ध आयात के कारण होने वाले	की मात्रा में क्षति की अवधि में वृद्धि देखी गई, हालांकि, क्षमता उपयोग केवल 33% पर बना हुआ है। झ. संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी 81% पर काफी बनी हुई है। ञ. घरेलू उद्योग 2022-23 में अपना परिचालन शुरू करने पर लाभप्रद था। चूंकि क्षति की अवधि में आयात कीमत में गिरावट आई, घरेलू हानियां, नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई। ट. क्षति की अवधि में औसत मालसूची स्तर में काफी वृद्धि हुई। ठ. क्षति की अवधि में रोजगार का स्तर बढ़ गया है। इस	प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करना उचित समझते हैं। अन्य हितधारक पक्षकारो का यह तर्क कि संचयी मूल्यांकन देश-विशिष्ट विश्लेषण को दरकिनार कर देगा, स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि मात्रा और मूल्य प्रभावों की भी प्रत्येक संबद्ध देश के लिए अलग से जांच की गई है, जहां भी संगत है। **छ.3.2 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन** 121. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में संबद्ध सामानों की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात की राशि के रूप में परिभाषित किया है। पीयूसी की मांग इस प्रकार है.

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	लाख पीस में	68,528	39,272	30,443	42,106
मलेशिया	लाख पीस में	54,764	31,286	22,147	34,222
थाईलैंड	लाख पीस में	13,764	7,986	8,296	7,884
अन्य देशों से आयात	लाख पीस में	5,118	2,884	3,883	4,930
कुल आयात	लाख पीस में	73,646	42,156	34,326	47,036
घरेलू उद्योग की बिक्री	लाख पीस में	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*400*	*906*
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	लाख पीस में	***	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*271*	*2,562*	*5,413*
मांग/खपत	लाख पीस में	73,704	42,498	36,546	51,841
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*58*	*50*	*70*
भारतीय क्षमता	लाख पीस में	7,200	12,910	19,507	19,507
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*179*	*271*	*271*

122. यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग आधार वर्ष से 2023-24

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
प्रभावों से अलग करने में विफल रहा है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II के तहत आवश्यक है। च. आवेदकों का व्यापक आयात रुझानों और एकत्रित पहुंच मूल्य विश्लेषण पर भरोसा उचित उत्पाद-विशिष्ट पृथक्करण और एक दूसरे के समान तुलना के अभाव में अविश्वसनीय है। छ. आवेदकों का मूल्य प्रभाव विश्लेषण अविश्वसनीय है क्योंकि यह आवेदकों की कीमतों और लागतों के साथ पहुंच मूल्य की व्यापक एकत्रित	अवधि के दौरान वेतन और मजदूरी में भी वृद्धि हुई। प्रति दिन उत्पादकता रोजगार, वेतन और मजदूरी के समान गति का अनुसरण करती है। ड. घरेलू उद्योग की वृद्धि पर पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ढ. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार संबद्ध देशों से आयात बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी बाजार हिस्सेदारी नहीं बढ़ा पाया। ण. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। त. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए	तक कम हो गई है और उसके बाद पीओआई में बढ़ गई है। यह नोट किया जाता है कि कोविड के प्रभाव के कारण आधार वर्ष में पीयूसी की मांग काफी अधिक थी क्योंकि उत्पाद का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भारी मात्रा में किया जाता है। **छ.3.3 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव** **क. पूर्ण और सापेक्ष दृष्टि से आयात** 123. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के अंतिम रूप दिए गए पीयूसी और पीसीएन के आधार पर आंकड़ों पर विचार किया है। क्षति की अवधि में पूर्ण रूप से और सापेक्ष रूप से आयात की मात्रा की सूचना निम्नानुसार है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
पूर्ण दृष्टि से आयात:					
मलेशिया से आयात	लाख. पीस में	54,764	31,286	22,147	34,222
थाईलैंड से आयात	लाख. पीस में	13,764	7,986	8,296	7,884
संबद्ध देशों से आयात	लाख. पीस में	68,528	39,272	30,443	42,106
अन्य देशों से आयात	लाख. पीस में	5,118	2,884	3,883	4,930
सापेक्ष दृष्टि से संबद्ध आयात					
भारतीय उत्पादन	%	60,644%	6,809%	1,024%	738%
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*11*	*2*	*1*
भारतीय खपत	%	93	92	83	81
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*99*	*90*	*87*

124. यह देखा जाता है कि पूर्ण दष्टि से संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
तुलना पर निर्भर करता है, बिना किसी पीसीएन-वार, विनिर्देश-वार, या एक दूसरे के समान विश्लेषण के। पीयूसी में कई सामग्री श्रेणियां, पाउडर/पाउडर-मुक्त रूप, स्टेराइल/गैर-स्टेराइल रूप और वजन-आधारित वेरिएंट शामिल हैं, जिनके लिए तुलनीय आधार पर सार्थक तुलना की आवश्यकता होती है। आयात कीमतों में गिरावट महामारी के स्तर से है और पाटन-प्रेरित कीमत दबाव से नहीं है, और आवेदक इन दो अलग-अलग प्रभावों को अलग करने में विफल रहे हैं। ज.किसी अपरिपक्व	गए मापदंड केवल घरेलू निष्पादन के लिए हैं और इसलिए घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है। थ. पीयूसी के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।	आधार वर्ष से 2023-24 में कम हो गई और उसके बाद पीओआई में काफी बढ़ गई। वर्ष 2021-22 के दौरान उच्च आयात को कोविड के कारण माना जा सकता है। यह नोट किया जाता है कि देश में मांग आपूर्ति अंतर है और आयात एक आवश्यकता है, आयात में वृद्धि क्षमता के बावजूद है, घरेलू उद्योग काफी निष्क्रिय है। 125. सापेक्ष दृष्टि से, भारतीय उत्पादन के संबंध में और भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध आयात में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। यह इस तथ्य के कारण है कि भारतीय उत्पादन में क्षति की अवधि में विस्तार हुआ, जिसमें आवेदक कंपनियां नवको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, ने क्रमशः 2022-23 और 2023-24 में उत्पादन शुरू किया। संबद्ध आयात भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में काफी बने हुए हैं, विशेष रूप से पीओआई में। **छ.3.4 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव** 126.कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत तुलना में तथाकथित पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करने या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती। 127. तदनुसार, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण/ह्रास, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और निवल बिक्री वसूली की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। **क. कीमत कटौती** 128. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की की कटौती कर रहे हैं, पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ संबद्ध आयातों की पहुंच कीमतकी तुलना करके कीमत कटौती निकाली गई है। इस प्रकार, संबंधित आयात मात्रा पर विचार करने के बाद भारित औसत कीमत कटौती निर्धारित की गई है। इस

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
घरेलू उत्पादक की लागत से कम आयात मूल्य स्वचालित रूप से क्षतिकारक पाटन सिद्ध नहीं करते हैं। आवेदकों का "मानकीकृत" लागत पर भरोसा इस बात की पुष्टि करता है कि उनकी वास्तविक लागत अभी तक एक स्थिर, अनुकूलित लागत संरचना का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और इस मानकीकरण पद्धति की जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, कम क्षमता का उपयोग, प्रति इकाई उच्च लागत और कमजोर प्रारंभिक लाभप्रदता यह सामान्य है एक		तुलना से पता चला कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों के मूल के संबद्ध वस्तुओं उन कीमतों पर भारतीय बाजार में आयात किए गए थे, जो वास्तविक रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थी। इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के आयात घरेलू कीमतों की कटौती कर रहे थे और कटौती का मार्जिन नीचे तालिका के अनुसार दर्शाया गया है:

विवरण	यूओएम	मलेशिया	थाईलैंड	संबद्ध देश
पहुंच कीमत	रु./लाख पीस	1,22,488	1,45,397	1,26,777
बिक्री कीमत	रु./लाख पीस	***	***	***
कीमत कटौती	रु./लाख पीस	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***
कीमत कटौती रेंज	रेंज	25-35	5-15	25-35

129. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं, और इस तरह की कीमत कटौती काफी है।

कीमत न्यूनीकरण या ह्रास

130. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी हद तक कम करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे दी गई है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	रु./ संख्या लाख	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*214*	*147*
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ संख्या लाख	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*123*	*123*
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./ संख्या लाख	2,91,792	1,38,022	1,30,519	1,26,777
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*47*	*45*	*43*

131. प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री लागत और बिक्री कीमत में, बिक्री लागत में वृद्धि बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक होने के कारण क्षति की अवधि

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
नएत उद्योग के लिए। झ. आयातों का पहुंच मूल्य कम रहने के बावजूद पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई, जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों को समायोजित करने की शक्ति बरकरार रखी। ञ. कीमत कटौती का दावा पूंजी पर 22% आय का उपयोग करके गणना किए गए एक बढ़े हुए एनआईपी पर आधारित है। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट पर भरोसा किया गया		में वृद्धि हुई है। तथापि, लागत में वृद्धि के बावजूद, पीओआई तक आयात के पहुंच मूल्य में काफी गिरावट आई। 2023-24 और जांच की अवधि में पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से से कम ही नहीं है, बल्कि इसकी लागत से भी कम है। इसके अतिरिक्त, 2022-23 में आयात की पहुंच कीमत में 50% से अधिक की भारी गिरावट आई थी। घरेलू उद्योग ने 2022-23 में मामूली लाभ कमाया, लेकिन इसकी बिक्री कीमत 2023-24 और पीओआई में बिक्री की लागत से कम थी। इस प्रकार, आयातों से घरेलू बाजार में कीमत ह्रास हुआ है। चूंकि आवेदक कंपनियों ने क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया था, इसलिए कीमत ह्रास और न्यूनीकरण की जांच करने के लिए मानकीकृत लागत की तुलना बिक्री कीमत से की गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। मानकीकृत लागत की गणना उत्पादन के स्तर पर बिक्री की लागत की गणना करके की गई है जो क्रमशः 2022-23, 2023-24 और पीओआई में ***%, ***% और ***% के क्षमता उपयोग के अनुरूप है, जबकि वास्तविक क्षमता उपयोगिता ***%, ***% और ***% है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत					
वास्तविक	रु./ संख्या लाख	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*214*	*147*
सामान्यीकृत	रु./ संख्या लाख	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*169*	147
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ संख्या लाख	-	***	***	***
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	-	*100*	*123*	*123*
आयात का पहुंच मूल्य	रु./ संख्या लाख	2,91,792	1,38,022	1,30,519	1,26,777
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*47*	*45*	*43*

132. यह देखा जाता है कि यहां तक कि जब मानकीकृत लागत से तुलना की जाती है, जो परिचालन के शुरुआती वर्षों में कम क्षमता उपयोग के प्रभाव

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
है, जिसमें यह माना गया था कि नियोजित पूंजी पर 22% आय मान लेने से "कम कीमत पर बिक्री की एक बढ़ी हुई तस्वीर मिलती है जो क्षति का एक सच्चा संकेतक नहीं हो सकता है", और घरेलू उद्योग को ऐसे उच्च बेंचमार्क को सही ठहराने के लिए उत्पाद खंड में ऐतिहासिक आय का प्रमाण प्रदान करना चाहिए। ट. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिक्री सभी क्षति की अवधि में बढ़ गई है, और मात्रा के मामले में पीओआई सबसे अच्छा वर्ष था। घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग		को निष्प्रभावी कर देती है, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति 2023-24 और पीओआई में लागत से कम रही। इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा झेला गया कीमत न्यूनीकरण को केवल एक नए उद्योग की स्टार्ट-अप अक्षमताओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। **छ.3.5 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर परिणामी प्रभाव** 133. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है। 134. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग विकास के नए चरण में है और इसकी लाभप्रदता इसकी विश्वसनीयता के रुझानों का मूल्यांकन उस संदर्भ में किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने केवल 2022-23 में लाभ कमाया, जो उसके प्रचालनों का प्रारंभिक वर्ष था। हालाँकि, बाद में, पाटित आयातों ने घरेलू बाजार में काफी कीमत दबाव डाला और घरेलू उद्योग की वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्थापना और विस्तार के महत्वपूर्ण चरण में होने के बावजूद, घरेलू उद्योग को 2022-23 में लाभप्रद स्थिति से जांच की अवधि में वित्तीय हानियां हुई। 2023-24 में लाभप्रदता

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
में लगातार वृद्धि हुई है, इसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, और यह पीओआई के दौरान अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने में सक्षम रहा है। यह एक बढ़ते, विस्तारित घरेलू उद्योग को दर्शाता है। इस चरण के दौरान कोई भी हानि एक नए उद्योग के साथ संगत है जो अभी भी सीखने के माड पर है और स्टार्ट-अप लागत को अवशोषित कर रहा है। ठ. इसके अलावा आवेदकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए "हानि उठाने की लागत पर"		में गिरावट पहुंच कीमतों में और अधिक गिरावट के अनुरूप थी। उस वर्ष संबद्ध आयात की मात्रा में गिरावट आई और पीओआई में वृद्धि हुई। **क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री** 135. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री के बारे में सूचना इस प्रकार है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संस्थापित क्षमता	पीस (लाख में)	-	***	***	***
	सूचीबद्ध		*100*	*222*	*222*
कुल उत्पादन (पीयूसी)	पीस (लाख में)	-	***	***	***
	सूचीबद्ध		*100*	*500*	*870*
क्षमता उपयोग	%	-	***	***	***
	सूचीबद्ध		*100*	*226*	*392*
घरेलू बिक्री	पीस (लाख में)	-	***	***	***
	सूचीबद्ध		*100*	*400*	*906*

136. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

क. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नवको इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड ने 2022-23 में उत्पादन शुरू किया और वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड ने 2023-24 में उत्पादन शुरु किया। तदनुसार, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता 2023-24 में वृद्धि दिखाती है और उसके बाद पीओआई में समान बनी हुई है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि के भीतर उत्पादन शुरू करने के कारण क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है। हालाँकि, देश में प्रचलित मांग के स्तर की तुलना में उत्पादन और बिक्री महत्वहीन बनी रही। इसके अलावा, उत्पादन और बिक्री में यह सीमित वृद्धि भी हानि उठाने की कीमत पर हासिल की गई थी।

ग. घरेलू उद्योग उप-इष्टतम स्तरों पर काम करना जारी रखता है, जिसमें संस्थापित क्षमता का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रहता है। पीओआई के

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की है। जानबूझकर बाजार में प्रवेश करने की रणनीति से उत्पन्न होने वाले नुकसान को संबद्ध आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह के वाणिज्यिक विकल्प पाटनरोधी कानून के तहत आवश्यक कारणात्मक श्रृंखला को तोड़ते हैं। ड. क्षमता की मात्र मौजूदगी या घोषित विस्तार योजनाएं पाटन या विश्लेषण के खतरे का आधार नहीं बन सकते हैं। आवेदकों ने यह दर्शाने वाला निर्यातक-विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं		दौरान क्षमता उपयोग केवल ***% (सीमा 25-35%) था। इस प्रकार, देश में काफी मांग के बावजूद, संस्थापित क्षमता का लगभग ***% (65-75% की रेंज) बेकार रहा। 137. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा नई उत्पादन सुविधा पर उत्पादन शुरू करने और भारतीय बाजार में काफी मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में आनुपातिक रूप से वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। घरेलू उद्योग उत्पादन क्षमताओं के काफी कम उपयोग से हानि झेल रहा है। **ख. मांग में बाजार हिस्सा** 138. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान मांग में संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार थी:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध आयात	%	93%	92%	83%	81%
	सूचीबद्ध	*100*	*99*	*90*	*87*
मलेशिया से आयात	%	74%	74%	61%	66%
	सूचीबद्ध	*100*	*99*	*82*	*89*
थाईलैंड से आयात	%	19%	19%	23%	15%
	सूचीबद्ध	*100*	*101*	*122*	*81*
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*465*	*743*
आयात - अन्य देश	%	7%	7%	11%	10%
	सूचीबद्ध	*100*	*98*	*153*	*137*
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	*100*	*470*	*5,167*	*7,696*
कुल हिस्सा	**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
किया है कि स्थापित क्षमता भारत के लिए नियत है या यह कि किसी भी परिवर्तन का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया गया है और आसन्न है। एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आवेदक उचित गैर-आरोपण विश्लेषण करने में विफल रहे हैं और ज्ञात गैर-आयात कारकों जैसे कि नए उद्योग, स्टार्ट-अप अक्षमताओं, उच्च वित्तपोषण बोझ, कम क्षमता उपयोग, जानबूझकर बाजार प्रवेश कीमत निर्धारण, महामारी के बाद संबद्ध आयातों के प्रभावों को अलग नहीं		139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के लिए घरेलू उद्योग घरेलू बाजार का केवल ***% (0-10% की सीमा) रखता है। भारतीय उद्योग भी समग्र रूप से बाजार में काफी कम हिस्सेदारी रखता है, जबकि आयातित वस्तुओं की बाजार हिस्सेदारी 81% है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जबकि मांग-आपूर्ति अंतर मौजूद है, पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को उचित बाजार हिस्सेदारी हासिल करने से रोक दिया है। घरेलू उद्योग देश में काफी मांग को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्सेदारी को इष्टतम स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए था। हालाँकि, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी बहुत कम है, जिसमें आयात वस्तुतः बाजार में प्रमुख हिस्सेदारी रखता है। **ग. लाभप्रदता, नकद लाभ, नियोजित पूंजी पर आयात** 140. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता , नकद लाभ, कर-पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कर पूर्व लाभ	लाख रु.	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-25,604*	*-14,473*
कर पूर्व लाभ	रु./संख्या लाख	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-6,401*	*-1,597*
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रु.	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-1,245*	*207*
ब्याज और कर पूर्व लाभ	रु./संख्या लाख	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-311*	*23*
नकद लाभ	रु./संख्या लाख	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-3,806*	*-2,634*
नकद लाभ	रु./संख्या लाख	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-952*	*-291*
नियोजित पूंजी पर आय	%	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*-293*	*47*

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
किया है। यह कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने के कानूनी मानक को विफल कर देता है। ढ. प्राथमिक कच्चा माल मलेशिया और थाईलैंड में सस्ती कीमत पर उपलब्ध है, जिससे बुनियादी ढांचे पर आधारित लाभ मिलता है। ण. अधिकांश घरेलू उत्पादक सर्जिकल दस्ताने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रतिस्पर्धी दरों पर पीयूसी का उत्पादन करने के लिए अनुभव, उपकरण या पर्याप्त क्षमता की कमी है। बीआईएस आईएस: 15354 मानकों को पूरा करने वाले पीयूसी के साथ एनपीयूसी की कीमतों की		141.यह नोट किया जाता है कि: क. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2022-23 में मामूली लाभ कमाया। घरेलू उद्योग को तब 2023-24 में एक तीव्र गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसमें जांच की अवधि में केवल आंशिक वसूली से पूर्व संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य में गिरावट आई। घरेलू उद्योग को पीओआई में भी काफी हानियां हुई। ख. पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय की इस पैटर्न को दर्शाती हैं: प्रत्येक मापदंड में 2023-24 में तेजी से गिरावट आइ और पीओआई में केवल आंशिक सुधार दिखाया, पीबीआईटी और आरओसीई मामूली रूप से सकारात्मक हो गए जबकि नकद लाभ काफी नकारात्मक रहा। 142. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उत्पादक इतने कम दामों पर पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से काफी कम है। इसलिए, घरेलू उद्योग को अलाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप काफी वित्तीय नुकसान हुआ है और इसकी लाभप्रदता में गिरावट आई है। यह तथ्य कि पहुंच कीमत 2023-24 और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लागत से भी कम कीमत बनी रही, पाटित आयातों प्रतिकूल कीमत प्रभाव को दर्शाता है और घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में ह्रास का प्रमाण देता है। **घ. मालसूची** 143. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति से संबंधित आंकड़ों को नीचे दी गई तालिका में दिया गया है। यह देखा गया है कि देश में पर्याप्त मांग के बावजूद क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची का औसत स्तर काफी बढ़ गया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
तुलना भ्रामक है। इस तरह की कार्रवाइयों से कृत्रिम कमी पैदा होने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए लागत बढ़ने का खतरा है। त. कुछ भारतीय दस्ताना निर्माताओं द्वारा अपनी क्षमता और पीयूसी के लिए कीमत निर्धारण के बारे में प्रदान किए गए आंकड़े गलत हैं।		

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	लाख पीस में	-	-	***	***
	सूचीबद्ध	-	-	*100*	*8,891*
अंतिम मालसूची	लाख पीस में	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*8,891*	*8,372*
औसत मालसूची	लाख पीस में	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*8,991*	*17,263*

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

144. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	पीओ आई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*587*	*680*
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*3,427*	*3,923*
प्रतिदिन उत्पादकता	संख्या (लाख में)	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*500*	*870*
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	संख्या (लाख में)	-	***	***	***
	सूचीबद्ध	-	*100*	*85*	*128*

145.प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या और वेतन और मजदूरी में वृद्धि हुई। उत्पादन के संचरण के बाद प्रति दिन उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। 2023-24 में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई और जांच की अवधि में ठीक हो गई।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच

च. वृद्धि

146 यह देखा जाता है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

विवरण	यूओएम	2022-23	2023-24	पीओआई
उत्पादन(पीयूसी)	%	-	400%	74%
घरेलू बिक्री	%	-	300%	127%
पीबीआईटी	%	-	-1345%	-117%
नकद लाभ	%	-	-3906%	-31%
आरओसीई	%	-	-393%	-116%

नोट: पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई के लिए पीओआई प्रतिशतता परिवर्तनों में नकारात्मक पूर्व वर्ष के डेनोमिनेटर्स है। नकारात्मक संकेत आगे गिरावट का संकेत नहीं देते हैं; तीनों मापदंडों में 2023-24 में सुधार हुआ।

147. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि में उत्पादन और घरेलू बिक्री के रूप में मात्रा मापदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, इसके लाभप्रदता मापदंडों, अर्थात् पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई में 2023-24 में तेज नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई और, पीओआई में आंशिक सुधार के बावजूद, घरेलू उद्योग ने पीओआई में हानियां और नकद हानियां उठाई। इस मात्रात्मक वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग और बाजार हिस्सा जांच की अवधि में क्रमश:***% (रेंज 25-35%) और ***% (रेंज 0-10%) पर कम रही।

छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

148. पाटन की मात्रा इस बात का संकेत है कि भारत में आयात किस हद तक किया जा रहा है। जांच से पता चला है कि प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां	घरेलू उद्योग की टिप्पणियां	प्राधिकारी द्वारा जांच
		ज. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव 149. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उसने क्षति की अवधि में निवेश किया और क्षमताएं जोड़ीं, हालांकि, आयात में गिरावट ने घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इसकी दीर्घकालिक संधारणीयता को खतरे में डाल दिया है। प्राधिकारी नोट करते है कि क्षति की अवधि में उसकी लाभप्रदता में काफी गिरावट सहित घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पूंजी निवेश जुटाने में उसकी क्षमता को प्रभावित करेगा। 150. देश में उत्पाद की मांग, मौजूदा क्षमता और उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि उत्पाद में क्षमता वृद्धि की अपार संभावना है। हालाँकि, जब मौजूदा उत्पादक अपने संयंत्रों को चलाने में असमर्थ हैं और काफी वित्तीय हानियां झेल रहे हैं, तो यह स्पष्ट है कि देश में काफी पाटन के कारण देश में नए निवेश के लिए बाजार अनुकूल नहीं है। **झ. कीमत को प्रभावित करने वाले कारक** 151. प्राधिकारी नोट करते हैं कि *2023-24* और पीओआई में संबद्ध आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से काफी कम रही है। इसके अलावा, बिक्री लागत निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि से अधिक बढ़ गई है जिससे कीमत ह्रास हुआ है। क्षति की अवधि में आयात की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। इसलिए, पाटित आयात जो काफी कम कीमत पर हैं, घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक हैं।

छ.4 गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक) और कारणात्मक संपर्क

152. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हे। प्राधिकारी ने पाटित आयातों को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की जांच की और पता लगाया कि क्या ये एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे थे, ताकि अन्य कारकों के कारण होने वाली क्षति, यदि कोई हो, तो पाटित आयात के कारण नहीं है। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए संबद्ध सामानों की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

153. क्षति की अवधि में अधिकांश आयात संबद्ध देशों से किए गए हैं। यह देखा गया है कि तीसरे देशों से आयात या तो मात्रा में कम है या अधिक कीमत पर है और इस प्रकार घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं है।

ख. मांग में संकुचन

154. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण मांग अधिक थी। इसके बाद, 2022-23 में और जांच की अवधि में वृद्धि से पूर्व 2023-24 में, मांग में गिरावट आई। जबकि पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में मांग बढ़ी है, घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोगिता पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण बहुत कम है। इस प्रकार, मांग में किसी भी संकुचन के लिए क्षति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

155. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सके।

घ. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

156. यह देखा जाता है कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या किसी भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई प्रमाण नहीं है जो घरेलू उद्योग को कथित क्षति के लिए जिम्मेदार हों।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

157. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मौजूदगी के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

च. <u>उत्पादकता</u>

158. उत्पादन की गतिविधि के बाद क्षति की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता में वृद्धि हुई। प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2023-24 में घट गई और पीओआई में ठीक हो गई, जो इसके 2022-23 स्तर से अधिक है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

159. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन नगण्य है। किसी भी मामले में, ऊपर जाँची गई क्षति की सूचना, जहां तक आवश्यक और उचित है, केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन ने घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के बिक्री निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है।

ज. <u>अन्य उत्पादों का निष्पादन</u>

160. घरेलू उद्योग ने समान वस्तु के लिए क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से इसे अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है। अत:, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

<u>कारणात्मक संपर्क सिद्ध करने वाले कारक</u>

161. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का पता चलता है। पाटित आयात और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क निम्नलिखित कारकों के संबंध में सिद्ध है:

क. संबद्ध आयात 2023-24 तक कम हो गया और उसके बाद पीओआई में काफी बढ़ गया। भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में संबद्ध आयात काफी बने हुए हैं, साथ ही घरेलू उद्योग की क्षमता का कम उपयोग भी जारी है।

ख. क्षति की अवधि में संबद्ध आयात की कीमतें कम हो गई हैं। परिणामस्वरूप, आयातों भारतीय बाजार में एक प्रमुख हिस्सेदारी पर कब्जा करना जारी रखा और घरेलू उद्योग ने काफी बाजार अवसर खो दिए।

ग.. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और लागत से कम कीमत पर हैं, जो कीमत न्यूनीकरण कर रहे हैं तथा घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक रहे हैं। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानियां हो रही है।

घ. घरेलू उद्योग के नकद लाभ भी नकारात्मक हैं और नियोजित पूंजी पर आय थोड़ी सी सकारात्मक है।

ड. देश में मांग और इसकी संस्थापित क्षमता के सापेक्ष मात्रा मापदंडों में घरेलू उद्योग की वृद्धि अपर्याप्त रही है, और इसकी लाभप्रदता मापदंडों में पाटित आयातों के कारण 2023-24 में तेज नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

छ.5 <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

162. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़े अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षतिरहित कीमत क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करना हेतु मानी गई है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय न लगाया जाए। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर 22% कर-पूर्व आय (अर्थात औसत निवल अचल परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) ब्याज, कारपोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए मानी गई थी। बिक्री लागत में ब्याज घटाने के बाद अनुमति दी गई थी। नियमावली के अनुबंध-III के सिद्धांतों के अनुसार क्षतिरहित कीमत निकालने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में शेष की अनुमति दी गई थी।

163. पहुंच कीमत और ऊपर निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

<u>क्षति मार्जिन तालिका</u>

विवरण	क्षतिरहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
	(यूएसडॉ/लाख पीस)	(यूएसडॉ/लाख पीस)	(यूएसडॉ/लाख पीस)	%	रेंज
थाईलैंड					
श्री ट्रंग ग्लोव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड ("एसटीजीटी")	***	***	***	***	15-25
अन्य कोई	***	***	***	***	20-30
मलेशिया					
मै.वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी.	***	***	***	***	15-25
कोई अन्य	***	***	***	***	25-35

ज. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
<u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u> 164. सार्वजनिक हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. यह अनुरोध किया जाता है कि संबद्ध देशों से आयात एक परिपक्व और आत्मनिर्भर घरेलू उद्योग को विस्थापित नहीं कर रहा है।	**<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>** 165. हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं: क. भारत में घरेलू उद्योग की दीर्घकालिक वाणिज्यिक व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उद्योग को पाटित आयात से बचाना वैध और आवश्यक दोनों है। ख. भारतीय चिकित्सा जांच	**<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>** 166. प्राधिकारी ने विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाना जन हित के विरुद्ध होगा। यह जांच घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के रिकॉर्ड और हितों की सूचना पर विचार करने पर आधारित है। 167. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
बल्कि, वे आपूर्ति का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। ख. पीयूसी के लिए कोई उत्पाद विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। ग. प्राथमिक कच्चा माल मलेशिया और थाईलैंड में सस्ते दामों पर उपलब्ध है। उनके पास कई बुनियादी ढांचा-आधारित लाभ हैं। घ. वर्तमान कच्चे माल की कमी और आपूर्ति-पक्षीय दबाव पाटनरोधी शुल्क को प्रतिकूल बना देता है। ड. कच्चे माल जैसे मलेशिया में नाइट्राइल रबर/एनबीआर की कमी, प्राकृतिक रबर लेटेक्स के लिए संरक्षक के रूप में उपयोग किए जाने वाले अमोनिया की कमी और भारत में जलवायु परिस्थितियों के कारण रबर उत्पादन में कमी के कारण बढ़ती कीमतें। च. शुल्क लगाने से अस्पतालों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं और अन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं को नुकसान होगा जो स्थिर, प्रतिस्पर्धी कीमत वाली आपूर्ति पर निर्भर हैं। उच्च मात्रा वाले खरीदारों पर संचयी वित्तीय बोझ पर्याप्त है, जो आवेदकों	दस्ताना उद्योग एमएसएमई श्रेणी से संबंधित है, भारत में एमएसएमई के विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एक विनिर्माण पावरहाउस बनने में इसकी भूमिका में सहायता करने, रोजगार को बढ़ावा देने और देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ग. घरेलू उद्योग से खरीद करना उपभोक्ताओं के हित में है, क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में उपभोक्ताओं के हित में काम करेगा। घ. सार्वजनिक हित केवल उपभोक्ता उद्योग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आवेदक और अंततः आम जनता का हित भी शामिल है। ड. उपभोक्ताओं के हित में है कि एक प्रतिस्पर्धी आवेदक उपभोक्ताओं को उचित मूल्य वाले आयात के मुकाबले उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो। च. उत्पादों के एक जोड़े की लागत लगभग 3 रु. प्रति जोड़ी है। यह देखा जा सकता है कि प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव अत्यधिक महत्वहीन होगा। छ. भारत को वह विनिर्माण शक्ति	ने उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जांच के संगत सूचना प्रदान कर सकें, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण नई स्थिति के समायोजन में तेजी लाने या देरी करने की संभावना वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी। 168. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य, सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुले और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी यह मानते है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में विचाराधीन उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों के लागू होने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के अधिरोपण से घरेलू उद्योग में और गिरावट को रोका जा सकेगा, भारतीय उद्योग को उचित बाजार स्थिति की अनुमति मिलेगी, और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
के "नगण्य प्रभाव" के दावे के विपरीत है बाजार आयात पर निर्भर और आपूर्ति बाधित बना हुआ है। शुल्क जोखिम कम करना आपूर्ति लचीलापन और अक्षमता को बचाना। छ. घरेलू उद्योग की उसकी एमएसएमई करेक्टर पर निर्भरता सामान्य वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा के लिए एक अपील प्रतीत होती है, जो पाटनरोधी कानून का उद्देश्य नहीं है। ज. आवेदकों द्वारा आत्मनिर्भरता का आह्वान और पोषण इस बात की पुष्टि करता है कि वे व्यापार उपचार के बजाय सुरक्षा चाहते हैं। पाटनरोधी शुल्क अनुचित व्यापार परिपाटियों के लिए एक उपचारात्मक तंत्र है, न कि उभरते उद्योगों को पोषित करने या सीमित घरेलू क्षमता की भरपाई करने का उपकरण। आयात द्वारा वैध बाजार संतुलन को आपूर्ति मांग अंतराल दर्शाता है, न कि पाटन। झ. घरेलू उद्योग द्वारा प्रति जोड़ी केवल 3 रु. का हवाला देकर प्रस्तावित पाटनरोधी	बनाने के लिए घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है जो वह बनना चाहता है। ज. पाटनरोधी शुल्क उद्योग के लिए सुरक्षा नहीं है, बल्कि देश में उचित बाजार प्रतिस्पर्धा लाने का एक उपकरण है। झ. संबद्ध देशों से चिकित्सा जांच रबर दस्ताने के आयात के अलावा अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं।	रखने में मदद मिलेगी। 169. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। घरेलू उद्योग ने निचल स्तर के उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को दर्ज किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, अस्पतालों और अंतिम उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो जांच दस्ताने की निर्बाध और लागत प्रभावी आपूर्ति पर निर्भर हैं, विशेष रूप से चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में उत्पाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के पास पूरी घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है, और मांग-आपूर्ति अंतर को पाटने के लिए आयात आवश्यक है। 170. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में मांग-आपूर्ति अंतर मौजूद है, लेकिन घरेलू उद्योग की मौजूदा क्षमता अत्यधिक कम उपयोग की जाती है। यह कम उपयोग स्वयं संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के लिए जिम्मेदार है, जिसने घरेलू कीमतों को कम कर दिया है और घरेलू उद्योग की इष्टतम क्षमता स्तर पर काम करने की क्षमता को दबा दिया है, न कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग की असमर्थता या अनिच्छा का संकेत है। प्राधिकारी का विचार है कि पाटित आयातों द्वारा प्राप्त अनुचित कीमत

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
शुल्क के प्रभाव को महत्वहीन बनाने का प्रयास त्रुटिपूर्ण है। चिकित्सा जांच रबर दस्ताने पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं, दंत चिकित्सालयों, नैदानिक केंद्रों, नर्सिंग होम और सरकारी अस्पतालों में लगातार उपयोग किए जाने वाले उच्च मात्रा वाले, आवर्ती उपभोग वाली वस्तुएं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यूनतम प्रति इकाई वृद्धि एक बड़े, आवर्ती वित्तीय बोझ में बदल जाता है, जो छोटे स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठानों के लिए पतले मार्जिन पर काम कर रहा है, क्योंकि यहां तक कि एक छोटी सुविधा प्रति माह कई हजार जोड़े का उपभोग करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में एकत्रित, इस तरह के शुल्कों से कृत्रिम रूप से इनपुट लागत बढ़ जाएगी, जिससे सीधे रोगी देखभाल व्यय में वृद्धि होगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य बजट पर दबाव पड़ेगा और सस्ती चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच कमजोर होगी। ञ. एक आवश्यक संक्रमण		लाभ को हटाने से, घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग को बढ़ाने और मौजूदा स्थापित क्षमता से ही घरेलू मांग का एक बड़ा हिस्सा आपूर्ति करने की स्थिति में होगा, जिसके लिए नई क्षमता जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा बेहतर उपयोग के लिए मानने के बाद भी, एक अवशिष्ट मांग-आपूर्ति अंतर बने रहने की संभावना है, जो गैर-पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से और अन्य स्रोतों से आयात सहित आयात के माध्यम से पूरा किया जाएगा। बेहतर व्यवहार्यता घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। 171. प्राधिकारी ने कोविड -19 महामारी के दौरान अनुभव पर भी ध्यान दिया, जब सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल द्वारा चिकित्सा जांच रबर दस्ताने की घरेलू मांग में अचानक और अभूतपूर्व वृद्धि के कारण घरेलू आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए बहुत अधिक कीमतों पर बड़े पैमाने पर आयात की आवश्यकता थी। आधार वर्ष में मांग सबसे अधिक थी और यदि पाटनरोधी लगाया जाता है तो आयात से बाजार में प्रचलित कीमतों की तुलना में बहुत अधिक कीमतों पर इसे पूरा किया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात पर इस भारी निर्भरता ने घरेलू बाजार को गंभीर रूप से कमजोर बना दिया और कीमतों में भारी वृद्धि हुई। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ऐसे आवश्यक और रणनीतिक महत्व के उत्पाद के लिए अत्यधिक आयात निर्भरता के जोखिम को रेखांकित करता

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
नियंत्रण बाधा पर शुल्क लगाना सुरक्षा पर प्रीमियम रखता है और अंतिम उपभोक्ता यानी रोगी को दंडित करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक कृत्रिम रूप से भारत में स्वास्थ्य सेवा समुदाय के नुकसान के लिए चिकित्सा दस्तानों की कमी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ट. कम लागत, स्टेराइल चिकित्सा वातावरण बनाए रखने में व्यापक सार्वजनिक हित दो घरेलू उत्पादकों के संकीर्ण वाणिज्यिक हितों से अधिक होना चाहिए। ठ. अधिकांश घरेलू उत्पादक सर्जिकल दस्ताने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और प्रतिस्पर्धी दरों पर पीयूसी का उत्पादन करने के लिए अनुभव, उपकरण या पर्याप्त क्षमता की कमी है। बीआईएस आईएस: 15354 मानकों को पूरा करने वाले पीयूसी के साथ एनपीयूसी की कीमतों की तुलना भ्रामक है। इस तरह की कार्रवाइयों से कृत्रिम कमी पैदा होने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए लागत बढ़ने		है। आयात पर इस तरह की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए पर्याप्त और टिकाऊ घरेलू विनिर्माण क्षमता का निर्माण आवश्यक है। वित्तीय रूप से अर्थक्षम और आत्मनिर्भर घरेलू उद्योग, जो आयात पर अनुचित निर्भरता के बिना घरेलू मांग के एक पर्याप्त हिस्से को पूरा करने में सक्षम है, जन हित में है। 172. जहां तक अंतिम उपभोक्ताओं/स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं पर कीमत प्रभाव के संबंध में तर्क है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद की घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लगभग ***रु. प्रति पीस, या लगभग ***रु. प्रति जोड़ा है। यह कीमत आधार वर्ष में प्रचलित कीमतों से बहुत कम है। उत्पाद एक कम मूल्य की उपभोज्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है, और इसकी लागत अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उत्पन्न राजस्व या खर्च किए गए व्यय के एक महत्वहीन हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, प्राधिकारी का विचार है कि सिफारिश किए गए शुल्कों से उपभोक्ताओं या निचले स्तर के उद्योगों पर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना नहीं है और उन उत्पादों और सेवाओं की सामर्थ्य या उपलब्धता को वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं करेगा जिनमें संबद्ध सामानों का उपयोग किया जाता है। 173. प्राधिकारी ने उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क का भी विश्लेषण किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड में सबूत रखा है कि उसने गुणवत्ता के लिए बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
का खतरा है। ड. मलेशियाई और थाई कंपनियां जैसे टॉप ग्लव, हार्टालेगा होल्डिंग्स, कोसान रबर, सुपरमैक्स (मलेशिया), और श्री-ट्रैंग (थाईलैंड) बड़े पैमाने पर काम करते हैं जो पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभान्वित होते हैं, जो मात्रा और गुणवत्ता दोनों को सुनिश्चित करता है, जो भारतीय कंपनियों के विपरीत है जो आमतौर पर केवल 3 से 4 उत्पादन लाइनें रखती हैं। ढ. पाटनरोधी शुल्क से लागतें काफी बढ़ेंगी और अंतत: सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों में पहुंच और बढ़ना कम होगा। इसके अतिरिक्त विचाराधीन उत्पाद की लागत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को गैर-आनुपातिक रूप से प्रभावित करता है जिसके प्रदाता सेवाएं कम करने या रोगियों पर लागत लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ण. पाटनरोधी शुल्क मलेशिया और थाईलैंड के साथ तनावपूर्ण संबंधों को जोखिम में डालता है और जवाबी कार्रवाई को आमंत्रित करता		की उपभोक्ताओं को बड़ी मात्रा में आपूर्ति की है और उत्पाद का निर्यात भी शुरू कर दिया है। प्रकटन विवरण के बाद, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दो अन्य भारतीय उत्पादकों, जो घरेलू उद्योग का भाग नहीं हैं, के दस्तानों के बाजार नमूनों पर परीक्षण रिपोर्टें अभिलेख पर रखी हैं; इन रिपोर्टों की जांच नीचे खंड झ में की गई है। इसके विपरीत, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे यह पता चले कि उत्पाद की गुणवत्ता आयातित उत्पाद के बराबर नहीं है।

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणी	घरेलू उद्योग की टिप्पणी	प्राधिकारी द्वारा जांच
है। त. आयातों से घरेलू उत्पादकों को क्षति नहीं हो रही है। थ. पाटनरोधी उपाय के बजाय घरेलू क्षमता के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। द. अतः, सार्वजनिक हित उस बाजार में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का समर्थन नहीं करता जो आयात पर निर्भर रहता है और स्थिर तथा विचाराधीन उत्पाद की प्रतिस्पर्धी कीमत वाली आपूर्ति चाहता है।		

झ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणिया</u>

174. जांच के अंतर्गत आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण हितबद्ध पक्षकारों को 23 अक्टूबर, 2026 को जारी किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों की नीचे जांच की गई है। अनेक टिप्पणियां जांच के पूर्ववर्ती चरणों में किए गए अनुरोधों को दोहराती हैं, जिनकी जांच इन अंतिम जांच परिणामों के संबंधित खंडों में पहले ही की जा चुकी है। अतः प्राधिकारी ने प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों को नीचे केवल उसी सीमा तक दर्ज किया है और उनकी जांच की है, जिस सीमा तक वे नए मुद्दे उठाती हैं अथवा अतिरिक्त कारणों की मांग करती हैं।

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

175. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पर अपनी टिप्पणियों में किए गए अनुरोधों का विषयवार सारांश नीचे दिया गया है।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

क. जांच शुरुआत अधिसूचना में पीयूसी को आईएस 15354 को पूरा करने के लिए निर्मित दस्तानों के रूप में वर्णित किया गया था, जो उत्पाद की एक मूलभूत विशेषता है। चिकित्सा जांच दस्ताने चिकित्सा उपकरण हैं और चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 के नियम 7 के अंतर्गत इनका आईएस 15354 के अनुरूप होना अनिवार्य है; गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का न होना असंगत है। प्राधिकारी को बीआईएस के स्थान पर सीडीएससीओ से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था, जो चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 को प्रशासित करता है। प्रकटन विवरण के पैरा 12 में यह कहने के पश्चात कि वह इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि गैर-अनुरूप दस्तानों का विधिपूर्वक आयात या बिक्री की जा सकती है, प्राधिकारी ऐसे दस्तानों को पीयूसी का भाग नहीं मान सकते, और पीयूसी को आईएस 15354 के अनुरूप दस्तानों तक सीमित किया जाना चाहिए।

ख. प्रकटन विवरण के पैरा 19 को औद्योगिक, घरेलू, बागवानी और सफाई अनुप्रयोगों में प्रयुक्त दस्तानों के स्पष्ट अपवर्जन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। आकस्मिक रूप से गैर-चिकित्सा उपयोग में लाए गए चिकित्सा जांच दस्तानों, जो पीयूसी के अंतर्गत हैं, और औद्योगिक/सामान्य-प्रयोजन दस्तानों, जो अपवर्जित हैं, के बीच भेद किया जाना चाहिए। वार्षिक रिपोर्टों में हार्टालेगा एसडीएन. बीएचडी. (एचएसबी) के प्रमुख कार्यकलाप का "लेटेक्स दस्तानों का विनिर्माण" के रूप में सामान्य विवरण यह स्थापित नहीं करता कि उसने पीओआई के दौरान पीयूसी का विनिर्माण किया था। जब आईएस 15354 के अनुरूप होना कार्यक्षेत्र की शर्त नहीं है, तो प्राधिकारी को उन प्रभावी तकनीकी मानदंडों का उल्लेख करना चाहिए जिनके द्वारा चिकित्सा जांच दस्तानों की पहचान की जाती है।

ग. बीआईएस लाइसेंस, प्रयोगशाला रिपोर्टों और गुणवत्ता के संबंध में प्रकटन विवरण के पैरा 11, 20 और 173 के निष्कर्ष परस्पर असंगत हैं। जो साक्ष्य एक पृथक उत्पाद श्रेणी स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है, वह इस प्रश्न के लिए प्रासंगिक हो सकता है कि घरेलू उत्पाद तुलनीय गुणवत्ता का है या नहीं।

घ. ट्रस्टिन लेबोरेटरीज, चेन्नई की अक्टूबर 2026 की चार बाजार नमूनों पर जांच रिपोर्टें दर्शाती हैं कि दो आयातित ब्रांड आईएस 15354 के जांचे गए मापदंडों पर खरे उतरे,

जबकि दो भारतीय उत्पादकों, लैट्राइल ग्लव्स प्रा. लि. और कूवे आईओटी प्रा. लि., द्वारा विनिर्मित दस्तानों के नमूने मोटाई और टूटने पर बल (फोर्स-एट-ब्रेक) की अपेक्षाओं पर विफल रहे। ये परिणाम 23 अक्टूबर, 2026 के पत्र द्वारा औषध विभाग के ध्यान में लाए गए हैं।

घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

क. नियम 2(ख), जो घरेलू उद्योग की प्रतिनिधिकता से संबंधित है, और नियम 5(3), जो आवेदक की स्थिति (स्टैंडिंग) से संबंधित है, भिन्न अपेक्षाएं हैं, और बाद वाली अपेक्षा की पूर्ति से पहली अपेक्षा स्थापित नहीं होती। प्राधिकारी को उस साक्ष्य-आधार को स्पष्ट करना चाहिए जिस पर आवेदकों के कार्य-निष्पादन को भारतीय उद्योग का प्रतिनिधि माना गया है।

ख. प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लि., जिसके बारे में कहा गया है कि उसने "क्षमताएं स्थापित की हैं", ने वास्तव में पीओआई के दौरान पीयूसी का उत्पादन किया था, और किस आधार पर उसके उत्पादन को आवेदक की स्थिति की गणना में शामिल किया गया है।

आयातक प्रश्नावली

क. प्रकटन विवरण में नामित आयातकों को किसी भी चरण पर आयातक प्रश्नावली प्राप्त नहीं हुई, जिससे वे सहयोग नहीं कर सके और इससे क्षति तथा आयात विश्लेषण दूषित होता है।

प्रश्नावली उत्तरों की अस्वीकृति

क. उपलब्ध तथ्यों का सहारा अंतिम उपाय है। प्रकटन विवरण में चिह्नित मामले मात्रा और पुष्टि संबंधी मिलान की कमियां हैं, न कि इनकार या असहयोग, और प्राधिकारी को उत्तरों को पूर्णतः अस्वीकार करने के बजाय यह आकलन करना चाहिए कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध सूचना का आंशिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। हार्टालेगा समूह और टॉप ग्लव समूह के लिए, केवल अनुपलब्ध सूचना हेतु उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करते हुए, व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किए जाने चाहिए, बजाय

इसके कि उन्हें उन निर्यातकों के समकक्ष माना जाए जिन्होंने कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की।

ख. एमयूएन ग्लोबल एसडीएन. बीएचडी. की घरेलू बिक्री के संबंध में हार्टालेगा समूह के स्पष्टीकरण भिन्न-भिन्न प्रश्नों के क्रमिक उत्तर थे, न कि परस्पर विरोधी; खरीद के केवल एक भाग की घरेलू बाजार में पुनर्बिक्री, शेष का निर्यात किया जाना या माल-सूची में रखा जाना, माल-सूची के समय-अंतर संबंधी स्पष्टीकरण का परिष्कार है। यदि स्पष्टीकरणों को अपर्याप्त माना जाता है, तो पाटनरोधी करार के अनुबंध II के पैरा 6 के अनुसार विशिष्ट कमी की पहचान की जानी चाहिए और मिलान प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

ग. एमयूएन हेल्थ प्रोडक्ट (इंडिया) प्रा. लि. का परिशिष्ट 15 फिल्टर लगाने के पश्चात पीयूसी और संबंधित पीसीएन को शामिल करता है, जबकि परिशिष्ट 16 एनपीयूसी, नमूनों और अन्य लेन-देनों सहित सकल ईआरपी अभिलेखों को दर्शाता है, जिससे खरीद लागत में अंतर स्पष्ट होता है; दोनों परिशिष्टों के लेन-देन-वार मिलान पर विचार किया जाना चाहिए। प्रकटन विवरण के पैरा 69 के विपरीत, एमयूएन हेल्थ के खरीद और नमूना पुनर्बिक्री अभिलेख तथा एमयूएन हेल्थ और एमयूएन ग्लोबल के बीच बकाया भुगतानों की सूची डेस्क सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की गई थी और 19 अगस्त, 2026 के ई-मेल द्वारा भेजी गई थी, और वित्तीय विवरणों के साथ मिलान के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

घ. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.3 के साथ पठित नियम 10 के अंतर्गत, निर्यात कीमत की उपेक्षा केवल तभी की जा सकती है जब वह संबद्धता अथवा प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण अविश्वसनीय हो। कोई प्रतिपूरक व्यवस्था या कीमत पर संबद्धता का कोई प्रभाव नहीं पाया गया है, और बकाया अंतर-समूह प्राप्य राशियां अपने आप में निर्यात कीमत को अविश्वसनीय नहीं बनातीं।

ङ. हार्टालेगा समूह की संबंधित संस्थाओं ने पीओआई के दौरान पीयूसी का उत्पादन या निर्यात नहीं किया। हार्टालेगा एनएसएम एसडीएन. बीएचडी. 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2026 को निष्क्रिय थी; एचएसबी को 2023 के अंत में बंद (डीकमीशन) कर दिया गया था और उसने अपनी विद्यमान माल-सूची का निपटान करते हुए जनवरी से दिसंबर 2023 तक ऐसी माल-सूची एमयूएन हेल्थ को बेची; और समूह की अन्य

संस्थाएं एक अनुसंधान संस्था, एक साझा-सेवा संस्था, एक परोपकारी फाउंडेशन तथा न्यूजीलैंड में एक खुदरा/थोक संस्था हैं।

च. डॉ. बू कंपनी लिमिटेड के उत्तर में उद्धृत कमियां, अर्थात पीडीएफ पाठ-रूपांतरण संबंधी समस्याएं और असंबद्ध (अनलिंक्ड) एक्सेल स्प्रेडशीट, एक लघु और मध्यम उद्यम के रूप में उसकी आंतरिक प्रशासनिक बाधाओं से उत्पन्न तकनीकी त्रुटियां थीं, और ये असहयोग या महत्वपूर्ण सूचना को रोके रखने की श्रेणी में नहीं आतीं। अनुबंध II के पैरा 5 और 7 के अनुसार, जिस पक्षकार ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य किया है उसकी सूचना की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और उस पक्षकार के विरुद्ध उपलब्ध तथ्यों का दंडात्मक रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसने सद्भावपूर्वक अपनी लेन-देन-स्तर की निर्यात कीमतें, घरेलू बिक्री बीजक और कारखाना लागत अभिलेख प्रस्तुत किए हैं।

छ. डॉ. बू कंपनी लिमिटेड ने प्रकटन विवरण के उत्तर में अनुरोध किया कि उसने भारत को अपनी निर्यात बिक्री (परिशिष्ट 3क), घरेलू बिक्री (परिशिष्ट 4क) और पीसीएन-वार लागत (परिशिष्ट 8 और 9) की कार्यशील एक्सेल फाइलों, अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ मिलान, और तामील के प्रमाण सहित एक प्रमाणित अगोपनीय रूपांतर के साथ टिप्पणियां दायर की हैं, और यह पुष्टि की है कि भारत, थाईलैंड या अन्यत्र उसकी कोई संबद्ध कंपनी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हें अभिलेख पर लिया जाना चाहिए, और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 के अधिदेश के अनुसार अंतिम जांच परिणामों से पूर्व उसके लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाना चाहिए।

<u>सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन</u>

क. श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड (एसटीजीटी) ने 7 जनवरी, 2026 के अपने प्रश्नावली उत्तर से ही और पुनः 4 तथा 9 सितंबर, 2026 के अपने पत्रों द्वारा अनुरोध किया है कि सामान्य व्यापार क्रम परीक्षण के लिए उसकी लेन-देन-वार उत्पादन लागत का उपयोग किया जाए, जो विनिर्माण लागतों और विचरणों हेतु माह-अंत समायोजनों के पश्चात उसके एसएपी लाभप्रदता विश्लेषण मॉड्यूल (केई24) में दर्ज है। ये अभिलेख परिशिष्ट 4क का और, पीसीएन-वार समेकित रूप में, परिशिष्ट 9 का आधार हैं, और परस्पर मिलान योग्य हैं। प्रकटन विवरण के पैरा 99 और 100

में यह उल्लेख नहीं है कि लेन-देन-वार लागत को स्वीकार किया गया, समायोजित किया गया या उस पर निर्भर नहीं किया गया। उसके सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन को संशोधित किया जाना चाहिए अथवा, यदि नहीं, तो कारण और लागत गणनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और एसटीजीटी को सुना जाना चाहिए; उसकी कारखाना-द्वार निर्यात कीमत और पहुंच कीमत को यथावत रखा जाए, और उसके सत्यापित अभिलेखों के आधार पर शुल्क की व्यक्तिगत दर निर्धारित की जाए।

ख. प्रकटन विवरण में अवशिष्ट मार्जिनों हेतु सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने में प्रयुक्त स्रोतों और कार्यप्रणाली का, अथवा इस बात का कि उत्तरदाताओं की अपनी सूचना के बजाय वे मार्जिन सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना क्यों हैं, अनुबंध II के पैरा 7 की अपेक्षा के अनुसार कोई सार्थक अगोपनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

ग. भारत में कम कीमत वाले आयात व्यापारियों के माध्यम से वितरित विनिर्देश-से-भिन्न, निम्न श्रेणी के या घटिया उत्पादों के कारण हैं। केवल चिकित्सा-श्रेणी के जांच दस्तानों का निर्यात करने वाले विनिर्माता को ऐसे माल का व्यापार करने वाले असहयोगी व्यापारियों के साथ समूहित करना पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 द्वारा अपेक्षित उचित तुलना को कमजोर करता है।

<u>आयात आंकड़े</u>

क. 4015 12 00 के अतिरिक्त टैरिफ मद 4015 11 00, 4015 19 00, 4015 90 30 और 4015 90 99 के अंतर्गत आयातों पर निर्भरता यह दर्शाती है कि गैर-चिकित्सा दस्तानों को शामिल किया गया है, जिससे मलेशिया के लिए ₹1,22,488 प्रति लाख पीस और संबद्ध देशों के लिए ₹1,26,777 प्रति लाख पीस की पहुंच कीमत कम हो जाती है, और पाटन मार्जिन, कीमत कटौती तथा क्षति मार्जिन विकृत हो जाते हैं। आयात आंकड़ों का सत्यापन प्रवेश पत्रों (बिल ऑफ एंट्री) और एडीसी/सीडीएससीओ संदर्भ अभिलेखों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

ख. प्राधिकारी को यह प्रकट करना चाहिए कि पीयूसी से संबंधित घरेलू उद्योग के आंकड़ों को अन्य दस्तानों से संबंधित आंकड़ों से किस प्रकार पृथक किया गया है।

<u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

क. घरेलू उद्योग का सबसे खराब कार्य-निष्पादन 2023-24 में था, जब संबद्ध आयात अपने न्यूनतम स्तर पर थे, और पीओआई में उसकी हानियां कम हुईं, जब आयात में लगभग 38% की वृद्धि हुई। आयात की मात्रा, जिसमें निरंतर वृद्धि नहीं हुई, का आकलन कोविड-पश्चात मांग में सुधार (करेक्शन) और घरेलू उत्पादन के हाल ही में आरंभ होने के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

ख. लागत और कीमत के बीच का अंतर घरेलू उद्योग की अपनी बिक्री लागत के दोगुने से अधिक हो जाने के कारण उत्पन्न हुआ, जबकि 2022-23 के पश्चात पहुंच मूल्यों में केवल एकल अंकों में परिवर्तन हुआ। हानियां नई, ऋण-वित्तपोषित सुविधाओं की आरंभिक स्थिर लागतों, प्रारंभिक उपरिव्ययों, वित्त लागतों, मूल्यह्रास और कर्मचारी लागतों को दर्शाती हैं, जैसा कि वाडी सर्जिकल्स प्रा. लि. की 2024-25 की निदेशक रिपोर्ट से भी स्पष्ट है; वेतन और मजदूरी 3,923 के सूचकांक तक बढ़ी जबकि उत्पादन 870 पर था। मानकीकरण (नॉर्मेशन) केवल क्षमता उपयोग का समाधान करता है, न कि वित्त लागतों, मूल्यह्रास और कर्मचारी लागतों का, और मानकीकरण संबंधी मान्यताओं को अगोपनीय रूप में प्रकट किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने महामारी-काल की आधार-वर्ष कीमतों के आधार पर निवेश किया। नियमावली के अनुबंध II के पैरा (v) और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 के अनुसार, ऐसी क्षति को संबद्ध आयातों पर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

ग. कीमत कटौती अपने आप में कारणता स्थापित नहीं करती। आयात कीमतों में गिरावट बाजार के महामारी-पश्चात सामान्यीकरण तथा प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स और एनबीआर की कीमतों, भाड़े और अन्य वाणिज्यिक कारकों में उतार-चढ़ाव को दर्शाती है, न कि पाटन को।

घ. भारतीय क्षमता पूर्ण उपयोग की स्थिति में भी मांग का केवल लगभग 38% ही पूरा कर सकती है, अतः आयातों की निरंतर उपस्थिति आपूर्ति का परिणाम है, न कि पाटन का। हार्टालेगा समूह के भारत को निर्यात में गिरावट आई और उनकी कीमत अन्य निर्यातकों की तुलना में अधिक थी, अतः वे क्षति में योगदान नहीं कर सकते थे।

ङ. गैर-आरोपण विश्लेषण में चिकित्सा दस्तानों की गैर-चिकित्सा दस्तानों से तुलना, कीमत कटौती की गणना पीसीएन-वार की गई या नहीं, आयातित कच्चे माल पर शुल्कों के कारण लागत संबंधी हानि, स्थापित विदेशी उत्पादकों की बड़े पैमाने की मितव्ययिता और प्रौद्योगिकी, तथा मांग और कीमतों में महामारी-पश्चात समायोजन की जांच नहीं की गई है, जो यूएस - हॉट-रोल्ड स्टील (डब्ल्यूटी/डीएस184/एबी/आर) में अपीलीय निकाय द्वारा निर्धारित मानक के प्रतिकूल है। कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. ने कहा है कि चिकित्सा दस्तानों की तुलना गैर-चिकित्सा दस्तानों से की जा रही है।

<u>क्षति रहित कीमत</u>

क. एनआईपी में प्रयुक्त नियोजित पूंजी पर 22% की आय का घरेलू उद्योग की वास्तविक आय से कोई संबंध नहीं है, जो 2023-24 में ऋणात्मक थी और पीओआई में केवल आंशिक रूप से सुधरी। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले के निर्णय पर निर्भरता व्यक्त की गई है।

<u>सार्वजनिक हित</u>

क. चिकित्सा जांच दस्ताने आवश्यक स्वास्थ्य-देखभाल वस्तुएं हैं, जिनकी खपत आवर्ती आधार पर बड़ी मात्रा में होती है। मांग का अधिकांश भाग आयातों से पूरा होता है, और नव-स्थापित घरेलू उद्योग के पास सभी उत्पाद प्रकारों की आपूर्ति हेतु क्षमता, उत्पाद-श्रृंखला और विनिर्देशों का अभाव है।

ख. 2 से 5 अरब दस्तानों पर ₹1.50 प्रति पीस की वृद्धि से स्वास्थ्य-देखभाल प्रणाली पर प्रति वर्ष ₹300-750 करोड़ का भार पड़ेगा, और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादकों पर 70-80% का अवशिष्ट शुल्क आपूर्ति को सीमित करेगा तथा अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और अन्य स्वास्थ्य-देखभाल सुविधाओं पर भार डालेगा। यह निष्कर्ष कि शुल्कों से कोई महत्वपूर्ण भार नहीं पड़ेगा, लागत-अंश, भार-अंतरण (पास-थ्रू) और समग्र प्रभाव के मात्रात्मक आकलन से रहित है।

ग. भारत प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स की संरचनात्मक कमी का सामना कर रहा है, जिसकी कीमत जनवरी और अक्टूबर 2026 के बीच लगभग 47% बढ़ी; आयातित लेटेक्स पर लगभग 70% शुल्क लगता है; और फारस की खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष के कारण एनबीआर की आपूर्ति दबाव में है। मलेशिया और थाईलैंड से आयातों पर

शुल्क केवल आयातों को चीन जन. गण. की ओर मोड़ देंगे। आपूर्ति-लचीलेपन संबंधी तर्क का आकलन महामारी की स्थितियों के बजाय वर्तमान स्थितियों में किया जाना चाहिए, और पाटनरोधी उपायों से नव-स्थापित घरेलू उत्पादकों को सामान्य बाजार प्रतिस्पर्धा से संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

176. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

प्रस्तावित निर्धारण

क. घरेलू उद्योग पीयूसी के कार्यक्षेत्र, जिसमें यह भी शामिल है कि पीयूसी आईएस 15354 के अनुरूप दस्तानों तक सीमित नहीं है, घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और आवेदक की स्थिति, गोपनीयता, मलेशिया से हार्टालेगा समूह, टॉप ग्लव समूह और टैन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन. बीएचडी. तथा थाईलैंड से डॉ. बू कंपनी लिमिटेड के प्रश्नावली उत्तरों की अस्वीकृति, और क्षति एवं कारणात्मक संबंध के विश्लेषण संबंधी प्रस्तावित निर्धारणों से सहमत है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

क. घरेलू उद्योग में सीमित संसाधनों वाले एमएसएमई शामिल हैं। संबद्ध आयातों ने उसकी कीमतों में कटौती की और वे 2023-24 तथा पीओआई में उसकी बिक्री लागत और मानकीकृत लागत से भी नीचे थे, अतः कीमत न्यूनीकरण आरंभिक अदक्षताओं के कारण नहीं है। उसकी क्षमता का अत्यधिक कम उपयोग हो रहा है, उसका बाजार हिस्सा कम है, और उसे हानियों, नकद हानियों और अपर्याप्त आय का सामना करना पड़ा है।

सार्वजनिक हित

क. एमएसएमई को समर्थन देने की आवश्यकता, भारत में बढ़ती मांग, एक आवश्यक स्वास्थ्य-देखभाल उत्पाद के लिए आयातों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की आवश्यकता, जैसा कि कोविड-19 के दौरान अनुभव किया गया, भारतीय उत्पादकों द्वारा नियोजित क्षमता विस्तार, संबद्ध देशों में विशाल क्षमताएं, अंतिम उपयोक्ताओं

पर नगण्य प्रभाव, और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित में है।

<u>शुल्क का स्वरूप और अवधि</u>

क. रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मेट कोक मामले में सीईएसटीएटी के निर्णय द्वारा समर्थित है, पाटनरोधी शुल्क पांच वर्षों के लिए अमेरिकी डॉलर में व्यक्त निश्चित राशि के रूप में अधिरोपित किया जाना चाहिए। संदर्भ-कीमत के रूप में शुल्क आयातकों द्वारा घोषित मूल्य पर निर्भर होगा और बीजक मूल्यों को बढ़ाकर तथा अंतर को क्रेडिट नोटों के माध्यम से वापस करके इसे विफल किया जा सकता है, जो एक वास्तविक जोखिम है जहां कई प्रमुख निर्यातकों के उत्तर अस्वीकार किए गए हैं। आयात कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट को देखते हुए यथामूल्य शुल्क उपयुक्त नहीं है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

177. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। जो अनुरोध केवल पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराते हैं, उनकी जांच इन अंतिम जांच परिणामों के संबंधित खंडों में पहले ही की जा चुकी है और उनकी पुनः जांच नहीं की गई है। शेष मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

178. प्रस्तावित निर्धारणों का समर्थन करने वाले घरेलू उद्योग के अनुरोध, और क्षति, कारणात्मक संबंध तथा सार्वजनिक हित पर उसके अनुरोध, इन अंतिम जांच परिणामों के संबंधित खंडों में दर्ज निष्कर्षों के अनुरूप हैं और उन्हें नोट किया गया है। शुल्क के स्वरूप और अवधि पर उसके अनुरोधों की जांच नीचे की गई है।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

179. इस तर्क के संबंध में कि जांच शुरुआत अधिसूचना में पीयूसी को "आईएस 15354 के अनुरूप" दस्तानों के रूप में वर्णित किया गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर पैरा 4 में पुनः प्रस्तुत जांच शुरुआत अधिसूचना में यह कहा गया था कि चिकित्सा जांच रबड़ दस्ताने "आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए निर्मित किए जाते हैं", ताकि उन्हें शल्य-चिकित्सा दस्तानों से भिन्न दर्शाया जा सके, जो "अधिक कठोर अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं"। "आईएस 15354 के अनुरूप" शब्द न तो

जांच शुरुआत अधिसूचना में और न ही 2 दिसंबर, 2025 की कार्यक्षेत्र अधिसूचना में पीयूसी के विवरण में आते हैं। अतः अनुरोध का आधार तथ्यात्मक रूप से गलत है।

180. इस तर्क के संबंध में कि चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 के नियम 7 के अंतर्गत आईएस 15354 के अनुरूप होना अनिवार्य है, और प्राधिकारी को सीडीएससीओ के विचार प्राप्त करने चाहिए थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने यह निर्धारित नहीं किया है, और उनसे यह निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं है, कि क्या किसी विशेष दस्ताने का भारत में विधिपूर्वक आयात या बिक्री की जा सकती है। यह प्रश्न चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 के अंतर्गत केंद्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी के अधिकार-क्षेत्र में आता है, जैसा कि ऊपर पैरा 12 में दर्ज है। पाटनरोधी जांच का कार्यक्षेत्र भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात किए जा रहे उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु द्वारा निर्धारित होता है, न कि अलग-अलग खेपों की विनियामक स्थिति द्वारा। पीयूसी को आईएस 15354 के अनुरूप घोषित दस्तानों तक सीमित करने का अर्थ यह होगा कि जो दस्ताने इसके अनुरूप नहीं हैं, और जो भारतीय बाजार में समान वस्तु से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे गैर-अनुरूपता की घोषणा द्वारा उपाय से बचा जा सकेगा। ऐसा दृष्टिकोण अननुपालन को पुरस्कृत करेगा और शुल्क के प्रयोजन को विफल करेगा। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किसी भी प्रकार से चिकित्सा उपकरण नियमावली, 2017 अथवा किसी अन्य विधि की अपेक्षाओं से छूट नहीं देता या उन्हें शिथिल नहीं करता। अतः यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

181. पैरा 19 और औद्योगिक, घरेलू, बागवानी तथा सफाई दस्तानों के अपवर्जन के बीच संबंध को स्पष्ट करने, और पीयूसी की पहचान हेतु प्रभावी मानदंडों का उल्लेख करने के हार्टालेगा समूह के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि पीयूसी की पहचान उसकी भौतिक और तकनीकी विशेषताओं द्वारा की जाती है, अर्थात प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स, नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ लेटेक्स या उनके मिश्रण से बने एकल-उपयोग, उपयोगोपरांत फेंके जाने वाले जांच दस्ताने, जो 2 दिसंबर, 2025 की कार्यक्षेत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित पीसीएन मापदंडों के अंतर्गत आते हों और किसी अपवर्जित श्रेणी में न आते हों। अपवर्जित औद्योगिक, घरेलू, बागवानी और सफाई दस्ताने, जैसा कि ऊपर पैरा 24 में नोट किया गया है, ऐसे दस्ताने हैं जो अपनी बनावट और भौतिक विशेषताओं के कारण अधिक मोटे, भारी और टिकाऊपन तथा बार-बार उपयोग के लिए बने होते हैं। पीयूसी की विशेषताओं वाला

एकल-उपयोग, उपयोगोपरांत फेंका जाने वाला दस्ताना केवल इस कारण अपवर्जित औद्योगिक दस्ताना नहीं बन जाता कि उसे "औद्योगिक" या "सामान्य-प्रयोजन" दस्ताने के रूप में वर्णित, विपणित या बेचा जाता है, अथवा उसे गैर-चिकित्सा उपयोग में लाया जाता है; इसके विपरीत, जो दस्ताना अपनी विशेषताओं के कारण किसी अपवर्जित श्रेणी का है, वह चिकित्सा परिवेश में उपयोग किए जाने से पीयूसी नहीं बन जाता। अतः हार्टालेगा समूह का यह दावा कि एचएसबी द्वारा उत्पादित दस्ताने पीयूसी से बाहर औद्योगिक/सामान्य-प्रयोजन दस्ताने थे, उन दस्तानों के विनिर्देशों के संदर्भ में स्थापित किया जाना होगा। हार्टालेगा समूह द्वारा इस संबंध में, यहां तक कि अपनी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों के साथ भी, कोई उत्पाद विनिर्देश, उत्पादन अभिलेख या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पहलू की आगे "प्रश्नावली उत्तरों की अस्वीकृति" शीर्ष के अंतर्गत जांच की गई है।

182. प्रकटन विवरण के पैरा 11, 20 और 173 के बीच कथित असंगति के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये तीनों पैरा भिन्न-भिन्न प्रश्नों से संबंधित हैं। पैरा 11 बीआईएस के इस स्पष्टीकरण को दर्ज करता है कि लाइसेंस अपने आप में प्रत्येक बैच की अनुरूपता स्थापित नहीं करता; पैरा 20 यह दर्ज करता है कि उस समय अभिलेख पर उपलब्ध प्रयोगशाला रिपोर्टों से यह स्थापित नहीं हुआ कि आयातित दस्ताने एक पृथक उत्पाद हैं; और पैरा 173 घरेलू समान वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में सार्वजनिक हित संबंधी तर्क से संबंधित है। प्राधिकारी ने टिप्पणियों के आलोक में पैरा 173 को संशोधित किया है ताकि प्रकटन विवरण के पश्चात दायर जांच रिपोर्टों पर ध्यान दिया जा सके, जिनकी जांच नीचे की गई है।

183. प्राधिकारी ने आयातकों और उनके संघ द्वारा दायर ट्रस्टिन लेबोरेटरीज की जांच रिपोर्टों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि (क) रिपोर्टें चार बाजार नमूनों से संबंधित हैं, जिनमें से जिन दो नमूनों के आईएस 15354 के कुछ मापदंडों पर विफल रहने का कथन है, वे लैट्राइल ग्लव्स प्रा. लि. और कूवे आईओटी प्रा. लि. द्वारा विनिर्मित दस्तानों के हैं, जो समर्थक उत्पादक हैं और घरेलू उद्योग का भाग नहीं हैं, तथा जिनके आंकड़ों का क्षति विश्लेषण में उपयोग नहीं किया गया है; (ख) नावको इंडस्ट्रीज प्रा. लि. या वाडी सर्जिकल्स प्रा. लि., जो घरेलू उद्योग का गठन करती हैं और आईएस 15354 के अंतर्गत बीआईएस लाइसेंस धारित करती हैं, द्वारा उत्पादित समान वस्तु के किसी नमूने की जांच नहीं की गई है; (ग) रिपोर्टों में स्वयं कहा गया है कि नमूने प्रयोगशाला द्वारा नहीं लिए गए थे, और नमूनों के स्रोत, बैच और अभिरक्षा-श्रृंखला को स्थापित नहीं किया गया है; (घ) नमूने

अक्टूबर 2026 में, पीओआई के अठारह माह से अधिक पश्चात, प्राप्त किए गए और उनकी जांच की गई; और (ङ) यह तथ्य कि आयातित ब्रांडों के दो नमूने जांचे गए मापदंडों पर खरे उतरे, यह स्थापित नहीं करता कि संबद्ध देशों से आयात सामान्यतः आईएस 15354 के अनुरूप हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य भारतीय उत्पादकों के दो नमूनों की विफलता यह स्थापित नहीं करती कि समान वस्तु अनुरूप नहीं है। अतः ये रिपोर्टें, जिन्हें संघ ने विनियामक कार्रवाई हेतु औषध विभाग को भी अग्रेषित किया है, यह स्थापित नहीं करतीं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु आयातित उत्पाद से तुलनीय नहीं है, अथवा दोनों वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। विशेष ब्रांड आईएस 15354 के अनुरूप हैं या नहीं, यह विनियामक प्राधिकारियों का विषय है।

184. पीसीएन मापदंडों के रूप में फॉर्मेट और रंग के संबंध में, न तो इन्हें प्रस्तावित करने वाले निर्यातक ने और न ही घरेलू उद्योग ने एम्बिडेक्सट्रस (दोनों हाथों के लिए उपयुक्त) और एनाटॉमिकल दस्तानों के बीच, अथवा रंगीन और रंगहीन दस्तानों के बीच, लागत में अंतर का कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, रंग की लागत विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत के 1% से कम है, जो 5% की सीमा से काफी कम है। तदनुसार, फॉर्मेट और रंग को पीसीएन पद्धति में मापदंडों के रूप में नहीं अपनाया गया है।

<u>घरेलू उद्योग और आवेदक की स्थिति</u>

185. प्राधिकारी हार्टालेगा समूह से सहमत हैं कि नियम 2(ख) और नियम 5(3) भिन्न प्रयोजनों की पूर्ति करते हैं, और ऊपर पैरा 49 में दोनों की पृथक रूप से जांच की गई है। नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्धारण अन्य उत्पादकों के समर्थन पर आधारित नहीं है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि आवेदक कंपनियां समान उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन के प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अतिरिक्त, उनका चयन भिन्न कार्य-निष्पादन वाले उत्पादकों को बाहर रखने हेतु नहीं किया गया था, अन्य सभी पहचाने गए भारतीय उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया है, और आवेदकों की क्षति संबंधी सूचना का सत्यापन किया गया है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अभिलेख पर ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह संकेत मिले कि अन्य भारतीय उत्पादकों का कार्य-निष्पादन आवेदकों से भिन्न था, जो पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 के अंतर्गत प्रासंगिक चिंता है, जैसा कि ईसी - फास्टनर्स (चीन) में अपीलीय निकाय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

186. एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लि. के संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि पैरा 40 में यह टिप्पणी कि एलेस्को ने "क्षमताएं स्थापित की हैं", उसे एक नए उत्पादक के रूप में वर्णित करती है। पीओआई के दौरान पीयूसी का उसका उत्पादन, *** लाख पीस, उसके द्वारा आवेदन के समर्थन में लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि पैरा 47 की तालिका में दर्शाया गया है, और उसे उसी आधार पर भारतीय उत्पादन में शामिल किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि एलेस्को सर्जिफार्मा प्रा. लि. के उत्पादन को बाहर भी कर दिया जाए, तो भारतीय उत्पादन में आवेदक कंपनियों का हिस्सा बढ़कर ***% (सीमा 25-35%) हो जाएगा, और नियम 2(ख) तथा 5(3) के अंतर्गत निर्धारण प्रभावित नहीं होंगे।

<u>आयातक प्रश्नावली</u>

187. एमआरके हेल्थकेयर प्रा. लि. और कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के इस तर्क के संबंध में कि आयातकों को आयातक प्रश्नावली प्राप्त नहीं हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली ऊपर पैरा 3.6(i) में सूचीबद्ध ज्ञात आयातकों को उपलब्ध पतों पर भेजी गई थी, और राजपत्र तथा प्राधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित जांच शुरुआत अधिसूचना ने आयातकों और उपयोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में प्रश्नावली उत्तर दायर करने के लिए आमंत्रित किया था। एमआरके हेल्थकेयर प्रा. लि. और कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. सहित छह आयातकों/उपयोक्ताओं ने हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकरण कराया और आयातक प्रश्नावली उत्तर दायर किए, जैसा कि ऊपर पैरा 3.6(ii) में दर्ज है। अतः यह तर्क कि आयातकों को सहयोग करने से रोका गया, अभिलेख के प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त, आयातों की मात्रा और कीमत का निर्धारण सभी आयातों को शामिल करने वाले डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आंकड़ों के आधार पर किया गया है, न कि अलग-अलग आयातकों के उत्तरों के आधार पर।

<u>प्रश्नावली उत्तरों की अस्वीकृति</u>

188. प्राधिकारी ने हार्टालेगा समूह की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। प्राधिकारी आरंभ में ही नोट करते हैं कि पाटनरोधी करार के अनुबंध II के पैरा 6 के अनुसार, हार्टालेगा समूह को उसके उत्तर की कमियों और आवश्यक सूचना प्रस्तुत न करने के परिणामों के बारे में प्राधिकारी के 27 जुलाई, 2026 के पत्र और 18 अगस्त, 2026 तथा 14 सितंबर, 2026 के पत्रों सहित पश्चातवर्ती संसूचनाओं द्वारा सूचित किया गया था, जिनका समूह ने क्रमशः 3 अगस्त, 2026, 19 अगस्त, 2026 और 21 सितंबर, 2026 को उत्तर दिया। तत्पश्चात

प्रकटन विवरण के पैरा 64 से 72 में प्रत्येक कमी और उन कारणों को निर्धारित किया गया जिनके लिए उत्तर पर निर्भर नहीं किया जा सका। इस प्रकार प्रकटन-पश्चात टिप्पणियां अनुबंध II के पैरा 6 में परिकल्पित अतिरिक्त अवसर थीं। तथापि, यद्यपि टिप्पणियों में एमयूएन ग्लोबल के माध्यम से घरेलू बिक्री के मिलान और एमयूएन हेल्थ के परिशिष्ट 15 और 16 के लेन-देन-वार मिलान पर "प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने का अनुरोध" किया गया है, टिप्पणियों के साथ ऐसा कोई मिलान, माल-सूची अभिलेख, बिक्री रजिस्टर, बकाया प्राप्य राशियों का बीजक-वार विवरण या ऋण शर्तों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकटन विवरण में चिह्नित कमियां दूर नहीं हुई हैं। पाटनरोधी करार के नियम 10 और अनुच्छेद 2.3 पर आधारित तर्क के संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि उत्तर की अस्वीकृति ऊपर पैरा 64 से 71 में दर्ज कमियों के संचयी प्रभाव पर आधारित है, विशेष रूप से उस घरेलू बिक्री का निर्धारण करने में असमर्थता जिस पर सामान्य मूल्य निर्भर करता है, संबंधित आयातक के असंगत आंकड़े, और संबंधित पक्षकार के बड़ी संख्या में उन निर्यात लेन-देनों को नियंत्रित करने वाली भुगतान और ऋण शर्तों का अभाव जिनका भुगतान नहीं हुआ। संबंधित संस्थाओं के संबंध में, प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि हार्टालेगा एनएसएम एसडीएन. बीएचडी. निष्क्रिय थी, और वे अपना निर्धारण उस संस्था पर आधारित नहीं करते। यह कथन कि एचएसबी को 2023 के अंत में बंद (डीकमीशन) कर दिया गया था और उसने जनवरी से दिसंबर 2023 तक अपनी माल-सूची एमयूएन हेल्थ को बेची, किसी भी दस्तावेज, जैसे बंद किए जाने संबंधी अभिलेख, उत्पाद विनिर्देश अथवा माल-सूची और बिक्री अभिलेख, द्वारा समर्थित नहीं है। यह अभिलेख पर उपलब्ध वार्षिक रिपोर्टों के अनुरूप भी नहीं है, जिनमें 2024 और 2025 के लिए एचएसबी का प्रमुख कार्यकलाप लेटेक्स दस्तानों का विनिर्माण दर्शाया गया है और यह दर्ज है कि उसका प्रचालन केवल वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बंद हुआ।

189. उपर्युक्त के दृष्टिगत, प्राधिकारी यह पाते हैं कि हार्टालेगा समूह ने बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की, और प्रस्तुत सूचना व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु सत्यापन योग्य या उपयोग योग्य नहीं है। अतः प्राधिकारी ऊपर पैरा 72 के निर्धारण की पुष्टि करते हैं, और हार्टालेगा समूह का पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

190. टॉप ग्लव समूह ने प्रकटन विवरण पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। समूह अपने संबंधित उत्पादक, जीएमपी मेडिकेयर एसडीएन. बीएचडी., की घरेलू बिक्री और उत्पादन लागत प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिनके बिना समूह के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

191. प्राधिकारी ने डॉ. बू की प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। प्राधिकारी आरंभ में ही नोट करते हैं कि जिन कमियों के कारण डॉ. बू के उत्तर पर निर्भर नहीं किया जा सका, जैसा कि ऊपर पैरा 103 से 110 में दर्ज है, वे पाठ के पीडीएफ में रूपांतरण या असंबद्ध स्प्रेडशीट तक सीमित नहीं हैं। वे ये हैं कि (क) प्रश्नावली के महत्वपूर्ण भागों, अर्थात भाग I, खंड C; भाग II, खंड D और E; भाग III, खंड F, G और I; तथा भाग IV, खंड J, का उत्तर नहीं दिया गया था; (ख) भारत को निर्यात बिक्री पीसीएन-वार सूचित नहीं की गई थी, और उत्तर में उल्लिखित भारत को 49 निर्यात लेन-देनों में से केवल 5 का विवरण प्रस्तुत किया गया था; (ग) घरेलू बिक्री की सूची में ग्राहकों के नाम, उनके संबंध, सुपुर्दगी और भुगतान की शर्तें, सकल और निवल बीजक मूल्य, अथवा कारखाना-द्वार स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु आवश्यक कोई भी समायोजन शामिल नहीं था; (घ) उत्पादन लागत पीसीएन-वार अथवा निर्धारित परिशिष्टों में प्रस्तुत नहीं की गई थी; और (ङ) प्राधिकारी की 7 नवंबर, 2025 की संसूचना और घरेलू उद्योग के 27 फरवरी, 2026 के ई-मेल के बावजूद उत्तर का कोई अगोपनीय रूपांतर अभिलेख पर नहीं रखा गया या अन्य हितबद्ध पक्षकारों को तामील नहीं किया गया। ये कमियां सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत दोनों के निर्धारण हेतु आवश्यक मूल सूचना से संबंधित हैं; ये सारभूत कमियां हैं, न कि तकनीकी त्रुटियां। डॉ. बू ने अपनी टिप्पणियों में इनमें से किसी भी तथ्यात्मक निष्कर्ष का खंडन नहीं किया है।

192. टिप्पणियों के साथ संलग्न बताए गए एक्सेल परिशिष्टों, मिलान विवरणों और अगोपनीय रूपांतर के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इनमें से कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है।

193. पाटनरोधी करार के अनुबंध II का पैरा 1 प्राधिकारी को अपेक्षित सूचना और उसके संरचित किए जाने के तरीके को विनिर्दिष्ट करने की अनुमति देता है, और पैरा 3 प्राधिकारी से उस सूचना को ध्यान में रखने की अपेक्षा करता है जो सत्यापन योग्य हो, जो उचित रूप से प्रस्तुत की गई हो ताकि उसका बिना अनुचित कठिनाई के उपयोग किया जा सके, और जो समय पर प्रस्तुत की गई हो। यूएस - हॉट-रोल्ड स्टील (डब्ल्यूटी/डीएस184/एबी/आर) में

अपीलीय निकाय ने अभिनिर्धारित किया है कि सूचना उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई है या नहीं, इसका आकलन अन्य बातों के साथ-साथ सूचना की प्रकृति और मात्रा, पक्षकार के समक्ष आई कठिनाइयों, सूचना की सत्यापनीयता, क्या अन्य हितबद्ध पक्षकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, और क्या उसकी स्वीकृति से प्राधिकारी की जांच को शीघ्रता से संचालित करने की क्षमता प्रभावित होगी, को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। ये सभी विचार प्रकटन-पश्चात चरण पर बिक्री और लागत परिशिष्टों के पूर्ण समुच्चय को स्वीकार करने के विरुद्ध हैं। अतः इन दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने और उनके आधार पर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन निर्धारित करने का डॉ. बू का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता।

194. इसके अतिरिक्त, अनुबंध II के पैरा 6 के अनुसार डॉ. बू को 5 मई, 2026 के ई-मेल द्वारा विशिष्ट कमियों के बारे में सूचित किया गया था। उसके 13 मई, 2026 के उत्तर में अनुपलब्ध खंडों के बिना वही उत्तर पुनः प्रस्तुत किया गया, और कमियों को दूर करने हेतु आगे कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया। डॉ. बू द्वारा किसी भी चरण पर समय-विस्तार या सहायता हेतु कोई अनुरोध नहीं किया गया। प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.13 में परिकल्पित रूप से पक्षकार के आकार को समुचित रूप से ध्यान में रखा है। तथापि, अनुपलब्ध सूचना, जैसे भारत को निर्यात लेन-देनों की पूर्ण सूची, घरेलू बिक्री की बिक्री शर्तें और समायोजन, तथा प्रश्नावली के वर्णनात्मक खंडों के उत्तर, स्वयं डॉ. बू के अभिलेखों और जानकारी में थे, जो स्वयं को 1988 से व्यवसाय में बताती है, और उसका प्रस्तुतीकरण किसी विशेषीकृत व्यापार-उपचार व्यवस्था पर निर्भर नहीं था। इन परिस्थितियों में डॉ. बू को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य करने वाला नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, डॉ. बू का यह कथन कि उसके कारखाना लागत अभिलेखों का सत्यापन किया गया था, सही नहीं है; जैसा कि ऊपर पैरा 3.9(iv) में दर्ज है, सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना डॉ. बू द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी, और उसकी सूचना का कोई सत्यापन नहीं किया जा सका।

195. अनुबंध II के पैरा 7 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.10 के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुच्छेद 6.10 सामान्य नियम के रूप में प्रत्येक ज्ञात उत्पादक/निर्यातक के लिए व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण का प्रावधान करता है, किंतु ऐसा निर्धारण यह पूर्वमान्य करता है कि उत्पादक/निर्यातक ने उस प्रयोजन हेतु आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है; जहां उसने ऐसा नहीं किया है, वहां अनुच्छेद 6.8 और अनुबंध II उपलब्ध तथ्यों के आधार पर

निर्धारण की अनुमति देते हैं। अवशिष्ट मार्जिन अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है, जैसा कि नीचे "अवशिष्ट मार्जिन" शीर्ष के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है, और यह एसटीजीटी के अतिरिक्त थाईलैंड के सभी उत्पादकों/निर्यातकों पर समान रूप से लागू होता है। अनुबंध II का पैरा 7 स्वयं यह मान्यता देता है कि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार सहयोग नहीं करता और उसके द्वारा प्रासंगिक सूचना रोकी जाती है, वहां परिणाम उस पक्षकार के लिए उस स्थिति से कम अनुकूल हो सकता है जब उसने सहयोग किया होता। डॉ. बू की असंबद्धता के संबंध में, प्राधिकारी दोहराते हैं, जैसा कि ऊपर पैरा 109(ख) में दर्ज है, कि उसके उत्तर की अस्वीकृति संबद्ध कंपनियों के किसी अप्रकटन पर आधारित नहीं है।

<u>सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन</u>

196. श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड: प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार क्रम परीक्षण हेतु अपनी लेन-देन-वार उत्पादन लागत के उपयोग के एसटीजीटी के अनुरोध की जांच की है। अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के साथ पठित पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 2.2.1 प्राधिकारी से यह जांच करने की अपेक्षा करता है कि क्या घरेलू बिक्री प्रति इकाई (स्थिर और परिवर्तनीय) उत्पादन लागत तथा प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों से कम कीमतों पर की गई है, और क्या ऐसी बिक्री विस्तारित अवधि के भीतर, पर्याप्त मात्रा में और ऐसी कीमतों पर की गई है जो उचित अवधि के भीतर सभी लागतों की वसूली का प्रावधान नहीं करतीं। अनुच्छेद 2.2.1 यह भी प्रावधान करता है कि यदि बिक्री के समय प्रति इकाई लागत से कम कीमतें जांच की अवधि हेतु भारित औसत प्रति इकाई लागत से अधिक हैं, तो ऐसी कीमतों को उचित अवधि के भीतर लागतों की वसूली का प्रावधान करने वाला माना जाएगा। इस प्रकार परीक्षण का मानदंड जांच की अवधि हेतु भारित औसत प्रति इकाई लागत है। इस प्रावधान और अपनी सुसंगत पद्धति के अनुसार, प्राधिकारी ने एसटीजीटी द्वारा परिशिष्ट 9 में सूचित और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित पीओआई हेतु प्रत्येक पीसीएन की भारित औसत उत्पादन लागत के संदर्भ में पीसीएन-वार परीक्षण किया है।

197. प्राधिकारी नोट करते हैं कि, जैसा कि एसटीजीटी ने अपने 4 सितंबर, 2026 के पत्र में स्पष्ट किया है, केई24 में प्रत्येक बिक्री लेन-देन के सापेक्ष दर्ज लागत, विनिर्माण लागतों और विचरणों हेतु माह-अंत समायोजनों के पश्चात, बिक्री की बुकिंग के समय निर्दिष्ट लागत है। ऐसी लागतें एक ही पीसीएन के लिए बिक्री के माह और अवधि-अंत विचरणों के आवंटन के

आधार पर लेन-देन-दर-लेन-देन भिन्न होती हैं, और उस पीसीएन के उत्पादन की लागत का कोई भिन्न माप नहीं दर्शातीं। जैसा कि एसटीजीटी ने स्वयं कहा है, परिशिष्ट 4क और परिशिष्ट 9 समान अभिलेखों से लिए गए हैं और परस्पर मिलान योग्य हैं, अतः प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पीसीएन-वार भारित औसत लागत पीओआई की उन्हीं लागतों को समाहित करती है, साथ ही लागत आवंटन के समय से उत्पन्न उतार-चढ़ाव को समाप्त करती है। अतः एसटीजीटी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाता। लेन-देन-वार लागत न अपनाने के कारण यहां दर्ज किए गए हैं, और निर्यातक-विशिष्ट सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और मार्जिन प्रकटन विवरण के साथ एसटीजीटी को प्रकट किए गए थे, जिन पर एसटीजीटी ने टिप्पणी की है। एसटीजीटी का पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन प्रकट किए गए अनुसार ही रहता है, और एसटीजीटी हेतु व्यक्तिगत शुल्क निर्धारित किया गया है।

198. अवशिष्ट मार्जिन: अवशिष्ट मार्जिनों के आधार के अगोपनीय स्पष्टीकरण के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी स्पष्ट करते हैं कि नियम 6(8) और पाटनरोधी करार के अनुबंध II के पैरा 7 के अनुसार, अवशिष्ट सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की सूचना और डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों के असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों हेतु अवशिष्ट पाटन मार्जिन निकाला है। यह नोट किया जाता है कि अवशिष्ट मार्जिन उन सभी उत्पादकों/निर्यातकों पर समान रूप से लागू होते हैं जिनके लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित नहीं किए जा सके, और किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अभिलेख पर ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है जिसके आधार पर अधिक सटीक अवशिष्ट मार्जिन निर्धारित किया जा सके।

199. पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 पर आधारित तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुच्छेद 2.4 संबंधित उत्पादक/निर्यातक के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की उचित तुलना को नियंत्रित करता है, और अवशिष्ट मार्जिन के निर्धारण से इसका कोई संबंध नहीं है। यह दावा कि कम कीमत वाले आयात व्यापारियों के माध्यम से बेचे गए विनिर्देश-से-भिन्न या घटिया दस्तानों के हैं, किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। तुलनाएं अधिसूचित पीसीएन के आधार पर की गई हैं, और स्वयं डॉ. बू की निर्यात कीमतें स्थापित नहीं की जा सकीं।

आयात आंकड़े

200. इस तर्क के संबंध में कि आयात आंकड़ों में गैर-चिकित्सा दस्ताने शामिल हैं क्योंकि 4015 12 00 के अतिरिक्त अन्य टैरिफ मदों के अंतर्गत लेन-देनों पर विचार किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, जैसा कि ऊपर पैरा 123 में दर्ज है, डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों की जांच पीयूसी के अंतिम कार्यक्षेत्र के संदर्भ में की गई है। टैरिफ मद 4015 11 00, 4015 19 00, 4015 90 30 और 4015 90 99 के अंतर्गत लेन-देनों को केवल वहीं शामिल किया गया है जहां माल के विवरण से वे पीयूसी दर्शाते थे, और शल्य-चिकित्सा, औद्योगिक, घरेलू, विनाइल, क्लोरीनेटेड, नियोप्रीन और अन्य अपवर्जित दस्तानों के आयातों को, चाहे वे किसी भी टैरिफ मद के अंतर्गत घोषित किए गए हों, बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जिन पर उनके शुल्क आधारित हैं, उनके अपने सत्यापित पीसीएन-वार निर्यात लेन-देनों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, और डीजी सिस्टम्स आंकड़ों की संरचना से प्रभावित नहीं होते। विशेष आयातकों की आयात कीमतें, जो डीजी सिस्टम्स आंकड़ों का भाग हैं, अपने आप में संपूर्ण पीयूसी की आयात कीमत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीं।

201. घरेलू उद्योग के आंकड़ों के पृथक्करण के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियों ने निर्धारित प्रोफार्मा में पीयूसी संबंधी सूचना पृथक रूप से प्रस्तुत की है, और पीयूसी से संबंधित उत्पादन, बिक्री, लागत और लाभप्रदता संबंधी सूचना का उनके अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापन किया गया है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण ऐसे सत्यापित आंकड़ों के आधार पर पीसीएन-वार किया गया है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

202. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति 2023-24 में सर्वाधिक गंभीर थी, जब संबद्ध आयात अपने न्यूनतम स्तर पर थे, और पीओआई में कम हुई जब आयात में वृद्धि हुई, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2023-24 वाडी सर्जिकल्स प्रा. लि. के प्रचालन का पहला वर्ष था, जिसमें घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता दोगुने से अधिक हो गई और उसका क्षमता उपयोग केवल ***% था। उस वर्ष में वास्तविक बिक्री लागत में वृद्धि एक नए संयंत्र के आरंभ को दर्शाती है। इसी कारण से प्राधिकारी ने मानकीकृत लागत की भी जांच की है, जो कम क्षमता उपयोग के प्रभाव को निष्प्रभावी करती है: 2023-24 में ₹*** प्रति लाख पीस और पीओआई में ₹*** प्रति लाख पीस की मानकीकृत लागत भी क्रमशः ₹*** और ₹***

प्रति लाख पीस की निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक थी, जबकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, ₹1,30,519 और ₹1,26,777 प्रति लाख पीस, दोनों से काफी नीचे रही। 2023-24 में संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट उस वर्ष मांग में गिरावट के साथ हुई, और मांग में उनका हिस्सा 83% बना रहा। पीओआई में संबद्ध आयातों की मात्रा में लगभग 38% की वृद्धि हुई और उनकी पहुंच कीमत में और गिरावट आई। पीओआई में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में आंशिक सुधार उसके उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थिर लागतों के अधिक अवशोषण के कारण है, और घरेलू उद्योग को हानियां और नकद हानियां होती रहीं। वर्तमान मामले में क्षति मुख्यतः पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के माध्यम से होती है, और कारणात्मक संबंध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्षति संकेतक प्रत्येक वर्ष आयात मात्रा के साथ समान दिशा में चले।

203. इस तर्क के संबंध में कि हानियां ऋण-वित्तपोषित विस्तार से उत्पन्न वित्त लागतों, मूल्यह्रास और कर्मचारी लागतों के कारण हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्याज और कर पूर्व लाभ, जो वित्त लागतों से पूर्व है, 2023-24 में ₹(-)*** प्रति लाख पीस पर ऋणात्मक था और पीओआई में केवल ₹*** प्रति लाख पीस, अर्थात निवल बिक्री प्राप्ति का लगभग ***%, था; और नकद लाभ, जो मूल्यह्रास से पूर्व है, 2023-24 और पीओआई दोनों में ऋणात्मक था। अतः घरेलू उद्योग की वित्त लागतें और मूल्यह्रास उचित आय अर्जित करने में उसकी असमर्थता को स्पष्ट नहीं कर सकते। कर्मचारी लागतों के संबंध में, दूसरे संयंत्र के आरंभ होने के साथ कर्मचारियों की संख्या *** से बढ़कर *** (2022-23 में सूचकांक 100 से पीओआई में 680) हो गई, और पीओआई में प्रति कर्मचारी उत्पादकता 2022-23 की तुलना में अधिक थी। किसी भी स्थिति में, वेतन और मजदूरी, वित्त लागतें और मूल्यह्रास स्थिर लागतें हैं, जिनका उत्पादन के इष्टतम स्तर पर मानकीकरण किया गया है; मानकीकृत लागत पर भी, 2023-24 और पीओआई में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति लागत से कम थी, जबकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत दोनों से नीचे रही।

204. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने महामारी-काल की कीमतों के आधार पर निवेश किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2022-23 में, महामारी वर्ष के पश्चात, संबद्ध आयातों की ₹1,38,022 प्रति लाख पीस की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की ₹*** प्रति लाख पीस की बिक्री लागत से अधिक थी, और घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया। पहुंच कीमत में उसके

पश्चात घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से नीचे के स्तर तक आई गिरावट ने ही क्षति कारित की।

205. इस तर्क के संबंध में कि कीमत कटौती अपने आप में कारणता स्थापित नहीं करती, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनका निर्धारण केवल कीमत कटौती पर आधारित नहीं है, बल्कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत, जिसमें मानकीकृत लागत भी शामिल है, से कम कीमत वाले संबद्ध आयातों द्वारा कारित कीमत न्यूनीकरण पर भी आधारित है (ऊपर पैरा 131)। पीओआई में, जब 2023-24 की तुलना में मांग में वृद्धि हुई, पहुंच कीमत में गिरावट जारी रही, और यह दर्शाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि भाड़ा या अन्य वाणिज्यिक कारक इस गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं; अतः इसे महामारी-पश्चात सामान्यीकरण पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

206. मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में, प्राधिकारी ने ऊपर पैरा 170 में पहले ही नोट किया है कि एक अवशिष्ट अंतर बने रहने की संभावना है और वह आयातों के माध्यम से पूरा होता रहेगा। पाटनरोधी शुल्क आयातों की मात्रा को प्रतिबंधित नहीं करता; यह केवल उस कीमत का समाधान करता है जिस पर वे किए जाते हैं। मांग-आपूर्ति अंतर का अस्तित्व निर्यातकों को पाटित कीमतों पर बेचने का अधिकार नहीं देता, और यह स्पष्ट नहीं करता कि अपनी क्षमता के ***% (सीमा 25-35%) पर प्रचालन कर रहा घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतों पर अधिक क्यों नहीं बेच सका।

207. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध आयातों की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता स्थापित उत्पादकों की बड़े पैमाने की मितव्ययिता और प्रौद्योगिकी को दर्शाती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादकों का कोई भी लागत लाभ उनकी अपनी उत्पादन लागत और घरेलू कीमतों में, और इस प्रकार सामान्य मूल्य में, परिलक्षित होता है। ऐसी लागतों और कीमतों को ध्यान में रखने के पश्चात ही पाटन मार्जिन पाए गए हैं। केवल दक्षता के कारण कम कीमतों से पाटन नहीं होगा। इसी प्रकार, घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत, जिसमें आयातित प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स या नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ पर कोई सीमा शुल्क या अन्य शुल्क शामिल हैं, एक ऐसी विशेषता है जो संपूर्ण क्षति अवधि में विद्यमान रही है और घरेलू उद्योग की सत्यापित लागत में परिलक्षित है, जिसकी वास्तविक और मानकीकृत आधार पर जांच की गई है। जनवरी और अक्टूबर 2026 के बीच लेटेक्स की कीमतों में वृद्धि पीओआई से काफी पश्चात की अवधि से संबंधित है और पीओआई के दौरान हुई क्षति पर इसका कोई

प्रभाव नहीं है। यह दर्शाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घरेलू उद्योग कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण पीओआई के दौरान अपना उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ था; उसका क्षमता उपयोग इसलिए कम था क्योंकि वह लाभकारी कीमतों पर अधिक नहीं बेच सका।

208. हितबद्ध पक्षकार(रों) के इस अनुरोध के संबंध में कि प्राधिकारी यह पुष्टि करें कि क्या कीमत कटौती का निर्धारण पीसीएन-से-पीसीएन आधार पर किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, जैसा कि ऊपर पैरा 128 में कहा गया है, प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में कीमत कटौती का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद हेतु डीजी सिस्टम्स के लेन-देन-वार आयात आंकड़ों से व्युत्पन्न आयातों की पहुंच कीमत की घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से तुलना करके किया गया है। प्राधिकारी ने पीसीएन-वार तुलना करने की दृष्टि से आयात आंकड़ों की जांच की। तथापि, बड़ी संख्या में आयात लेन-देनों में माल के विवरण में पर्याप्त ब्योरे नहीं थे जिससे उन लेन-देनों को वर्तमान जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जा सके। अतः ऐसे लेन-देनों को विशेष पीसीएन में निर्दिष्ट करना अनुमानात्मक होता और उससे कोई विश्वसनीय या प्रतिनिधि परिणाम प्राप्त नहीं होता। इन परिस्थितियों में, संबद्ध आयात मात्राओं द्वारा भारित पीसीएन-वार आधार पर कीमत कटौती का निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं था, और तदनुसार प्राधिकारी ने समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के स्तर पर तुलना की है।

209. प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो पाटनरोधी करार का अनुच्छेद 3.2 और न ही पाटनरोधी नियमावली का अनुबंध II कीमत कटौती विश्लेषण हेतु कोई विशेष पद्धति निर्धारित करता है, जिसके लिए प्राधिकारी से यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग के समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है।

210. अतः प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के आधार पर निर्धारित कीमत कटौती सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित एक वस्तुनिष्ठ जांच है।

211. क्षति मार्जिन, जो शुल्क का आधार हैं, का निर्धारण पीसीएन-वार क्षति रहित कीमत की संगत पीसीएन की पहुंच कीमत से तुलना करके किया गया है। कनम लेटेक्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के इस कथन के संबंध में कि चिकित्सा दस्तानों की तुलना गैर-चिकित्सा दस्तानों से की जा रही है, घरेलू उद्योग की सूचना केवल पीयूसी से संबंधित है, जैसा कि ऊपर नोट किया गया है।

212. हार्टालेगा समूह के इस अनुरोध के संबंध में कि उसके निर्यात में गिरावट आई और उनकी कीमत अन्य निर्यातकों की तुलना में अधिक थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन किया गया है, क्योंकि ऊपर पैरा 120 में संचयी मूल्यांकन की शर्तें पूरी पाई गई हैं। संचयन इस मान्यता पर आधारित है कि घरेलू उद्योग समग्र रूप से पाटित आयातों के प्रभाव का सामना करता है, और एक बार इसकी शर्तें पूरी हो जाने पर, पाटनरोधी करार प्रत्येक देश के, और प्रत्येक निर्यातक के तो और भी कम, क्षति में योगदान के पृथक प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं करता, जैसा कि ईसी - ट्यूब ऑर पाइप फिटिंग्स (डब्ल्यूटी/डीएस219/एबी/आर) में अपीलीय निकाय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हार्टालेगा समूह की निर्यात कीमतें स्वयं उन सूचनाओं में से हैं जिनका ऊपर दर्ज कारणों से सत्यापन नहीं किया जा सका।

213. वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी. और डॉ. बू कंपनी लिमिटेड के अनुरोधों सहित गैर-आरोपण पर शेष अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए प्रत्येक ज्ञात कारक, अर्थात घरेलू उद्योग की प्रारंभिक अवस्था और उसकी आरंभिक लागतें, वित्त लागतें और मूल्यह्रास, मांग का महामारी-पश्चात सामान्यीकरण, कच्चे माल की लागतें, विदेशी उत्पादकों की बड़े पैमाने की मितव्ययिता, और मांग-आपूर्ति अंतर, की ऊपर और पैरा 152 से 161 में जांच की गई है, और उनके प्रभावों को पाटित आयातों के प्रभावों से पृथक और विभेदित किया गया है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इनमें से कोई भी कारक पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को भंग नहीं करता।

<u>क्षति रहित कीमत</u>

214. क्षति रहित कीमत की गणना हेतु नियोजित पूंजी पर 22% आय की पद्धति पर विचार करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली का अनुबंध III नियोजित पूंजी पर उचित आय (कर-पूर्व) का उल्लेख करता है और नियोजित पूंजी पर उचित आय, जो 22% है, के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत निर्धारित करना प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति है। वर्तमान मामले में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दर्शाने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वर्तमान मामले में 22% से कम आय उपयुक्त होगी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि माननीय सीईएसटीएटी ने मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और पस्टॉर्प केमिकल्स

जीएमबीएच बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामलों में नियोजित पूंजी पर 22% आय लागू करने की प्राधिकारी की पद्धति को बरकरार रखा है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि न तो नियमावली का अनुबंध III और न ही प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति यह अपेक्षा करती है कि आय की दर संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित ऐतिहासिक आय से व्युत्पन्न की जाए, और उक्त दर सभी जांचों में एकरूपता से लागू की गई है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु औसत नियोजित पूंजी पर 22% की आय अपनाना उचित पाते हैं।

<u>सार्वजनिक हित</u>

215. शुल्क के प्रभाव के मात्रात्मक आकलन के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नीचे संस्तुत शुल्क 2.88 अमेरिकी डॉलर से 5.65 अमेरिकी डॉलर प्रति 1,000 पीस के बीच हैं, अर्थात इन जांच परिणामों में अपनाई गई विनिमय दर पर लगभग ₹0.25 और ₹0.48 प्रति पीस के बीच, अथवा लगभग ₹0.49 और ₹0.97 प्रति जोड़ी के बीच। इस प्रकार आयातकों और उनके संघ की ₹1.50 प्रति पीस की वृद्धि की मान्यता वास्तविक शुल्क का लगभग तीन से छह गुना है। यदि संस्तुत उच्चतम शुल्क को पीओआई में 42,106 लाख पीस के संबद्ध आयातों की संपूर्ण मात्रा पर लागू भी किया जाए, तो समग्र शुल्क लगभग ₹200 करोड़ होगा, जो एक ऊपरी सीमा है, न कि दावा किए गए ₹300-750 करोड़, क्योंकि एसटीजीटी, वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी. हेतु शुल्क और थाईलैंड हेतु अवशिष्ट दर कम हैं, अन्य देशों से आयातों और घरेलू आपूर्तियों पर शुल्क नहीं लगता, और यह आवश्यक नहीं कि शुल्क का भार पूर्णतः आगे अंतरित किया जाए। चिकित्सा जांच दस्ताने कम मूल्य की उपभोज्य वस्तु हैं, जिनकी लागत उस किसी भी स्वास्थ्य-देखभाल सेवा की लागत का बहुत छोटा भाग है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। अतः अस्पतालों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं और रोगियों पर शुल्क का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, और पाटन से हुई क्षति को समाप्त करने तथा एक आवश्यक स्वास्थ्य-देखभाल उत्पाद के घरेलू उत्पादन को बनाए रखने के सार्वजनिक हित की तुलना में यह कम महत्वपूर्ण है।

216. डॉ. बू के इस तर्क के संबंध में कि चिकित्सा जांच दस्तानों पर 70-80% का अवशिष्ट शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 70-80% की सीमा थाईलैंड हेतु अवशिष्ट पाटन मार्जिन की है, न कि शुल्क की। कमतर शुल्क नियम के अनुसार, संस्तुत शुल्क पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो, वह है। डॉ. बू सहित एसटीजीटी के

अतिरिक्त थाईलैंड के उत्पादकों/निर्यातकों हेतु संस्तुत शुल्क 4.86 अमेरिकी डॉलर प्रति 1,000 पीस है, जो अवशिष्ट क्षति मार्जिन के अनुरूप है, जो पहुंच कीमत के 20-30% की सीमा में है, और इन जांच परिणामों में अपनाई गई विनिमय दर पर लगभग ₹0.42 प्रति पीस है। उपयोक्ताओं पर शुल्क के प्रभाव की जांच पूर्ववर्ती पैरा में की गई है और यह महत्वपूर्ण नहीं है। घरेलू उद्योग की क्षमता के संबंध में, प्राधिकारी ने ऊपर पैरा 170 में नोट किया है कि अवशिष्ट मांग-आपूर्ति अंतर आयातों के माध्यम से पूरा होता रहेगा, जिन्हें शुल्क प्रतिबंधित नहीं करता। शुल्क का आशय घरेलू उद्योग को उचित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना नहीं है; यह केवल वर्तमान जांच में स्थापित क्षतिकारी पाटन का समाधान करता है, और अपाटित कीमतों पर आयात भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा हेतु स्वतंत्र रहते हैं।

217. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क से आयात चीन जन. गण. की ओर मुड़ जाएंगे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के अतिरिक्त अन्य देशों, जिनमें चीन जन. गण. शामिल है, से आयातों का पीओआई में मांग में लगभग 10% हिस्सा था, और यह दर्शाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि ऐसे आयात संबद्ध देशों की कीमतों से कम कीमतों पर या पाटित कीमतों पर किए गए थे। भविष्य में व्यापार विपथन की संभावना अनुमानात्मक है और स्थापित पाटन के विरुद्ध राहत से इनकार का आधार नहीं है। आपूर्ति-लचीलेपन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर पैरा 171 में उनकी टिप्पणी महामारी की स्थितियों की पुनरावृत्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि एक आवश्यक उत्पाद हेतु आयातों पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम पर आधारित है, जो वहां प्रासंगिक बना रहता है जहां संबद्ध आयात मांग का लगभग 81% हैं।

218. प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स और एनबीआर की आपूर्ति और कीमत के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिस लेटेक्स कीमत वृद्धि और एनबीआर आपूर्ति में व्यवधान पर निर्भरता व्यक्त की गई है, वे पीओआई के पश्चात 2026 से संबंधित हैं। यह दर्शाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि शुल्क, जो केवल संबद्ध माल पर लागू होता है और उनके आयातों की मात्रा को प्रतिबंधित नहीं करता, भारत में कच्चे माल अथवा चिकित्सा जांच दस्तानों की उपलब्धता को प्रभावित करेगा।

<u>शुल्क का स्वरूप और अवधि</u>

219. प्राधिकारी ने शुल्क के स्वरूप के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों पर विचार किया है। मामले के तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि अमेरिकी

डॉलर में व्यक्त शुल्क की निश्चित राशि वर्तमान मामले में शुल्क का उपयुक्त स्वरूप होगी। प्राधिकारी पांच वर्षों की अवधि हेतु शुल्क की संस्तुति करना भी उचित मानते हैं।

ञ. <u>निष्कर्ष</u>

220. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों, तथा इन अंतिम जांच परिणामों में दर्ज प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ लेटेक्स, प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स अथवा उनके मिश्रण से बने "चिकित्सा जांच रबड़ दस्ताने" हैं, जैसा कि 2 दिसंबर, 2025 की कार्यक्षेत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है। शल्य-चिकित्सा दस्ताने, औद्योगिक, घरेलू, बागवानी और सफाई जैसे अनुप्रयोगों में प्रयुक्त दस्ताने, विनाइल दस्ताने, क्लोरीनेटेड दस्ताने, और नियोप्रीन अथवा किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने दस्ताने अपवर्जित हैं। विचाराधीन उत्पाद आईएस 15354 के अनुरूप दस्तानों तक सीमित नहीं है, और पाउडरयुक्त दस्तानों, उच्च श्रेणी के पाउडर-रहित एनबीआर दस्तानों और मिश्रित दस्तानों के अपवर्जन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए गए हैं।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ के अंतर्गत समान वस्तुएं हैं।

ग. आवेदक कंपनियां, मैसर्स नावको इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मैसर्स वाडी सर्जिकल्स प्रा. लि., भारतीय उत्पादन के ***% (सीमा 25-35%) का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो प्रमुख अनुपात है, और नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करती हैं। आवेदन को अन्य सभी पहचाने गए भारतीय उत्पादकों का समर्थन प्राप्त है और यह नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी., मलेशिया, और श्री ट्रांग ग्लव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड, के प्रश्नावली उत्तर स्वीकार किए गए हैं, और उनके लिए व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किए गए हैं। वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी. के मेडलाइन इंटरनेशनल बी.वी. के माध्यम से किए गए निर्यातों पर उसके व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित करने में विचार नहीं किया गया है।

ङ. मलेशिया से हार्टालेगा समूह, टॉप ग्लव समूह और टैन सिन लियान इंडस्ट्रीज एसडीएन. बीएचडी., तथा थाईलैंड से डॉ. बू कंपनी लिमिटेड के प्रश्नावली उत्तरों पर, इन जांच परिणामों में दर्ज कारणों से, निर्भर नहीं किया जा सका, और उनके मार्जिन, असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के मार्जिनों के साथ, नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

च. विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर निर्यात किया गया है, और पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक तथा महत्वपूर्ण हैं।

छ. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के प्रभाव के संचयी मूल्यांकन की शर्तें पूरी होती हैं।

ज. पीओआई में संबद्ध आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में महत्वपूर्ण बनी रही। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती की और वे उसकी बिक्री लागत, जिसमें उसकी मानकीकृत लागत भी शामिल है, से नीचे थे, जिससे उसकी कीमतों का न्यूनीकरण हुआ।

झ. प्रारंभिक अवस्था में स्थित घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। देश में उल्लेखनीय मांग के बावजूद, पीओआई में उसने अपनी क्षमता के केवल ***% (सीमा 25-35%) पर प्रचालन किया और उसका बाजार हिस्सा ***% (सीमा 0-10%) था, और उसे हानियां, नकद हानियां और नियोजित पूंजी पर मुश्किल से सकारात्मक आय हुई, जिसका उसकी वृद्धि और पूंजी जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

ञ. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है। जांचे गए अन्य ज्ञात कारकों ने ऐसी क्षति कारित नहीं की है जिससे कारणात्मक संबंध भंग हो।

ट. संबद्ध देशों हेतु निर्धारित क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण हैं।

ठ. पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं है। उपयोक्ताओं और उपभोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, और शुल्क भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा को बहाल करेगा।

ट. <u>सिफारिश</u>

221. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी, और घरेलू उद्योग, उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों/उपयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया था। नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के पश्चात, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति की भरपाई हेतु पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण आवश्यक मानते हैं और इसकी संस्तुति करते हैं।

222. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने हेतु पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की संस्तुति करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि हेतु, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की संस्तुति करते हैं।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उप-शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	**(8)**	(9)
1.	4015 11 00, 4015 12 00, 4015 19 00, 4015 90 30, 4015 90 99*	चिकित्सा जांच रबड़ दस्ताने**	मलेशिया	मलेशिया	वाईटीवाई इंडस्ट्री एसडीएन. बीएचडी.	442	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	मलेशिया	मलेशिया	क्रम सं. 1 के अतिरिक्त कोई उत्पादक	565	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	मलेशिया	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई देश	कोई	565	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
4.	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई देश	मलेशिया	कोई	565	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
5.	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड	श्री ट्रंग ग्लोव्स (थाईलैंड) पब्लिक कंपनी लिमिटेड	288	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
6.	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड	क्रम सं. 5 के अतिरिक्त कोई उत्पादक	486	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
7.	-वही-	-वही-	थाईलैंड	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई देश	कोई	486	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर
8.	-वही-	-वही-	संबद्ध देशों के अतिरिक्त कोई देश	थाईलैंड	कोई	486	1,00,000 पीस	अमेरिकी डॉलर

** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।*

*** नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ लेटेक्स, प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स अथवा उनके मिश्रण से बने "चिकित्सा जांच रबड़ दस्ताने" है। शल्य-चिकित्सा दस्ताने, औद्योगिक, घरेलू, बागवानी और सफाई जैसे*

अनुप्रयोगों में प्रयुक्त दस्ताने, विनाइल दस्ताने, क्लोरीनेटेड दस्ताने, और नियोप्रीन अथवा किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने दस्ताने अपवर्जित हैं।

223. ऊपर दी गई शुल्क तालिका में क्रम सं. 1 और क्रम सं. 5 पर उल्लिखित कंपनी हेतु विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दर का लागू होना सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली संस्था के किसी अधिकारी, जिसकी पहचान उसके नाम और पद से हो, द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित निम्नानुसार प्रारूपित घोषणा अंकित होगी:

> *"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक में शामिल भारत को निर्यात हेतु बेचे गए चिकित्सा जांच रबड़ दस्तानों के (पीस) का विनिर्माण (कंपनी का नाम और पता) द्वारा (देश का नाम) में किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में प्रदान की गई सूचना पूर्ण और सही है।"*

224. यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऊपर दी गई शुल्क तालिका में यथाविनिर्दिष्ट "कोई" हेतु लागू पाटनरोधी शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई किसी भी सत्यापन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ठ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

225. इन अंतिम जांच परिणामों के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9ग के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर (सीईएसटीएटी) अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

Digitally signed by Amitabh Kumar
Date: 06-11-2026 16:07:21

अमिताभ कुमार
निर्दिष्ट प्राधिकारी